राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का २२वां दिवस [संख्या १६

सोमवार, ९ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३८३

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल

(अनुपस्थित)

भूतपूर्व ठिकाना उनियारा के कर्मचारियों के पेंशन के मामले

३८४. श्री बेनाराम गहलोत (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) भूतपूर्व ठिकाना उनियारा के कितने कर्मचारियों के पेन्शन के मामले कब से सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ख) यह पेन्शन के मामले सरकार द्वारा कब तक अन्तिम रूप से निबटा दिये जावेंगे ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): १४३ पेन्शन के मामले १९५६ में दायर हुए थे जिनमें से १२३ मामलों में निर्णय लिये जा चुके हैं। अब केवल २० विचाराधीन है।

(ख) लगभग दो महिने में।

प्रश्न संख्या ३८५

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८६

श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित कृपाया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३८७

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

Page No.2

प्रश्न संख्या ३८८

श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह

सीमेन्ट फैक्ट्री, किवरली

३८९. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Commerce and Industries be pleased to state :—

Was there a proposal to start a Cement Factory at Kiverli near Abu Road in Sirohi District ? If so, why it is being delayed now ?

उपमंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल): Yes, the Licensee namely Associated Cement Company, Bombay has dropped the idea for installation of this Factory for the present due to little demand of cement. However prospective work is in progress.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार किसी दूसरे शख्स को लाइसेन्स देने के लिये नहीं सोच रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : When the demand of cement is itself coming down, I don't think any useful purpose will be served. The company has not for the present relinquished of dropped the idea but the prospecting work is in progress.

प्रश्न संख्या ३९०

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३९१

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३९२

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३९३

श्री प्रभुलाल पुरोहित

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३९४

श्री प्रभुलाल पुरोहित

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३९५

श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित)

बसेड़ी (त० धौलपुर) में हायर सैकन्डरी स्कूल

३९६. डॉ० बहादुरसिंह (श्री श्रीमानसिंह (बयाना) डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछागया) Will the Minister for Education be pleased to state ?

1. How many Higher Secondary Schools are there in the Baseri Tehsil of Dholpur sub-division ?

Page No.3

(डॉ० बहादुरसिंह)

2- Does the Government intend to start one at Baseri Town proper ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मंत्री की ओर से) :

(१) कोई हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं है।

(२) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या ऐसे और भी ब्लॉक्स हैं जिनमें हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : कब तक खोलने का विचार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेशन के शुरू में विचार किया जायगा कि कहां कहां कितनी कितनी खोलनी हैं, जहां पर खोलनी हैं वहां पर खुल जायेंगी। इसके लिये क्राइ-टेरिया निर्धारित है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सी० डी० ब्लॉक्स में उन पर विचार किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां भी विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ३६७

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सख्या ३६८

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६६

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत

बाली तहसील के खालसा जोड़

४००. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बाली तहसील में कौन कौन से खालसा जोड़ हैं और उन पर सरकार की तरफ से निगरानी का क्या प्रबन्ध है तथा उनसे सरकार की क्या आमदनी होती है ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त तहसील के ग्राम सोकड़ा के जोड़ में काश्तकार जो कि चार पांच साल से काश्त करते आ रहे हैं उनसे इस साल नायब तहसीलदार बाली ने उनके खेतों से फसल व घास काट कर घर लाने से रोका ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या उन काश्तकारों ने नायब तहसीलदार के विरुद्ध उच्च अधिकारियों के पास शिकायत की ? अगर हां, तो कब और उन पर क्या एक्शन लिया गया ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) केवल तीन हैं (१) बिरामी (२) बेलार (३) पोभावा।

पटवारी व तहसील इनकी निगरानी करते हैं।

Page No.4

(श्री सम्पतराम)

गत तीन वर्षों से ये जोड़ सम्बन्धित पंचायतों को मवेशी चराने के वास्ते सुपुर्द किये गये। औसत आय १४६ रु० ५० न. पैसे हुई।

(२) ऐसी एक शिकायत हुई थी जिस पर फसल ले जाने का हुक्म एस. डी. ओ. ने दे दिया था। आगे जांच की जा रही है।

(३) जी हां। यह शिकायत ता० २१.११.१६५८, को की गई। उस पर फसल ले जाने का हुक्म दिया गया था। तथा बाकी कार्यवाही नियमानुसार करने का आदेश तहसीलदार को दिया गया। आगे जांच की जा रही है।

श्री बेनाराम गहलोत : यह आदेश कब दिया गया ?

श्री सम्पतराम : इसकी तारीख मेरे पास नही है।

ग्राम सेवकों के लिए शुतर सवारों की व्यवस्था

४०१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में किस किस ब्लॉक को डजर्ट मान कर ग्राम सेवकों को शुतर सवार दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या जिला जालौर के सांचोर ब्लॉक को डजर्ट ब्लॉक घोषित किया है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि उनके पास काफी एरिया होने के कारण कई गांवों में अभी तक कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है और उनके पास शुतर सवार की व्यवस्था न होने के कारण पैदल कई गांवों में नहीं पहुंच सके हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार ब्लॉक की जनता को फायदा पहुंचाने के लिये ग्राम सेवकों को शुतर सवार की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) उन ब्लॉक्स की सूची जहां के ग्राम सेवकों को शुतर सवार दिये गये हैं, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। कारण इस विकास खंड में अन्य खंडों के मुकाबले में जहां शुतर सवार दिये गए हैं, आवागमन कठिन नहीं है और प्रति वर्ग मील ग्रामीण आबादी भी अधिक है।

(३) क्षेत्रफल का अधिक होना या शुतर सवारों का न होना ही कोई कारण नहीं कि कोई गांव बिना किसी विकास कार्य के रह जाए या उस गांव में अब तक विकास खंड का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा हो। फिर भी यदि ऐसा कोई उदाहरण दिया जाये तो जांच की जायगी।

(४) जी नहीं। जैसा कि अभी कहा गया है इस क्षेत्र में आवागमन कठिन नहीं है। इसके अतिरिक्त इस विकास खंड में १० के बजाय १२ ग्राम सेवकों की व्यवस्था है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : डजर्ट ब्लॉक किन किन कारणों से घोषित किये जाते हैं ?

Page No.5

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया आपसे कि गांव दूर २ हों और डेंसिटी ऑफ पोपुलेशन कम हो, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : दूर दूर कितना दो माइल, चार माइल, ६ माइल या १० माइल ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो अलग-अलग जगह के फैक्टर्स को अलग-अलग तरह से कन्सीडर किया जाता है। कितने डिस्टेन्स पर गांव हैं, डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन, कहां कम है, कहां ज्यादा है, आवागमन के साधन कम हैं। डजर्ट एरिया आपका भी हो सकता है, पर जिन दूसरे एरियाज़ को प्राथमिकता दी गई है व मुकाबले आपके एरिया के, उनमें आवागमन के साधन नहीं हैं तथा अन्य दूसरे साधन नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

स्कूलों के भवन

४०२. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को यह विदित है कि बड़े शहरों में स्कूलों के भवन सरकार स्वयं बनवाती है ?

(२) क्या सरकार को यह भी विदित है कि ग्रामों में जैसे कि फागी और दूदू तहसीलों में स्कूलों के हेतु भवन निर्माण का आधा खर्च स्थानीय जनता को जुटाना पड़ता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों के भवन स्वयं बनवाने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मंत्री की ओर से) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस मामले में मैंने पहले भी सवाल उठाया था, ५०-४० मील की चौड़ाई में, मालपुरा से जोबनेर, किशनगढ़ से जयपुर तक मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में एक भी हाई स्कूल नहीं है। थोड़े ही हाई स्कूलों की मंजूरी दी जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह गरीब जनता का हिस्सा है, थोड़े से भी रुपयों की कमी रह जाती है तो वहां हाई स्कूल के लिये मंजूरी नहीं मिलती है। फागी, बगरू ये बड़े बड़े कस्बे इस इलाके में हैं, पर इनमें और सांगानेर तक में कोई हाई स्कूल नहीं है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि एक एक साल में एक एक जगह एक एक हाई स्कूल खोला जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह था कि गांवों में सरकार आधा पैसा लेकर स्कूल खोलती है और शहरों में शहरों की जनता से एक भी पैसा नहीं लेती और वहां पर स्कूल सरकार अपनी ओर से अपने पैसे से खोलती है, इसका उत्तर मिनिस्टर महोदय फरमायें कि यह भेदभाव की नीति क्यों बरती जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी थी वह सूचना

Page No.6

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैंने दे दी है कि ठीक है। उनका फरमाना है कि उनकी कॉन्स्टिट्युएन्सी में हाई स्कूल नहीं खुलते तो, मैं इसको ध्यान में रखूंगा और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब हाई स्कूलें खोलने के बारे में निर्णय करें तो इस बात को भी ध्यान में रखें।

माननीय सदस्य जो यह पूछ रहे हैं कि शहरों में सरकार सारा खर्चा क्यों देती है और ग्रामों में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता से सहायता क्यों लेती हैं। मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता से सहायता प्राप्त होती है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट इस स्थिति में नहीं है कि सारी प्राथमिक शालाएं अपने खर्च से बना सके। शहरों में भी कोऑपरेशन मिले तो पब्लिक सेक्टर से सहयोग लेती है।

श्री मदनसिंह : प्रश्न यह है कि गांवों में जबरदस्ती मदद ली जाती है....

श्री दामोदरलाल व्यास : जबरदस्ती का तो पहले का जमाना याद रह गया होगा माननीय सदस्य को, आज कल तो जबरदस्ती नहीं की जाती।

श्री मदनसिंह : ये शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण काम है, और आप राजस्व मंत्री हैं शायद आपको पूरा पता नहीं हो। गांवों में उसी जगह हाई स्कूल के भवन का निर्माण होता है जहां आधा खर्चा जनता देती है और शहरों में सारा खर्चा सरकार देती है, जनता से पैसा नहीं लेती, पर गांवों में तो यह कम्पल्सरी है कि जहां जनता आधा खर्चा देगी वहीं पर हाई स्कूल खोला जायगा। होना तो यह चाहिये था कि शहरों में जो चीज़ है वही चीज गांवों में भी हो। प्रजातन्त्र में यह फर्क क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं पुराने जमाने का जिक्र कर देने से संतोष नहीं होगा, पुराने जमाने में तो राजा हमारी तरफ से सारा खर्चा देते थे, जनता से कुछ नहीं लिया जाता था।

श्री दामोदरलाल व्यास : जबरदस्ती के लिये कहा, इसलिये मैंने बताया कि जबरदस्ती तो पुराने जमाने में की जाती थी। बाकी यह सही है कि आधा खर्चा पब्लिक सेक्टर से सहयोग मिले, वहां सहायता दी जाती है, जहां पब्लिक का कोऑपरेशन ज्यादा होगा वहां प्राथमिकता दी जायगी।

श्री शिवचरणदास (रायपुर) : क्या इस तरह के नियम बने हुए हैं कि इससे अधिक योग सरकार की तरफ से, प्राइमरी स्कूल्स के लिये और इससे ज़्यादा सहयोग हाई स्कूलों के लिये सरकार की ओर से नहीं दिया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात ठीक है कि कुछ ब्लॉक्स में नियम बने हुए हैं कि प्राइमरी स्कूलों के लिये कितना खर्चा सरकार को देना है और कितना ब्लॉक को देना है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा तो यह सवाल था कि रेज़िडली इस बात के लिये तरीका बैठाया जाता है, समय कम है पर बड़ी दिक्कत का प्रश्न है कि २० हजार इकट्ठा जहां इकट्ठा करना हो वहां जनता १६ हजार रुपये ही इकट्ठा कर पाती है और इस कारण वहां पर हाई स्कूल नहीं खोला जाता, राजस्व मंत्रीजी के इलाके के पास ही है, इससे वे

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

खुद जानते हैं, यह इलाका ग्रेनरी ऑफ राजस्थान है, वहां इस बात की बड़ी रेज़िडली कोशिश की जाती है पर १ हजार रुपये की भी कमी रह जाती है तो वहां हाई स्कूल नहीं खोला जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में और बड़े बड़े सेठ साहूकारों के बड़े बड़े टाउन हैं उनमें एक एक जगह दस, दस हाई स्कूल्स हैं ...

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह कट मोशन्स माननीय सदस्य ने रखे होंगे, उस वक्त ये बातें रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझ से तो जो वे सूचना चाहें, वह दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा के अनुदान की मांग के समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : क्या यह सही है कि कई भवन अधूरे पड़े हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री शिवचरणदास : तो क्या सरकार कभी यह महसूस करती है कि सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलने से, वे भवन अधूरे पड़े हुए हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जी नहीं सरकार की तरफ से पूरा योग मिलता है, जनता ने ही पूरा योग नहीं दिया होगा, जिस वज़ह से भवन अधूरे रह गये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने तो इसका पूरा उत्तर दे दिया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के रूप में हम इस पर बहस नहीं कर सकते।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : प्रश्न साफ था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तो यह कम्पल्सरी रखा गया है कि जहां भवन निर्माण होता है उसमें आधी रकम वहां के गांव वाले दें तो स्कूल खोला जायगा और शहरों में यह चीज़ लागू नहीं होती। इस प्रकार की भेद भाव की नीति क्यों बरती जाती है, इसी भेद भाव की नीति के बारे में पूछा गया है। इसका जवाब आप नहीं दे सके तो एज्युकेशन मिनिस्टर साहब देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब मैंने दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

तहसील चाकसू के अग्नि पीड़ित ग्रामों को सरकारी सहायता

४०३. **श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट सु.): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील चाकसू जिला जयपुर में कितने ग्रामों में सन् १९५६–५७, १९५७–५८ व १९५८–५९ में अग्निकाण्ड हुए और कितने ग्रामों में सरकार की तरफ से सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन ग्रामों को सहायता नहीं मिली है उसका क्या कारण है ?

Page No.8

क्या सरकार उनको अब सहायता देने का इरादा रखती है ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) तहसील चाकसू में सन् १६५६–५७, ५७–५८ व ५८–५६ में आग लगी :

सन्	संख्या ग्राम
१६५६ – ५७	२
१६५७ – ५८	१८
१६५८ – ५६	१४
	३४

इनमें से सरकार ने तीन ग्रामों को सहायता दी सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) कुछ ग्रामों में तो ऐसा नुकसान ही नहीं था जिनमें सहायता देना आवश्यक हों एवं कुछ लोगों ने सहायता के लिये प्रार्थनापत्र नहीं दिये अतः सहायता नहीं दी गई।

(कृपया परिशिष्ठ २ देखिये)

श्री नाथूलाल करोल : मेरा प्रश्न यह है मन्त्री महोदय से कि जिन ग्रामों में आग लगी और उन लोगों को सहायता नहीं दी गई, उनको अब सहायता देने का सरकार विचार रखती है या नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जिन ग्रामों में आग लगी हो वहां जो लोग सहायता चाहते हों उनको नियम के अनुसार प्रार्थनापत्र देना पड़ता है। नियमानुसार प्रार्थना पत्र आता है तो उनको उनके प्रार्थना पत्रों पर विचार करके सहायता दी जाती है। अगर किसी ने प्रार्थनापत्र दिया होगा और उनके प्रार्थनापत्र पर निर्णय नहीं लिया गया होगा, तो उन प्रार्थनापत्रों पर विचार करके सहायता देने का निर्णय लिया जायगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : प्रश्न यह है कि जहां आग लगी है, वहां सहायता दी गई है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन ग्रामों में आग लगी, उनमें से कुछ ग्राम तो ऐसे थे कि वहां नुकसान नहीं हुआ। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रार्थनापत्र ही नहीं दिये। नियम बना हुआ है कि जहां आगजनी से नुकसान हो तो वे सहायता के लिये प्रार्थना पत्र दें। जिनके प्रार्थनापत्र आये हैं, उनको सहायता मिली है।

श्री मदनसिंह : यह सहायता कब मिली ?

श्री दामोदर लाल व्यास : किस गांव के लिये आप पूछ रहे हैं ?

(हंसी)

श्री मदनसिंह : जिन ग्रामों को आप बता रहे हैं।

प्रश्न संख्या ४०४

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

राज्य, सैल्स टैक्स विभाग में इन्टेलीजेन्स विभाग

४०५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Finance Minister be pleased to state:—

(1) Is it correct that the State Sales Tax Department has got an intelligence section ? If so, since when it is functioning, what is the status of the person incharge of this section and what is the strength of its personnel ?

(2) In what areas of the State the section has taken census of dealers ? The total number of dealers with a turnover of Rs. 5,000/- and above in each district, as recorded by the section, may please be stated ?

उप मन्त्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (१) जी हां। यह विभाग सन् १९५३ से चलता आ रहा है सेल्स टैक्स तथा आबकारी दोनों का काम देखता है। इसमें १० इन्सपेक्टर हैं जो एक वरिष्ठ इन्सपेक्टर के नीचे सैल्स टैक्स का काम करते हैं।

(२) इस विभाग ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है क्योंकि सर्वेक्षण करना इसके कार्य क्षेत्र में नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : इसके कार्य क्षेत्र में क्या है ? What is their scope of their activities ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The scope of activities of these Inspectors is that they have general check up as regards there is any investigation or anything. But in fact there are seperate inspectors in the Sales Tax Department and they carry out the particular survey as to how many people are registered. They are seperate inspectors in the Sales Tax Department and they carry out the survey.

श्री पी० के० चौधरी : How many dealers over five thousand are registered uptil now ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is a long list and it varies from time to time, because there cannot be one particular list...

श्री पी० के० चौधरी : We have asked for the latest list ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have got the latest list.

श्री पी० के० चौधरी : I have asked in the question...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Mr. Speaker, he wanted the census to be carried out by the Intelligence Section. This is no part of the intelligence. But this is the part of the duty of the Sales Tax Inspector. They carry out the particular survey...

श्री पी० के० चौधरी : How many cases of evasion have been detected by the Intelligence Section ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is a seperate question. This part is of

Page No.10

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

their duty to detect if there is any kind of evasion.

ज़मीन की पैमाइश की जरीबें

४०६. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान के विभिन्न भागों में ज़मीन की पैमाइश के लिए पृथक पृथक नाप की ज़रीबें हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार समूचे प्रान्त के लिए एक सी ज़रीब निश्चित करने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। विभिन्न रियासतों में जिस जिस तरह की ज़रीबें चालू थीं, वही अब तक कायम रही हैं। ज़रीब बदलने की अब तक कोई आवश्यकता सामने नहीं आई।

(ख) मैट्रिक प्रणाली लागू होने पर सारे पैमाने एक हो जावेंगे।

श्री रामेश्वरदयाल : किस किस नाप की ज़रीब किस किस ज़िले में है ?

श्री सम्पतराम : धौलपुर, प्रतापगढ़ १५० फीट, जयपुर, टौंक, अलवर, बीकानेर (नोन खालसा एरिया) १६५ फीट। बीकानेर खालसा १२७॥ फीट, किशनगढ़, बून्दी, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, कोटा, झालावाड़ एन्ड उदयपुर, इनमें अलग अलग तरीके से हैं, कहीं १५२, कहीं १६५ और कहीं १३२ फीट हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : इस भिन्नता से सरकार को क्या फायदा है और एक ही ज़रीब सारे राजस्थान में लागू करने में क्या नुकसान है ?

श्री सम्पतराम : पहले अलग अलग ज़रीबें थीं, और उससे पहले से ही लोग अकस्टम्ड थे, इसलिए बन्द करने से कोई लाभ नहीं है। मैट्रिक प्रणाली लागू हो गई है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जावेगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : युनिफॉर्मिटी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वे स्वीकार करते हैं कि मैट्रिक प्रणाली के अनुसार ठीक कर दिया जावेगा।

श्री रामेश्वरदयाल : यह स्टेन्डर्ड ज़रीब कब तक लागू कर दी जायगी। इसका एकीकरण क्यों नहीं किया जाता, राजस्थान बने हुए दस वर्ष हो गये, तब भी एक स्टेन्डर्ड ज़रीब ही क्यों नहीं किया जाता ?

मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : जब एकड़ की जरूरत पड़ती है तो स्टेन्डर्ड से ही किया जाता है। जहां भी सैटलमेंट हुआ है वहां की जरूरत के हिसाब से हुआ है और उन्हीं पर सब कागज़ात हैं अब उनको बदलना जरूरी नहीं है। यह मैट्रिक प्रणाली चालू हो गई है तो सारे ज़रीबों का एक ही मेजरमेंट हो जावेगा अलग अलग नहीं रहेगा आगे के लिए। पुरानों को नई प्रणाली से वापिस किया जाय इसकी आवश्यकता नही है। फैलावट करके अब भी किया जाता है।

Page No.11

श्री शिवचरणदास (मांडल) : राजस्थान में कुल कितने प्रकार के ज़रीब हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बता चुका हूं।

श्री रामेश्वरदयाल : इससे बचने के लिए यह क्यों नहीं कर दिया जाता कि एक स्टेन्डर्ड ज़रीब ही सारे राजस्थान के लिए कायम कर दिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not the question of objection. It is a question of survey.

केल्कुलेशन ही तो करना पड़ेगा। लेकिन अब इस बेसिस पर ही पुराने सैटलमेंट के सारे कागजात को ही इस पर तब्दील कर दिया जाय यह पोसिबल नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : किस किस एरिया में क्या क्या ज़रीबें हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका पहले ही जवाब दे दिया गया है। यदि ध्यान से सुनते तो पता लगता।

श्री रामेश्वरदयाल : जहां अब करने जा रहे हैं, वहां स्टेन्डर्ड ज़रीब से करें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुराने जितने सर्वे हुए हैं वे अलग अलग युनिट्स में जो वहां ज़रीब प्रचलित थी उनसे हुए हैं। अब भी स्टेन्डर्ड ज़रीब से फैलावट कर ली जाती है।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या इससे रेवेन्यु में फर्क नहीं आता ?

श्री दामोदरनाथ व्यास : कतई नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी।

बांदीकुई ब्लॉक में उद्योग अधिकारी तथा इंस्पेक्टर संबंधी

४०७. **श्री बी० एन० जोशी** (बांदीकुई) (डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Minister for Industries be pleased to state:—

(a) Is it a fact that there is no extension Officer or Inspector for Industries in the Bandikui Block for the last many months ?

(b) It is further a fact that the officer whose training expenses were met from the Bandikui Block Budget has now been posted in some other Block, if so, why ?

(c) Will the Government arrange for the early posting of a trained and experienced Industrial extension Officer in the Bandikui Block so as to prevent further loss of work in the sphere of industries in that Block.

उप मंत्री, उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल : (a) Yes, because Shri J. P. Yadav, Extension Officer (Ind.) posted at Bandikui Block is under training since May, 1958.

(b) Previously Shri C. B. Nashishtha was posted in this Block since 16-11-57. He was deputed for train-

Page No.12

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

ing in Jan. 58 for one year. The paper posting of Shri Vashishtha was made at Rashmi Block so that he may get his salary against the created post of that Block. Shri J. P. Yadav was appointed and posted at Bandikui Block on 28-2-58. As per phased programme of training Shri J. P. Yadav who was un-trained, had to be sent for training of Extension Officer (Ind.) in May, 1958. He is receiving his salary and is still posted at Bandikui Block. He is expected to be back after completion of his training in May, 1959 and will join his duty in Bandikui Block.

(C) As indicated above Shri J.P. Yadav will return in May, 1958, to join his duty. At present 37 extension Officers are under training and it will not be possible for the State Govt. to post Extension Officers before May, 1959.

प्रश्न संख्या ४०८

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०९

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

कांच चूड़ी पर बिक्री कर

४१०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) एवं (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि राजस्थान में कांच-चूड़ी पर बिक्री कर लगता है ? यदि हां, तो कब से और कितना ? उससे सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ?

(२) सरकार कांच-चूड़ी को जीवन की आवश्यकता (नेसेसिटी) मानती है या विलास सामग्री (लग्ज़री) ? उसकी मान्यता का आधार क्या है ?

(३) यह सच है कि कांच चूड़ी उद्योग देश का एक माना हुआ कुटीर उद्योग है तथा उसी के आधार पर अन्य प्रान्तों ने कांच-चूड़ी को बिक्री कर से मुक्त रखा है ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को कोई स्मृति-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उस पर विचार कर, सरकार कांच चूड़ी को बिक्री कर से मुक्त करेगी ?

उप मंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (१) कांच की चूड़ियों पर बिक्री कर लगता है जिसकी वर्तमान दर दिनांक १-४-५८ से ७ प्रतिशत है । आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(२) यह व्यक्ति विशेष की राय पर निर्भर है ।

(३) कांच-चूड़ी-उद्योग कुटीर उद्योग है । किसी आधार पर अन्य राज्यों ने कांच की चूड़ी को बिक्री कर से मुक्त कर रखा है ।

(४) जी हां । स्मृति पत्र में उल्लिखित

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

बातों पर विचार करके उचित निर्णय लिया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न २ के उत्तर में बताया गया कि यह व्यक्तिगत राय पर निर्भर है, लेकिन मैंने जानना चाहा कि सरकार की इसमें क्या राय है कि यह लग्ज़री है या नेसेसिटी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर फैशनेबल चूड़ियां हैं, तो लग्ज़री में आ आ जायेंगी और अगर फैशनेबल नहीं है तो नेसेसिटी में आ जायेंगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह मान कर चली है कि कुछ फैशनेबल चूड़ियां हैं तो उन पर तो इतना आय कर लगेगा या सब पर ही इतना लगेगा ? बाकी की चूड़ियों पर बिक्री कर लगाने का क्या आधार रहा है ? इसको ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, नेसेसिटी भी मानते हैं तो फिर टैक्स क्यों लगाते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कुछ चूड़ियें जो राजस्थान में नहीं बनती, कुटीर उद्योग में नहीं है। दूसरी लाख की चूड़ियां जिसके ऊपर नगीने लगते हैं और जिनको राजस्थान के कुटीर उद्योग में सम्मिलित किया गया है, उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। कुछ चूड़ियां जो यू० पी० से बनकर आती हैं उस पर सेल्स टैक्स लिया जाता है। पहले भी इन पर कस्टम ड्युटी लगती थी और कुछ स्टेटस में सेल्स टैक्स भी लगता है जैसे बंबई के अन्दर दो आने की ऊपर की चूड़ी पर सेल्स टैक्स लिया जाता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह सौभाग्य का चिन्ह है इस पर सरकार जो टैक्स लेती है वह समाप्त नहीं कर सकती ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह ऐसा टैक्स नहीं है जो केवल स्त्रियों पर ही लगता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर आदमी भी चूड़ियां पहनने लग जाय तो उन पर भी लगने लगेगा।

श्री मदनसिंह : क्या सरकार इस टैक्स को वाजिब समझती है जो केवल स्त्रियों पर ही लगता है जबकि अन्य राज्यों में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

कस्टम विभाग के नाकेदारों की पटवारियों के पद पर नियुक्ति

४११. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि कस्टम्स विभाग के नाकेदार एब्ज़ोर्ब करके पटवारियों में लिये गये हैं परन्तु उनकी सीनियोरिटी तारीख अपॉइन्टमेन्ट कस्टम विभाग से नहीं मानी गई है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : जी नहीं। नये आदेशानुसार कस्टम विभाग के नाकदारों को जो पटवारियों में लिये गये सीनियोर्टी के मामले में कस्टम विभाग में नियुक्ति से ही माना गया है।

गर्ल्स हाई स्कूल किशनगढ़ के कर्मचारियों का बकाया वेतन

४१२. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़)

(डॉ० बहादुरसिंह)

(डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ में कितनी अध्यापिकाओं का व दीगर कर्मचारियों में से किस किस का तथा कितने कितने माह का वेतन बाकी है ?

(२) इस वेतन के बकाया रहने का क्या कारण है ?

(३) अब यह वेतन कब तक दे दिया जावेगा।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) (१) दो अध्यापिकाओं का एक माह का तथा एक का तीन माह का तथा एक चपरासिन का ७ माह का वेतन देना बाकी है।

(२) दो अध्यापिकाओं ने बीमा सम्बन्धी सूचनायें समय पर प्रेषित नहीं की। एक अध्यापिका की नियुक्ति अस्थायी तौर पर प्रसूति अवकाश पर एक अध्यापिका के स्थान पर हुई है, उस अध्यापिका का प्रसूति अवकाश विचाराधीन होने के कारण वेतन में देरी हुई है।

एक चपरासिन सरप्लस होने से छटनी में आ गई थी, वह पुन: पदों की स्वीकृति आने पर नौकरी में ले ली गई है। इसी कारण देरी हुई।

(३) इस माह के अन्त तक बकाया वेतन भुगतान कर दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ४१३

श्रीअध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

जिला अजमेर में भूमि वितरण कमेटी द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण

४१४. **श्री हजारीलाल बकोलिया** (केकड़ी सु.) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अजमेर जिले में भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण हेतु भूमि वितरण कमेटियां नियुक्त की गई हैं ?

(२) यदि हां, तो उक्त ज़िले में तहसील वाइज़ आज तक कुल कितनी भूमि अलॉट की गई है।

(३) उक्त भूमि वितरण में अनुसूचित जाति के किन किन और कितने किसानों को भूमि दी गई है ? नाम गांव व जाति बताने की कृपा करेंगे ?

(४) क्या भूमि वितरण कमेटियों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) जी हां।

(२) तहसील वाइज़ भूमि वितरण का विवरण निम्न प्रकार है :

केकड़ी तहसील ३०००० एकड़।

सरवाड़ ,, १२१५

(श्री सम्पतराम)

अजमेर ,, ५०
ब्यावर ,, ६६५६
किशनगढ़ ,, ७८०॥
अराई ,, २४२०॥।

(३) उपरोक्त भूमि में से अनुसूचित जातियों के किसानों को जो भूमि दी गई है उसका तहसील वाइज़ विवरण निम्नांकि है।

केकड़ी तहसील ७७५ व्यक्ति
सरवाड़ तहसील ७२ व्यक्ति
ब्यावर तहसील ३०१ व्यक्ति
किशनगढ़ तहसील ८७ व्यक्ति।
अराई तहसील १०२ व्यक्ति

नाम, गांव, जाति तथा भूमि जो दी गई है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(४) केकड़ी उपखंड की भूमि-वितरण कमेटी में भी हजारीलाल बकोलिया जो कि अनुसूचित जाति केहैं, नियुक्त किये है। अजमेर, ब्यावर, व किशनगढ़ उप खंडों की भूमि वितरण कमेटियों में कोइ अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है क्यों कि भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, १६५७ के अन्तर्गत ऐसा कोई आवश्यक प्रावधान नहीं है।

सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई

श्री हज़ारी लाल बकोलिया : क्या अनुसूचित जाति के लिए कुछ पर्सेन्टेज़ भूमि का नियुक्त किया था ?

श्री सम्पतराम : २५ प्रतिशत सारे राजस्थान में।

श्रीहज़ारी लाल बकोलिया : क्या यह कोटा के अनुसार पूरा वितरण हो गया है ?

श्री सम्पतराम : जो कोटा रखा जाता है, जितने प्रार्थना पत्र और जितनी जमीन उपलब्ध होती है उतनी जमीन देने का प्रयत्न किया जाता है और जहां तक सम्भव होता है उसी अनुपात से दिया जाता है।

श्री हज़ारी लाल बकोलिया : क्या यह सही है कि जो भूमि दूसरों को दी गई है उसकी बनिस्बत खराब भूमि शिड्यूल्ड कास्ट वालों को दी गई है ?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार की बात नहीं, इसके डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं। किस किस जगह किस किस को कैसी कैसी जमीन दी गई ?

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : व्यक्तिगत अलॉटमेन्ट बन्द करके क्या सरकार सहकारी समितियों को अलॉटमेन्ट कर रही है ?

राजस्व मंत्री श्री दामोरलाल व्यास : जी हां।

श्री हज़ारीलाल बकोलिया : क्या यह सही हैं कि जो जमीन अलॉट हुई है शिड्यूल्ड-कास्ट वालों को, वह जमीन रद्दी थी। आगामी वितरण के समय क्या इस बारे में ध्यान रखा जायगा कि उनको अच्छी जमीन मिले ?

श्री सम्पतराम : किसी प्रकार की अनियमितता को ध्यान में लाया जाता है तो

(श्री सम्पतराम)

उस पर मजबूती से विचार किया जाता है। खास प्रकार के एग्ज़ाम्पल्स बताये जांय तो उस मामले को ठीक किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो सहकारी समितियां नहीं बनायेंगे क्या उनको जमीन का अलॉट-मेन्ट नहीं दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस वक्त जो आदेश जारी किये गये हैं उसके अनुसार सहकारी समितियों को ही अलॉटमेन्ट किया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सहकारी समि-तियों को जो जमीन अलॉट होगी क्या उनको भी अलोटमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर कर रखी है कमेटी द्वारा रिपोर्ट आने पर सरकार रूल्स के अन्दर अमेन्डमेंन्ट करेगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इन्डिविज्युअल और सहकारी समितियों के जमीन अलॉट करने के अलग अलग तरीके होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार जो अब नीति अपनाना चाहती है उसके मुताबिक सहकारी समितियों को ही लैन्ड अलॉट की जायगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़):—तो इससे बिल्कुल साफ है कि जो व्यक्तिगत खेती है उसको मजबूर किया जाय कि वह सहकारिता के आधार पर खेती करें इस तरह से व्यक्ति-गत स्वतन्त्रता कहां रही।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी को मजबूर करने का सवाल नहीं है इसके द्वारा न किसी को मजबूर किया ही जा सकता है और न मजबूर करने का विचार ही है।

श्री मदन सिंह : तो यह मान लिया जाय उन रूल्स के विपरीत किसी को जमीन नहीं दी जायगी ?

श्री दामोदर लाल व्यास : बिल्कुल बन्द कर दी गई है।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह केवल कृषि योग्य भूमि के लिये ही है या रिहायशी भूमि पर भी यह नियम लागू होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल कृषि योग्य भूमि के लिये है।

श्री हजारी लाल चकोलिया क्या इसके अनुसार सारे राजस्थान में अलॉटमेन्ट बन्द कर दिया गया है।

श्री दामोदर लाल व्यास : जी हां।

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर) : क्या गंगानगर इलाके में भी भूमि अलॉटमेन्ट बन्द कर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां भाखरा प्रोजेक्ट सम्बन्धी जो रूल्स है उसके अन्तर्गत अलॉटमेन्ट हो रहा है।

श्री रामेश्वर दयाल (कोटा) : Is it not encroachment upon the Society agains the principle of decent ralisa-tion ?

श्री अध्यक्ष : There is no encroach-ment. Stay orders have been ossued.

(श्री अध्यक्ष)

the Government is considering the issue of unified rules for allotment.

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर किसी गांव में छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको सहकारिता के आधार पर दिया जायगा जो कमेटी मुकर्रर हुई है वह रूल्स बनावेगी। वह इस बात पर विचार करेगी कि छोटे छोटे टुकड़ों को किस तरह से अलॉट किये जांय।

श्री लक्ष्मीचंद : उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आजावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी महीने की आखिर तक और अगले महीने में रूल्स पब्लिश होने चाहिये।

श्री हजारीलाल बकोलिया (केकड़ी-सु०): भूमि अलॉटमेन्ट कमेटियां जो तहसील-वाइज बनाई गई हैं और उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की भूमि अलॉट नहीं की है क्या उन पर भी ये नियम लागू करना न्यायप्रद है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलॉटमेन्ट कमेटियां १९५५ में मुकर्रर की थी और इस प्रकार का स्थगन आदेश १९५९ में दिया।

श्री हजारीलाल बकोलिया : कितनी ही तहसीलें ऐसी हैं जिनमें भूमि बिल्कुल अलॉट नहीं हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां के मेम्बर बिल्कुल एक्टिव नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : यह जो रोक लगाई गई है केवल पर्मानेन्ट कल्टीवेशन पर है या टेम्प्रेरी कल्टीवेशन पर भी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के लिये कोई रूल्स नहीं हैं जो अलॉटमेन्ट होता है वह पर्मानेन्ट होता है। टेम्प्रेरी अलॉटमेन्ट कोलोनाइजशन एक्ट के तहत ही होता है। वहां के रूल्स अलग हैं।

श्री अध्यक्ष : ईयर टू ईयर बेसिस पर दी जाती है उनकी क्या पोजिशन होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कमेटी की रिपोर्ट आने पर टेम्प्रेरी अलॉटमेन्ट के लिये क्या पॉलिसी होगी यह उस समय फाइने-लाइज किया जायगा।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : जिन लोगों को आपके स्थगन आदेश से पहले जमीन अलॉट कर दी गई और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी रह गई तो क्या बाद में उन पर भी वे ही रूल्स लागू होंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलॉटमेन्ट कमेटी जो मुकर्रर की है वह नियम बनायेगी उसके बाद सरकार उसमें परिवर्तन करेगी। यदि उसके बाद भी ऐसे कोई केसेज होंगे तो उनको उसके मेरिट्स पर विचार किया जायगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पूछने का मतलब यह है कि पहले जो भूमि अलॉट हो गई है उस पर यह कैसे लागू होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो हर केस के मैरिट्स और डिमैरिट्स पर तय होगा। पर हाईपोथिकली बात का मैं जवाब देने में मजबूर हूँ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : राजस्थान कैनाल पर इन्डिविजुअल को क्यों जमीन दी जावेगी ?

Page No.18

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके कॉलोनाईजेशन के नियम अलग हैं और वहां भी केवल टेम्प्रेरी अलॉटमेंट हो रहा है, पर्मानेन्ट नहीं।

श्री सूबेदारसिंह : क्या वहां सहकारिता का असर नहीं होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सहकारिता को तो हर जगह पनपाया जावेगा।

श्री सूबेदारसिंह : टेम्प्रेरी अलॉटमेंट करने से किसानों को परेशानी होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह एरिया ही ऐसा है। टेम्प्रेरी अलॉटमेंट भी लोग लेनेवाले नहीं हैं।

श्री हजारीलाल बकोलिया : मैं कह रहा था १५ तहसीलें हैं, उनके चेयरमैन तहसीलदार हैं। मीटिंग नहीं रखी अलॉटमेंट की। ३।४ में अब रखी है वह भी प्रश्न पूछने वाले सदस्य के पूछने के बाद। उसमें भी जबर्दस्ती से जो भूमि लेने को तैयार नहीं थे उनको रेज़ोल्यूशन पास करवा कर और जबर्दस्ती पेपर भरा कर दी गई। उसकी जांच कराई जावेगी तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल।

तहसील भादरा में बागायत के लिये रिजर्व भूमि

३८६. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु०) क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील भादरा में कितनी जमीनें बागायत के लिये रिजर्व की गई हैं और इसमें कितनी हरिजनों की हैं ?

(२) क्या यह सच है कि आज तक किसी भी हरिजन को तबादले की भूमि के निशान नहीं दिये गये ?

(३) क्या यह सही है कि बागायत में आई हुई हरिजनों की भूमि नीलाम कर दी गई है और उनको नई जमीन नहीं दी गई ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) तहसील भादरा में बागायत के लिये कुल १,४२३ बीघा, १५ बिस्वा जमीन रिजर्व की गई है जिसमें से ३११ बीघा, १० बिस्वा हरिजनों की है।

(२) हरिजनों को तबादले में दी गई भूमि के निशानात सन् ५७ से पहले दिये जा चुके हैं।

(३) बागायत में आनेवाली हरिजनों की जमीन हरिजनों ने ही काश्त कर रखी हैं और उनकी पर्चियां आराजी तकसीम की जा चुकी हैं। किसी भी हरिजन का रकबा नीलाम नहीं किया गया है।

श्री धर्मपाल पंवार : अब से पहले तो किया गया था।

श्री सम्पतराम : नहीं जी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री किशनाराम

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार

गांवों में चौधरियों को नहीं रखने सम्बन्धी नियम

३९०. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु०): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने गांवों में चौधरियों (पटेलों) को नहीं रखने का फैसला किया है ? यदि हां, तो उक्त विषय में सरकार कब तक नियम लागू कर देगी ?

(२) क्या यह सही है कि जागीर एरियां के गांवों में चौधरी नहीं बनाये जाने का हुक्म जारी किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, अतः नियम लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित

भाखरी क्वेरी के स्टाफ से बीमा की कटौती

३९१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या खान भाखरी के स्टाफ के लिये माइनिंग एण्ड जीओलोजी विभाग के नियम लागू नहीं हैं ? अगर हैं, तो क्या उनसे बीमे की कटौती की जाती है ?

उप मन्त्री, खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : माइनिंग और जियोलोजी विभाग में अलग से इसके लिये कोई नियम नहीं हैं ।

भाखरी का स्टाफ वर्क चार्ज स्टाफ है इसलिये जनरल सर्विस रूल्स उन पर लागू नहीं होते । उनसे बीमे की कटौती नहीं की जाती ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

तहसील चाकसू को टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिलाना

३९३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील चाकसू टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या चाकसू को सब–डिविजनल हैड क्वार्टर बनाने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ?

उपमन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियुक्त कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं वे लोक हित की दृष्टि से अभी गोपनीय हैं । अतः यह सूचना देना समयानुकूल नहीं है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भाखरी क्वेरी के स्टाफ की पे स्केल्स

३९४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान सरकार ने ५०–४–९० ई० बी० ५–१०० का पे स्केल सन् १९५० अप्रेल से भाकरी क्वेरी के स्टाफ को दिया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : नहीं। भाखरी स्टाफ वर्क चार्ज स्टाफ है। अतः यूनीफाइड पे स्केल उन पर लागू नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डागा।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचंद डागा।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ग्राम जकसायपुरा में अग्नि पीड़ितों को सहायता

३९८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील दौसा के अन्तर्गत ग्राम जकसायपुरा के किसानों के समस्त घर आग लगने से जल गये थे और उसकी सूचना सरकार के उच्च अधिकारियों को मिल चुकी थी ?

(२) यदि हां, तो उन किसानों को सहायता क्या दी गई थी ?

(३) सहायता न मिलने पर किन किन उच्च अधिकारियों के पास कब कब उन्होंने दर्ख्वास्तें पेश की ?

(४) क्या सरकार अब उन किसानों को सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) जी हां, ग्राम के २४ आदमियों की ओर से ४–२–५८ को ऐसी दर्ख्वास्त आई थी कि उनके घर आग लग जाने से जल गये थे। सूचना तहसीलदार दौसा को मिल गई थी।

(२) आग लगने की सूचना मिलने पर नियमानुसार जांच की गई और जांच की कार्यवाही शुरू कर दी गई पर जांच कार्य समाप्त नहीं होने से अभी तक सहायता नहीं दी गई।

(३) ऐसे कोई आवेदन पत्र किसी को नहीं मिले।

(४) जांच कार्य समाप्त होने पर आवश्यकता हुई तो सहायता दी जावेगी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : न जांच कर रहे हैं, न सहायता दे रहे हैं, न कुछ आश्वासन ही मिल रहा है। आज तक कोई जांच नहीं करवाई गई। आप जांच पूरी नहीं होने की बात कह रहे हैं, जांच करवाई ही नहीं जा रही है।

श्री सम्पतराम : अभी जांच पूरी नहीं हुई है।

(हंसी)

और न हमारे पास कोई दर्ख्वास्त पहले आई है। आप सूचना दे रहे हैं तो अब इस पर

(श्री सम्पतराम)

ध्यान दिया जावेगा कि कितना वास्तव में नुकसान हुआ है ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अब यह जांच कब तक हो जावेगी ?

श्री सम्पतराम : यहां से दफ्तर में जाऊंगा तब लिखा पढ़ी करूंगा इस बारे में।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगित प्रश्न

कुछ स्थगित रहे हुए प्रश्न हैं।

प्रश्न संख्या १२४

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत।

ग्राम देवली, तहसील खारची में गोचर भूमि

१६०. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम देवली तहसील खारची में जागीर सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा ४५० बीघा गोचर कायम किया जा चुका है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त गोचर भूमि में काश्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की शिकायतें ग्राम की जनता ने तहसीलदार व कलेक्टर को की थी ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि जनता की शिकायत पर तहसीलदार व कलेक्टर मौका देखने गये ? यदि हां, तो कब और उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

(५) क्या यह भी सही है कि अब उस ग्राम में गोचर भूमि बिकुल्ल नहीं है ?

उप मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) (१) जी हां।

(२) जी हां। सं० २०१४ में ४० बीघा व सम्वत् २०१५ में ११० बीघा में काश्त की गई है।

(३) जी हां। सूचना निम्न प्रकार है:-

(श्री सम्पतराम)

नाम तिथि	ओर से	जिसको पेश की
७-८-५७	पंचायत देवली	एस० डी० ओ० सोजत
२-८-५७	,,	जिलाधीश पाली
१२-८-५७	,,	,,
२०-८-५७	,,	एस० डी० ओ० सोजत
१२-८-५७	छोडालाल	जिलाधीश पाली
१९-७-५८	,,	एस० डी० ओ० सोजत
१९-७-५८	,,	,,
२२-७-५८	,,	,,

(४) जी हां। एस० डी० ओ० सोजत के कार्यालय में मुकद्दमा चल रहा है। अभी तक निर्णय नहीं हुआ।

(५) जी नहीं। अब भी ३५४ बीघा जमीन गोचर में है।

श्री बेनाराम गहलोत : अभी तक निर्णय नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री सम्पत्तराम : इसकी डिटेल मेरे पास नहीं हैं। एस० डी० ओ० के यहां केस चल रहा है, ज्यूडिशियल केश है इसलिये गवर्नमेंट इसमें इन्टरफीयर नहीं कर सकती। स्टेज़ बाई स्टेज़ जो कार्यवाही होगी तब तक केस के बारे में किसी निर्णय की जानकारी होना आसान नहीं है।

श्री बेनाराम गहलोत : इसमें फैसला हो जावेगा, लोग तहसीलदार के पास गये पर उसने अभी कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री सम्पतराम : यह जानकारी हमारे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या २४

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २५.

श्री मुरलीधर व्यास।

फलोदी गोलरिए में नमक के प्लॉटों का वितरण

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) (श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ३१—१२—५२ के बाद फलोदी गोलरिए से किन किन लोगों को नमक के प्लॉट दिये गये ?

(२) गोलरिए प्लॉट नम्बर ५५ इस समय किसके पास है व उसे कब दिया गया है ?

(३) गुलाब कंवर, पत्नी सम्पत्तलाल बरड़िया ओसवाल को गोलरिए से कब तथा कितने नम्बर का प्लॉट दिया गया है ?

उप मन्त्री, उद्योग विभाग (श्री खिबचंद धारीवाल): The answer is that the matter

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

is under investigation by the Anti Corruption Department and, there fore, a reply cannot be given at this stage.

श्री पी. के. चौधरी : How does it matter with the enquiry? We asked how many plots were allotted and that on what date?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : All the papers are with the Anti-Corruption Deptt. which is going to investigate into the matter and all the papers are with them.

श्री पी० के० चौधरी : Last week we also asked and the House was assured that the reply will be...

श्री अध्यक्ष : The papers are with the Investigating authority. Let us wait the result.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister may say then, when will it be possible for him to reply this question...

श्री अध्यक्ष : That is not in his hand.

श्री भैरोंसिंह ।

जयपुर शहर के निकट कृषि हेतु भूमि का अलॉटमेन्ट स्थगित

२४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सही है कि जयपुर शहर के १० मील के एरिये के अन्दर श्री बलवंतराय व श्री लेखाराम को कृषि कार्य के लिये भूमि मिली हुई है? यदि हां, तो कितनी और कब से?

२. क्या यह सही है कि अब इस भूमि में खेती न की जा कर एक बोन मिल चालू की जा रही है?

३. क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अभी सरकार से कोई आज्ञा नहीं ली गई है और न ऐसी कोई दरख्वास्त ही पेश हुई है?

४. क्या सरकार बिना इजाज़त भूमि को दूसरे कार्यों में उपयोग करने की कार्यवाही को रोकेगी?

राजस्व मन्त्री श्री दामोदरलाल व्यास :

१. जी नहीं।

२. जयपुर पश्चिम औद्योगिक क्षेत्र इनको अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा २५,३४,५८३ वर्ग गज भूमि बोन फैक्ट्री ही स्थापित करने के लिये लीज़ (Lease) पर दी गई है अतएव इसमें खेती करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

३. प्रश्न नहीं उठता।

४. प्रश्न नहीं उठता।

१२. म० प०

सदन की मेज़ पर रखा गया पत्र

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शूगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर, के ३० जून, १६५७ को समाप्त होनेवाले वर्ष से सम्बन्धित डाइरेक्टरों की रिपोर्ट एवं तत्सम्बन्धी लेखे का विवरण मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इतनी देर से क्यों!

१२. १ म० प०

राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ (अमेंडमेंट) बिल , १६५६ (पुर : स्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६५६ को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं । ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : नहीं दी जाय । पहले आप यह बतायें कि इस बिल में क्या है ? यह मिनिस्टर्स की सेलेरीज़ का मामला है आपको इसकी अच्छी तरह से जानकारी होगी । सदन को आप थोड़ी जानकारी दे दें तो अच्छा होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Question has been put now.

श्री भैरोंसिंह : तनख्वाह बढ़ रही है या घट रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आप से अर्ज कर दूं कि बहुत छोटा बिल है । इसमें इतना सा प्रोविज़न है कि मिनिस्टर्स को मकान, वैल फर्निश्ड बंगला और मोटर दी जाती है उनके लिए रूल्स बनाने का अधिकार दिया जाय जिससे अलॉटमेंट ऑफ कार, अलॉटमेंट ऑफ बंगले के लिए रूल्स बना दें ।

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) : How it has been done so far ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There were no rules formerly about this. Ministers used to have unlimited furniture which had to be restricted. Now the Government has to place certain restrictions on this by rule making powers and if any Minister wants to have more furnitnre than prescribed, he will have to pay for that. So rule making power will have to be given to the Government.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि अभी सरकार के पास कोई नियम नहीं थे जिनके आधार पर इन सब चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके । अगर केवल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करने के लिए रूल मेकिंग पॉवर लेती है या अभी तक कोई रूल्स नहीं हैं उन रूल्स को बना रहे हैं, यह स्पष्ट कर दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात है कि रूल मेकिंग पॉवर गवर्नमेंट के कानून के अन्दर है नहीं । रूल्स वक्त वक्त पर बनाये गये हैं और एप्लाई किये गये हैं । बड़ी गाड़ियों की जगह छोटी गाड़ियां मिनिस्टर्स के लिए खरीदी गई, पेट्रोल निश्चित किया गया, ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं । बंगले, गाड़ी आदि देने के बारे में आवश्यक है कि कानून में इसका प्रोविज़न होना चाहिए । इसलिए गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पॉवर दी जाय ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : रेस्ट्रिक्शन के लिए रूल मेकिंग पॉवर दी

(श्री मदनसिंह)

जाय, उसके अनुसार आप ज्यादा भी दे सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। रूल मेकिंग पॉवर से सभी बातें हो सकती हैं ।

श्री मदनसिंह : तनख्वाह बढ़ेगी या तनख्वाह घटेगी, यह बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है।

श्री मदनसिंह : ठीक है, समझ गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

पुर : स्थापित कर दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूँ।

१२. ५ म० प०

मांग संख्या २० सहकारिता

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या २०।

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४२—सहकारिता के सम्बन्ध में ३१. ३. ६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५६ लाख, ७३ हज़ार तक की राशि प्रदान की जाय।"

श्री अध्यक्ष : इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं :

श्री पी. के. चौधरी प्रस्ताव करेंगे :

"That the Demand No. XX-Major Head42. Co-operation be reduced by Rs. 1/-(to discuss the Government's failure to further the cause of Co-operative Movement in the State.)"

"That the demand No XX Major Head 42. Co-operation be reduced by Rs. 1/- (To discuss the Co-operative Farming.)"

"That the Demand No XX-Major Head 42. Co-operation be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Government to provide sufficient impetus to the Development Of Marketing Societies in the State.)"

श्री रामेश्वर दयाल प्रस्ताव करेंगे :

"That the demand No. XX Major Head 42. Co-operation be reduced by Rs.1/-(to discuss the Co-operative Farming.)"

"That the demand No. XX Major Head 42. Co-operation be reduced by Rs. 1/- (to discuss the Government's failure to further the cause of Co-operative Movement in the State)

Page No.26

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी : कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रू० मात्र की कटौती की जावे (सहकारी समितियों के निर्माण में पक्षपात पर विचार करने के लिये)"

"That the demand No. XX- Major Head 42. Co-operation be reduced by Rs. 1/- (to discuss the Co-operative Farming.)

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रू० मात्र की कटौती की जावे (सहकारी समितियों के हिसाब किताब में अनियमितता के संबंध में वाद-विवाद करने के लिये)"

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रू० मात्र की कटौती की जावे (जनता में सहकारिता की भावना विकसित कर छोटे २ उद्योग धंधे सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने की योजना सरकार को बनानी चाहिये, इस पर विचार करने हेतु)"

डॉ बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे : कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रू० मात्र की, कटौती की जावे (सहकारी समितियों के निर्माण में पक्षपात पर विचार करने के लिये)"

श्री भैरूसिंह प्रस्ताव करेंगे : कि "That the Demand No. XX-Major Head 42. Co-operation be reduced by Rs. 1/- (to discuss the Co-operative Farming.)"

"That the Demand No. XX- Major Head 42. Co-operation be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of Government in making proper administrative supervision of the Department to see that the money advanced to Co-operative Societies is properly utilised.)"

"That the demand No. XX- Major Head 42. Co-operation be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of Government in encouraging the Industrial Societies by providing subsides or other sort of facilities.)"

श्री जगदीशप्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे: "That the demand No XX- major Head 42. Co-operation be reduced by Rs. 1/-(to discuss the Co-operative Farming.)"

"मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२. सहकारिता में से १००)रू०मात्र की कटौती की जावे (सहकारी समितियों में प्रशासनिक अव्यवस्था पर विचार करने के लिये)"

श्री लक्ष्मीचन्द प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२. सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में विचार करने हेतु)"

कि "मांग सं०२० मुख्य शीर्षक ४२. सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जाय क्योंकि जालोर ज़िला के सांचोर तहसील में एक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रुपये का सदुपयोग नहीं किया है इस पर विचार करने हेतु)"

श्री जनार्दनराय नागर प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रू० मात्र की कटौती की जावे (वर्तमान ग्रान्ट देने की नीति फलतः सहकारिता की प्रवृति की अपेक्षा कृत असफलता पर बहस करने के लिये)"

श्री रामकरणसिंह प्रस्ताव करेंगे :

कि मांग "सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (कोटपुतली में सहकारी समितियों को बनाने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का सरकार ने सहयोग नहीं दिया, विचार करने हेतु)"

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२.सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (सहकारी विभाग द्वारा जनसहयोग प्राप्त करने में असफलता पर बहस करने के लिए)"

श्री लक्ष्मण हीरात प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २०मुख्य शीर्षक ४२. सहकारिता में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (उदयपुर डिविजन के आदिवासी क्षेत्र में सहकारी ढंग के बैंक खोले जाने पर विचार करने हेतु)"

श्री मुरलीधर व्यास प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (बीकानेर बजरी उत्पादक सहकारी समिति के घोटाले के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

श्री नाथूराम प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ४२. सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (बांसवाड़ा जिले के सहकारी कार्यालय के असन्तोषजनक कार्य पर बहस करने के लिए)"

श्री रामचन्द्र प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (सहकारिता का सब को समान रूप से लाभ पहुंचे, इसमें विभाग असफल रहा है पर बहस करने के लिये)"

श्री सम्पतराज जैन प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (सहकारी समितियों के ऑडिट पर बहस करने के लिये)"

"मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२. सहकारिता में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (जिला व तहसील स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी पूर्ति पर बहस करने के लिये)"

"मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२.

(श्री सम्पतराज जैन)

सहकारिता में से १)रु०मात्र की कटौती की जावे (डिस्ट्रिक्ट कोआॅपरेटिव बैंक झालावाड़ की शाखायें तहसीलों के सदर मुकाम पर खुलवाने पर बहस करने के लिये)"

श्री शिवनाथसिंह प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं०२० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (झुंझुनू जिले में सहायक रजिस्ट्रार का दफ्तर खोलने के लिये विचार करने हेतु)"

"मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १)रु० मात्र की कटौती की जावे (उदयपुरवाटी ब्लॉक की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होने पर बहस करने के लिये)"

"मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (सहकारी समितियों को मिलने वाली सहायता पर विचार करने हेतु)"

श्री भैरवलाल 'काला बादल' प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (सहकारिता विभाग द्वारा समितियों पर उचित सुपरविज़न नहीं रखने पर वाद विवाद करने हेतु)"

श्री सोहनलाल भटनागर प्रस्ताव करेंगे :

"That the demand No. XX Major head 42 Co-operation be reduced by Rs. 1/- (to discuss lack of supervision over Co-operative Societies)"

श्री शिवचरणदास प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग सं० २० मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता में सहकारी समितियों में होने वाली प्रशासनिक अव्यवस्था पर वाद विवाद करने हेतु १००) रु० की कटौती की जावे ।)"

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड पर मेरे तीन कट मोशन्स हैं । All these three cut motions may be taken as moved.

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा कट मोशन है "to discuss the Government's failure to further the cause of Co-operative Movement in the State."

इसके सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटिसटिक्स मिले हैं इससे मालूम होता है कि जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट, रूरल एरिया क्रेडिट की नीड है वह लगभग २५ करोड़ के आसपास आती है, उसमें से सरकार की तरफ से आज तक साढ़े सात करोड़, आठ करोड़ रुपया बांटा है यानि ३० पर्सेन्ट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट है उसको पूरा किया है लेकिन ६० पर्सेन्ट के करीब आज भी बाकी है । एक बात जो हमारे सामने आती है वह यह है कि हम देखते हैं कि कोआॅपरेटिव मूवमेंट के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने सही दृष्टि लगाई नहीं है उनका आइडिया बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है । अभी इस सदन में आने के बाद एक किताब

(श्री पी. के. चौधरी)

हमको मिली है। इस किताब के १५ पेज़ पर नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल के एक नवम्बर के रेज़ोल्युशन का जिक्र किया गया है। उस कौंसिल का जो निर्णय है उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि आगे चल कर राजस्थान की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वे स्माल साइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जायगी यानि एक हज़ार की आबादी के ऊपर एक सोसाइटी होगी। अब सरकार लार्ज साईज़ सोसाइटीज़ नहीं बनायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट का बराबर नीति परिवर्तन का एक तरीका है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने रूरल क्रेडिट सर्वे के लिए एक कमेटी अपॉइन्ट की थी, उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, १६५४ के अन्दर। उसके आधार पर सेकिंड फाइव ईअर प्लान में कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया, उसमें खास सिफारिश यह थी कि हम लार्ज साइज़ सोसाइटीज़ बनायेंगे, मल्टी पर्पज़ेज सोसाइटीज़ और उसके जरिये सिर्फ रूरल क्रेडिट ही नहीं लेकिन दूसरी एक्टीविटीज़ जैसे मार्केटिंग वगैरह भी उसके जरिये करेंगे। इसको गवर्नमेंट ने मंजूर किया था और पिछले साल तक इसके आधार पर कहा जाता था कि लार्ज साइज्ड सोसाइटीज़ बनाने पर ही आपको कर्जा मिलेगा, सारी फैसेलिटीज़ मिलेंगी लेकिन नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल ने एक नवम्बर को फैसला किया और सरकार ने राजस्थान में लार्ज साईज सोसाइटीज़ बनाना बन्द कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी अपॉइन्ट की थी उसने सिफारिश की थी कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनायेंगे, उनका मकसद यह रहेगा कि जो सोसाइटीज रहेंगी वे सोसाइटीज अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी, ऐसी सोसाइटीज हम बनायेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने लार्ज साइज सोसाइटीज के लिए सिफारिश की थी। उन्होंने जो सोसाइटीज की डेफीनेशन दी थी वह इकोनॉमिक वाइएबल सोसाइटीज के आधार पर थी। यह नहीं कहा था कि एक हजार की जन संख्या पर सोसाइटीज होनी चाहिए या एक गांव पर होनी चाहिए। उन्होंने सिफारिश की थी, उनकी धारणा यह थी, अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने हिसाब लगा कर देखा था कि जो क्रेडिट सोसाइटी या दूसरी सोसाइटी हों, उनका टर्न ओवर अगर डेढ़ लाख से कम का होता है तो उसमें मुनाफा नहीं होता है। अब सवाल यह आता है कि एक निर्णय लिया था जिसके अनुसार तीन साल तक सोसाइटीज का काम किया। आज एकाएक इस निर्णय को बदल दिया कि इकोनॉमिक वाइएबल सोसाइटी नहीं चाहिए। क्योंकि नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल ने जोर दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेम्बर थोड़े होने चाहिए, इसलिए थोड़े होने चाहिए कि एक दूसरे के अन्दर जान पहचान बढ़ जायगी, परिचय बढ़ जायगा, इसलिए छोटी सोसाइटी बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परिचय बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज छोटी बनाना चाहते हैं तो उससे इकोनॉमिक वाइएबिलिटी कम हो जाती है और आप एक डिक्वीडेटेड सोसाइटी बनाते हैं जो अपना खर्च भी नहीं चला पायेगी। यानि आप किसी निर्णय पर पहुंचें, आपके दिमाग में कोई बात आ गई और आप उस पर चल पड़े। तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकार कब तक इस प्रकार निर्णय बदलती

(श्री पी. के. चौधरी)

रहेगी। जो आपने एक्सपर्ट कमेटी अपॉइन्ट की थी उसने सारी बातों की जानकारी करने के बाद फैसला किया था उसको आप एकाएक बदल देते हैं। जब हम यहां आते हैं तो आप एक किताब देते हैं और उसमें बता देते हैं कि एक हजार की आबादी पर सोसाइटी बनायेंगे, बड़ी सोसाइटी नहीं बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, लार्ज साईज सोसाइटीज बनाना बन्द कर दिया है। मेरा निवेदन है कि सरकार की पॉलिसी अब है स्मॉल साईज सोसाइटीज बनाने की, उससे इकोनॉमिक वाइएबिलिटी नहीं हो सकती। यह ठीक है कि आपने एलान कर दिया, प्रचार कर दिया, सब कुछ कर दिया लेकिन मैं मानता हूँ कि यह सोसाइटीज वाइएबल सोसाइटी नहीं हो सकती, ये सोसा-इटीज नहीं चल सकती। इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की थी और प्लॉनिंग कमीशन ने एक्सेप्ट किया था, नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल ने एक्सेप्ट किया था, मैं समझता हूँ इसी निर्णय पर चलना चाहिए और लार्ज साईज़ सोसाइटीज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए।

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इन सोसाइटीज के लिए क्रेडिट का ही नहीं रखा है, करेक्टर वही रखा है जो मल्टी पर्पज़ेज सोसाइटीज का है, उसको सर्विस कोऑपरेटिव का रूप देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि एक हजार की आबादी पर जो सोसा-इटीज हम बनायेंगे उसके ऊपर एग्रीकल्चरल सर्विस की जिम्मेदारी डालेंगे, क्रेडिट की जिम्मेदारी और सारी जिम्मेदारी डालेंगे तो उसके लिए अच्छे पर्सनल चाहिए स्किल पर्सनल चाहिए, टैक्निकल ट्रेन्ड पर्सनल चाहिए, वे इस कोऑपरेटिव के डाइरेक्शन के लिए नहीं मिलेंगे। इस किताब में हिसाब बताया है कि १५ सो ऐसी सोसाइटी बनानी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि १५ सो सोसाइटीज के लिए स्किल्ड आदमी जो प्रोपर गाइडेन्स दे सकें, डाइरेक्शन दे सकें, ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे। अगर लार्ज साईज़ सोसाइटीज़ होती, पांच, छः सोसाइटीज़ अगर मिल कर चलतीं तो प्रोपर मैनेजमेंट हो सकता था। आज पिछले वर्षों से जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है उसके फैल होने का मुख्य कारण यह रहा है कि उसे प्रोपर गाइडेन्स, डाइरेक्शन नहीं दे सके, गवर्नमेंट पहले अपना हिस्सा नहीं ले सकी। अब सरकार अपना हिस्सा लेने लगी है, उसने शेअर्स खरीदने शुरू किये हैं। लेकिन अब सवाल आयेगा वह स्माल साईज सोसाइटीज को गाइडेन्स देने का सवाल आयेगा। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए फंक्शन्स, ड्यूटीज़ प्रेसक्राइब कर दिये, जो रिपोर्ट है उसमें सर्टेन रेस्पान्सिबिलिटीज, ड्यूटीज आपने प्रेसक्राइब कर दीं लेकिन इसके लिए इसमें नहीं देखते हैं कि इन ड्यूटीज़ और फन्क्शन्स को क्या छोटी सोसाइटीज़ निभा सकेंगी या नहीं ? इसका कोई प्रोविज़न इसमें नहीं रखा है। तो, अध्यक्ष महोदय, यह जो नीति है उसकी मैं टीका करता हूँ।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं जो रेट ऑफ इन्टरेस्ट चार्ज किया जाता है, रिज़र्व बैंक से २ पर्सेन्ट इन्ट्रस्ट पर हमको लोन मिलता है, सेन्ट्रल बैंक को २ पर्सेन्ट के हिसाब से लोन मिलता है और प्राईमरी सोसाइटीज़ को लोन देते हैं साढ़े सात पर्सेन्ट पर। उनको साढ़े सात पर्सेन्ट पर कर्ज़ा देते हैं। लगभग ५ पर्सेन्ट मुनाफा रखते हैं ओवरहैड खर्चा

(श्री पी. के. चौधरी)

चलाने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि स्माल सोसाइटीज़ जब बनेगी तो आप देखेंगे कि ५ पर्सेन्ट के डिफरेन्स से भी उनका खर्चा नहीं चलेगा और इन्ट्रेस्ट का डिफरेन्स है वह हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लार्ज साईज्ड सोसाइटीज़ रखेंगे तो इन्टरेस्ट का रेट कम कर सकेंगे, ओवरहेड चार्जेज कम होंगे। मेरा निवेदन यह है कि जो इन्ट्रस्ट चार्ज सोसाइटीज़ से किया जाता है, दो पर्सेन्ट पर रिज़र्व बैंक से रुपया लेकर साढ़े सात पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट उनसे चार्ज किया जाता है उसमें कमी करनी चाहिए और कमी करने का तरीका यही है कि लार्ज साईज्ड सोसाइटीज़ पर ज्यादा एम्फेसिस दें। लार्ज साइज़्ड सोसाइटी से मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि ४००, ५०० गांवों को मिला कर एक लार्ज साईज्ड सोसाइटी बनायें लेकिन १ हजार का जो हमारा आइडिया है उसको छोड़ देना चाहिए। १०, १२ या १५ हजार के ऊपर एक सोसाइटी बनानी चाहिए। इससे ओवरहेड चार्जेज़ कम होंगे। जिसका असर जो इन्ट्रेस्ट का रेट चार्ज करते हैं उसके ऊपर पड़ सकता है। रेट ऑफ इन्ट्रस्ट में रिलीफ दे सकते हैं।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, इस किताब में सहकार साथी समाज बनाया है और मेरी समझ में नहीं आया है कि सहकार साथी समाज का इसमें जिक्र देने की क्या जरूरत थी। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सहकार साथी समाज का वर्णन दिया है वह अच्छा है। पढ़कर सुनाने के काबिल है।

"इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सहकार साथी समाज की स्थापना का है जिसमें अपने कार्यशील दैनिक जीवन का अधिकांश भाग सहकारिता को अर्पित करने और अपनी आय सहकारी विरोधी पूंजीवादी व्यक्तिगत मुनाफाखोरी से प्राप्त न करने का संकल्प लेनेवाले लोगों को आवाहन किया गया था। यह बड़े ही हर्ष की बात है केवल औपचारिक रूप से उपर्युक्त सिद्धान्त के प्रति अनुरूपता प्रदर्शन कर इन संस्था में शामिल होने का दम्भ लोगों ने नहीं दिखाया।"

क्या बात लिखी है ? फिर आगे चलते हैं

"एक बहुत भले सहकारिता के कार्य में अपना अधिकांश समय लगाने वाले सज्जन इसमें केवल इसलिए शामिल नहीं हुए कि कुछ कपड़ा मिलों की पूंजी के हिस्सों पर उनका स्वत्व था जिसे वे सहकार साथी समाज के घोषणापत्र के अनुसार छोड़ने को अभी तैयार न थे। जो बारह तेरह व्यक्ति इस सहकार साथी समाज में तत्काल आवेश में शामिल हो गये थे अब भी अपना हृदय टटोल रहे हैं कि कहां तक वह पूर्ण सहकारी निष्ठा के अनुसार अपना जीवनयापन कर सकते हैं..."

मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रोपेगेण्डा के लिए आप लिट्रेचर पब्लिश करते हैं वह सहकार साथी समाज का कॉम्प्लीमेंट न होकर रिफ़लेक्शन होता है। इसमें आप लिखते हैं कि जो १२, १३ आदमी शरीक हुए हैं वे भी अपना दिल टटोल रहे हैं कि रहें या नहीं। तो मेरी समझ में नहीं आया है कि सहकारिता के प्रचार का जो आपका तरीका है, यह जो प्रचार टेकनीक आपने अपनाया है वह प्रचार में सहयोग न देकर, मददगार नहीं होकर आपके आन्दोलन में कितना खोखलापन है उसको जाहिर करता है।

Page No.32

(श्री पी. के. चौधरी)

चौथी बात, अध्यक्ष महोदय, इसमें फिक्टीशस सोसाइटीज़ का ज़िक्र किया है। यह मानी हुई बात है कि राजस्थान के अन्दर बहुत सी फिक्टीशस सोसाइटीज़ हैं। और एक दफा मुझे यहां तक रिपोर्ट मिली है, माननीय मंत्री महोदय ने भी इस बात को मन्जूर किया है, सहकारी कॉन्फ्रेन्स में एकाध साल पहले किया था, या ६ महीने पहले इस बात को मन्जूर किया था। तो नकली सहकारी समितियों के भंडाफोड़ का आवाहन इस किताब में किया गया है। इसमें कहा गया है कि खुद या अखबारों के ज़रिये इत्तला दें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो आपने एक अपील निकाली है नकली सोसाइटीज़ का भंडाफोड़ करने का आवाहन देकर। लेकिन इस सदन में क्वेश्चन्स के ज़रिये कई दफा कहा गया था कि कई कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फिक्टीशस हैं या उनमें घोटाला है। कई बातें आपके सामने लाये हैं, लेकिन उन पर आज तक अमल नहीं किया गया है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मीडियम टर्म लोन्स और लोंगटर्म्स लोन्स के लिए है। १९५७ के नवम्बर में एक कोऑपरेटिव बैंक, सेन्ट्रल बैंक्स की कॉन्फ्रेन्स यहां पर बुलाई गई थी, जिसमें माननीय मंत्री महोदय हाज़िर थे। उस कॉन्फ्रेन्स ने सिफारिश की थी कि आज तक मीडियम टर्म लोन नहीं दिये गये हैं, हमारी तरफ से या सोसाइटीज़ की तरफ से नहीं दिये गये हैं। इसलिए जल्दी से मीडियम टर्म लोन काश्तकारों को मिलना चाहिए, और वह सिर्फ इम्मूवेबल, प्रोपर्टीज़ हो जिनके पास ऐसे दो आदमियों की श्योरिटी लेकर विद्आउट टेन्जिबल सिक्योरिटी के उनको देना चाहिए। यह उनकी सिफारिश थी। लेकिन आज तक इस सिफारिश पर कोई अमल नहीं किया गया है और किसी को भी विद्आउट टेन्जीबल सिक्योरिटी के मीडियम टर्म लोन नहीं दिया। जिनकी सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी नहीं दिया गया है। मीडियम टर्म लोन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आज तक नहीं दिया गया है।

लोंग टर्म लोन के लिए उसी कॉन्फ्रेन्स ने सिफारिश की थी कि जब तक लैण्ड मोर्टगेज बैंक जगह जगह कायम नहीं कर देते हैं तब तक सेन्ट्रल बैंक की तरफ से लोंग टर्म लोन देना चाहिए ताकि काश्तकार लोग अपनी जमीन को डवेलप कर सकें, उसका विकास कर सकें। लेकिन उसके ऊपर भी लोंग टर्म लोन के लिए भी सरकार ने आज तक उस सिफारिश के मुआफिक कोई कदम नहीं उटाया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

I have got 2 to 3 points.

श्री अध्यक्ष : We have got lot of cut-motions to move, and you should stick to the limit of 10 minutes.

श्री पी. के. चौधरी : I am just making a passing reference, Sir.

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ आज इन्डस्ट्रीज़ हैं और जिनको हम सेचुरेटेड ब्लॉक्स कहते हैं, जो शो पीसेज़ हैं जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नीलोखेड़ी सेचुरेटेड ब्लॉक हैं ऐसे ही हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने बस्सी, सांगानेर और जोधपुर के उधर ब्लॉक्स रख रखे हैं, उनके लिए जो कोऑपरेटिव लोन

Page No.33

(श्री पी. के. चौधरी)

दिया गया है वह बहुत दिया गया है, हाइऐस्ट अमॉउन्ट ऑफ लोन दिया गया हैं लेकिन उसका जो रिज़ल्ट लोन लेकर लोगों ने क्या किया है उनका आज तक चैकिंग नहीं हुआ है और न उसका कोई रियेलाइज़ेशन हो रहा है। तो इसकी तरफ अध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सेंचुरेटेड ब्लॉक्स में ज़्यादा लोन न देकर जो लोग लोन लेना चाहते हैं और खास कर जो कोऑपरेटिव को प्रोत्साहन देना चाहते हैं उन्हीं को लोन मिलना चाहिए न कि जिनको आप पहले से सलेक्ट कर लेते हैं कि इनको लोन देना चाहिए। उन्हीं को देना चाहिए जो कि आपके ख़्याल में ज्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और जिनमें काम करने की स्प्रिट ज्यादा है। एक बात और अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव के बारे में सरकार की तरफ से ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई है और इस बार का जो बजट है उसमें भी हमने देखा कि इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट के लिए और खास कर के स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के लिए प्रावधान नहीं रखा गया है और इसकी तरफ ध्यान नहीं देने का नतीजा यह होगा कि हमारे यहां अनएम्पलॉयमेंट ज्यादा हो जायेगी। अनएम्पलॉयमेंट का प्रोब्लम सोल्व करने के लिए इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव को सस्ते लोन हमें देना चाहिए जैसे हम हैंडलूम को ३ पर्सेंट के हिसाब से लोन देते हैं। जैसे हैंडलूम और दूसरी ऐसी चीजों को आप लोअर रेट पर लोन देते हैं उसी तरह दूसरी इन्डस्ट्रीज़ को लोन नहीं देते और उनसे हाई रेट चार्ज किया जाता है तो मेरा मतलब यह है कि इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव को ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जैसे हैंडलूम के लिए ३ पर्सेंट या ३॥ पर्सेंट की रेट का लोन देते हैं उसी तरह इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव को लोन देना चाहिये। दूसरी इन्डस्ट्रीज़ जो आप चलाना चाहते हैं उनको भी सस्ता लोन देना चाहिए।

इसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय कोऑपरेटिव फार्मिंग का जहां तक सम्बन्ध है मुझे यह महसूस होता है कि सरकार के सामने कोऑपरेटिव फार्मिंग के संबंध में अभी तक कोई डिटेल में निश्चित आइडिया नहीं है। अध्यक्ष महोदय पिछले ८ साल से हमारी प्लान एक्टिवीटीज़ चल रही हैं और ८ साल के दौरान में जो हमें एक्सपीरिन्स हुआ है वह यह हुआ है कि जो काम हम करना चाहते थे उसको नहीं कर पाये उसके अन्दर सबसे ज़्यादा डेफीशियेन्सी रही है और वह डेफीशियेन्सी कोई प्रोपर इन्स्टिट्यूशन के नहीं होने की वज़ह से है। हम पीपुल्स पार्टीसीपेशन को नहीं ला सके। हमने ब्लॉक्स का एक्सपेरीमेंट किया लेकिन जैसा हम मेहता कमेटी की रिपोर्ट में देखते हैं और दूसरी कमेटीज़ की रिपोर्ट से देखते हैं कि हम आज सैल्फ सफीशियेन्सी की जो हमारी स्प्रिट है उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स के ज़रिये से पैदा नहीं कर पाये हैं। दूसरी बात यह कि आज हमारा एग्रीकल्चर सरप्लस है। हमारी इन्कम का ६० पर्सेंट रूरल सेक्टर में है उसको हम पूल नहीं कर पाये हैं। दूसरे अध्यक्ष महोदय, आज रूरल एरिया में जो डिसगाइज़्ड अनएम्पलॉयमेंट है और जो डिसगाइज़्ड मैन पॉवर है अब भी हम टेप नहीं कर पाये। तो इन सब के ऊपर सोच कर हमारी प्लॉनिंग कमी-

(श्री पी. के. चौधरी)

शन और दूसरों ने यह फैसला किया है कि जो एग्रीकल्चर सरप्लस है और अगर हमें सरप्लस इनकम को टेप करना है और जो आइडिल मैन पॉवर है, डिसगाइज़्ड अनएम्पलॉयड मैन पॉवर है उसको हारनैस करना है तो उसका हमें कुछ तरीका जल्दी ही निकालना पड़ेगा। तो हमें इसके बारे में दूसरे देशों का जो अनुभव है उसे भी देखना होगा। जापान में हमने यह देखा है कि जो उनका एग्रीकल्चर सरप्लस था उसको उन्होंने टैक्सेशन से साल्व किया था। एशिया में एग्रीकल्चर सरप्लस था उसको कलेक्टिव फण्ड्स के जरिये से हारनैस किया था। चाइना जो आज कम्यून बना है उसने एग्रीकल्चर मैन पॉवर को और सरप्लस को दोनों को हारनैस किया है इसलिए हिन्दुस्तान के लिए सोचा गया है कि सिर्फ कोऑपरेटिव फार्मिंग और सोसाइटी ही ऐसे इन्सिटट्यूशन्स हैं जिनकी मार्फत यह सरप्लस के साथ साथ जो डिसगाइज़्ड अनएम्पलॉयमेंट है या एग्रीकल्चर मैन पॉवर है उसको रिलीज़ कर पायेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो गवर्नर के एड्रेस पर रिप्लाई है उसमें या बजट के रिप्लाई में जो भाषण यहां पर हुए हैं और गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया है उससे मेरे दिमाग पर यह असर पड़ा है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोब्लम को ठीक तरह से हल नहीं किया है। वह ऐसा समझ रही है कि हम इस कोऑपरेटिव के जरिये मैन पॉवर को भी रिलीज़ करने जा रहे हैं। आज अध्यक्ष महोदय, यह जो सोसाइटीज़ बनेंगी तो हमारे आज़ एवरेज़ कल्टीवेटर्स हैं और इन सोसाइटीज़ को बनाने का मक़सद यही है कि जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स हैं उसमें आदमी एंगेज़ होते हैं और अगर आज कोऑपरेटिव बना देंगे तो जो रिपीटीशन लेबर का होता था तो उसमें से काफी लोग बाहर निकल आयेंगे। यह ज़रूर नहीं होगा कि पचास आदमी जिस एरिया में काम कर सकते हैं तो सोसाइटीज़ बनने के बाद में पचास आदमी का काम नहीं रहता है बल्कि वहां तो बीस पचीस आदमियों से ही वह काम कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव बनने के साथ मैंने पॉवर भी रिलीज़ होगी तो यह जो रिलीज़्ड मैन पॉवर होगी और आज जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग की स्कीम बनाई तो उसको सक्सेसफुल बनाना है जो रिलीज़्ड मैन पॉवर है उसको एम्पलॉय करने के लिए भी सरकार के पास कोई योजना होनी चाहिए। जो सरकार का रिप्लाई हुआ उसमें इसकी तरफ कोई इशारा नहीं है। उनके लिट्रेचर से भी इसकी जानकारी नहीं होती है कि यह कोऑपरेटिव फार्मिंग और सोसाइटीज़ बनाने के बाद और इनके अमल में लाने के बाद में मैन पॉवर रिलीज़ होगी उसको कैसे ऐम्पलॉय करेंगे। पंडित नेहरू ने दो दिन पहले कहा है जब कि उन्होंने चेम्बर ऑफ कामर्स में भाषण दिया तो उन्होंने कहा है कि जो रिलीज़्ड मैन पॉवर होगी उसको साइड कन्ज़र्वेशन में और एम्बेक्मेंट में लगा देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अन्दर जो रिलीज़्ड मैन पॉवर होगी उसके अन्दर से दो तीन पर्सेंट को ही लगा पायेंगे और बाकी दूसरों को भी लगाने के लिए आपको इन्तज़ाम करना चाहिए और इसके लिए वही तरीका हो सकता था कि आप इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव को ज्यादा प्रोत्साहन दें। यह नहीं है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग हम इसलिए बना रहे हैं कि उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो। जहां आज़ रिपीटीशन ऑफ लेबर करते हैं उससे मैन पॉवर रिलीज़ होगी और उसको

Page No.35

(श्री पी. के. चौधरी)

दूसरे काम में लगा सकेंगे। लेकिन जो सोसाइटीज़ बन रही हैं तो उनको दूसरे कामों में लगाने की योजना कोई नहीं है।

एक तीसरी इम्पोर्टेन्ट बात जो हम कहना चाहते हैं वह यह है कि अभी पंडितजी ने अपने लेक्चर में कहा है कि हम इसके लिए चार लो इन्सपेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और मैनेजर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और वह मैनेजर्स कम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो यह कोऑपरेटिव फार्मिंग का आन्दोलन है वह सर्विस क्लास से सफल नहीं हो सकता। तनख्वाह देकर काम में लोगों को लगाते हैं वह कोऑपरेटिव फार्मिंग को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। इसके बारे में हमें रशिया का एक्सपीरियेन्स मिलता है और चाइना से मिलता है। वहां पर यह सक्सेसफुल हुआ है तो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स से नहीं। हमने रशिया का लिट्रेचर पढ़ा है तो यही बात उसमें देखी जाती है कि उन्होने कोऑपरेटिव के ऊपर जो नावल्स लिखे हैं और बाकी लिट्रेचर से यही मालूम पड़ता है कि उनके एक एक कलेक्टिव फार्मिंग में कम से कम एक या दो पार्टी वर्कर्स को रखते थे, ऐसे व्यक्ति को रखते थे who were inspired by idealism और वे जानते थे कि आगे चलकर क्या कराना है। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वह हमारे सोशियेलिस्टिक पेटर्न को लाने के लिये it is a first steptowords Socialism. आज तक सोशियेलिस्टिक पैटर्न का हमने नारा लगाया है लेकिन उसकी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है this will be first step towords socialistic pattern. इसका नतीजा यह होगा कि जो हम कामयाब हुए तो ऐसी फोर्सेज़ रिलीज़ होंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि जो इन्डिपेन्डेन्स के टाइम पर फोर्सेज़ रिलीज़ हुई थी वे अब स्टेगनेन्ट हो गई है, उन में कोई इन्सपिरेशन नहीं रह गया है, यह छिपाने की बात नहीं है। जो सोशियल रिवोल्युशन और इकोनोमिक रिवोल्युशन हम लाना चाहते है उसके लिये फोर्सेज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग आयगा तभी रिलीज़ होंगी। इसको गाइड करने का काम मशीनेरी इन्सपेक्टर्स या मैनेजर्स से नहीं होगा। इसके लिये इस तरह का इन्सपिरेशन रखा जाना चाहिये जैसा चाइना ने और रशिया ने रखा है, पार्टी केडर रख कर उन्होंने वहां पर यह कार्य किया है। मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ही यह काम करें। जो इस चीज़ में इन्टेरेस्ट लेने वाले हों चाहे वे कम्युनिस्ट हों या सोशियेलिस्ट हों लेकिन जो सहकारिता में समझने वाले हैं और इस आइडिया को जानने वाले हैं उन को लेकर यह काम किया जायगा तो ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा। जो इस आइडिया को मानते हैं वे समझते है कि क्या करना चाहिये ऐसे आदमियों को रखेंगे तभी जाकर यह मूवमेन्ट सक्सेसफुल होगा नहीं तो मैनेजर्स या पेड एम्पलॉइज़ से कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसको यदि सफल करना है तो नेशनल स्टेन्डर्ड पर पार्टी केडर की मार्फत शुरू करना चाहिये। इनको कोऑपरेटिव फोर्सेज़ कायम करनी चाहिये ऐसा करने से ऐसी फोर्सेज़ रिलीज़ होंगी जो वाकई हिन्दुस्तान में समाजवादी पेटर्न और सोसाइटी ला सकती हैं।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। मेरा

(श्री रामेश्वरदयाल)

पहला कटौती प्रस्ताव राज्य सरकार की असफलता के बारे में है कि सहकारिता आन्दोलन को मज़बूत नहीं बनाया गया ।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन के द्वारा ही हम राज्य में और देश में समाजवादी व्यवस्था ला सकते है और यह तभी संभव हो सकता है जब कि सहकारिता आन्दोलन को एक जन आन्दोलन का रूप देकर जनता का आन्दोलन बनाया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्रीजी मुझे क्षमा करेंगे, इस दिशा में सरकार असफल रही है। आज भी सहकारी समितियों के ऊपर राज्य सरकार का और इस विभाग का अधिक से अधिक नियंत्रण है और सहकारी समितियों के कार्य में, उनके दैनिक कार्यों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप किया जाता है। अध्यक्ष महोदय आज भी सहकारिता आन्दोलन का रूप एक सरकारी रूप है। आज भी इसके अन्दर सरकारी हस्तक्षेप है और इनके संचालन की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और जिस रूप में आम जनता से सहयोग चाहा जाता है इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने के–

१२.३२ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष पदासीन)

लिये उस रूप में सरकार जनता से सहयोग नहीं लेती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है राज्य सरकार के लिये और इस विभाग के लिये कि सहकारिता के विकास के लिये, सहकारी समितियों के निर्माण के लिये एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाय और लोगों में विश्वास पैदा किया जाय। इसके आदर्श और इसकी कार्य प्रणाली के प्रति सर्व साधारण में अभिरुचि पैदा की जाय। मैं समझता हूं राज्य सरकार अभी इस प्रकार का वातावरण बनाने में असफल रही है। इसके कई कारण है जिनकी तरफ उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सबसे बड़ा कारण माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि सहकारी समितियों के निर्माण, रजिस्ट्रेशन, उनके प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था और उनको जो कर्जा दिया जाता है उसके सम्बन्ध में जो कानून और नियम हैं वे इतने रुक्ष हैं इतने पेचीदे हैं कि इनसे जो प्रगति होनी चाहिये थी वह आज नहीं हो रही है। इन कानूनी दिक्कतों की वज़ह से इस आन्दोलन को जो बल और पोषण मिलना चाहिये वह बल और शक्ति इस को नहीं मिल रहे हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें और इस सहकारिता कानून और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विभागीय परिपत्रों, आदेशों और आज्ञाओं के अंदर इस प्रकार से संशोधन किया जाय कि जिससे आम लोग आसानी से सहकारिता के सिद्धान्त को, उसकी कार्य प्रणाली को समझ सकें और समझ करके इन समितियों को बनाने में राज्य सरकार को योग दे सकें। यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसके बिना माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस जन आन्दोलन बनाने का जो विचार है और जो संकल्प है यह केवल कल्पना रह जायगी और सरकार रूप ग्रहण नहीं कर सकेगी।

(श्री रामेश्वरदयाल)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इस विभाग के अधिकारियों में सहयोग का प्रभाव यह है कि वैसे तो मैं अर्ज करूंगा कि यह सहकारिता का विभाग है और इस विभाग से हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार का सहयोग और सहकार ही अपेक्षित है, यदि इसी विभाग के अंदर वहां के कर्मचारीगण सहकार और सहयोग का एक आदर्श और एक मिसाल आम जनता के सामने न रखकर असहयोग कि भावना व्यक्त करते हैं तो मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्रीजी के लिए विचारणीय प्रश्न है कि करते त्याग हैं सहकारिता का आन्दोलन किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। मैं कई उदाहरण इस सम्बन्ध में देने के लिये तैयार हूँ और यदि उन सबको यहां दिया जाय तो एक बहुत बड़ी पुस्तक का रूप बन सकता है। कोटा में कई सहकारी समितियां बनाने की कोशिश लोगों ने की। हमारे यहां शहर के अन्दर बुनकर कतैये लोग बहुत अच्छा जरी का काम करते हैं उनका शोषण होता है कुछ व्यापारियों के द्वारा। लोग चाहते हैं कि एक सहकारी समिति उनकी बनाई जाय और उसके लिये कई बार विभागीय कर्मचारियों से कहा गया इन्सपेक्टर से कहा गया लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया और परिणाम यह हुआ कि वे बुनकर अब भी उस शोषण में शोषित हुए चले आरहे हैं और उससे उन्हें मुक्ति नहीं मिली उस समिति का आज तक निर्माण नहीं हो सका है। इस प्रकार खड़े गांवड़ी तहसील लाडपुरा के मज़दूर लोग सहकारी समिति बनाना चाहते थे, लेकिन इस सम्बन्ध में भी विभाग का सहयोग और सहायता प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, और भी प्राप्त सहकारी समितियों का हाल इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की ओर से जो संरक्षण, जो रियायतें या जो सुविधाएं सहकारी समितियों को मिलनी चाहिये वे नहीं मिल रही हैं। यह मंत्रीजी का कर्तव्य हो जाता है कि वे देखें कि इन सहकारी समितियों को ठीक प्रकार प्रोत्साहन सरकारी विभागों द्वारा मिलता है या नहीं मैं एक उदाहरण दूंगा। कोटा में एक दर्जियों की कोऑपरेटिव सोसायटी है, उस सोसायटी ने वहां के पुलिस विभाग की वर्दियों का ठेका लेने के लिये दरख्वास्त दी थी लेकिन पुलिस विभाग ने उस सहकारी समिति को ठेका न देकर एक व्यक्ति विशेष को ठेका दिया, यह विचारनीय बात है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) On a point of information, Sir. Has the Hon'ble Member from Sri Madhopur come on the Treasury Behches ?

श्री उपाध्यक्ष: No, he has not come, but I have allowed him to sit there.

श्री जनार्दनराय नागर : It is a fine spectacle in the House.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member himself has been on that chair many times.

श्री भैरोंसिंह : आपको ईर्षा नहीं करनी चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) आपको तो शायद वहां बैठने का मौका नहीं मिलेगा।

Page No.38

श्री रामेश्वर दयाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोटा शहर में टेलर कोआॅपरेटिव सोसाइटी ने पुलिस विभाग में वर्दियों का ठेका दिया जाने का आवेदन-पत्र दिया। लेकिन पुलिस विभाग ने इस सहकारी समिति को ठेका न देकर एक व्यक्ति विशेष को ठेका दिया। मथुरेश दुग्धशाला सहकारी समिति की अभी तक रजिस्ट्री नहीं की गई यह विचारणीय है कि यदि इस प्रकार से अनुउदारता बरती जायगी और इस प्रकार से सहकारी समितियों को नजर अंदाज किया जायगा तो फिर क्या कारण है कि लोग आपकी सहकारी समितियों में शामिल हों या सहकारी समितियों का निर्माण करें। यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है जो कि सहकारी समितियों के निर्माण पर असर डालता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहत हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न को प्रभावशाली ढंग से अपने हाथ में और वे देखें कि जो सहकारी समितियां बनाई जाती है उन समितीयों के साथ अच्छा व्यवहार होता है या नहीं, उनको हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाय और जितने तासीर सम्बन्धी ठेके दिये जाते हैं, गल्ले के लाइसेन्स दिये जाते हैं, सीमेन्ट का लाइसेन्स दिया जाता हैं, स्टील और दूसरी चीज़ों के लाइसेन्स दिये जाते हैं वे सब इन सहकारी समितियों को दिये जांय और इसके लिये यदि आवश्यकता समझें तो मंत्री महोदय एक परिपत्र समस्त ज़िलाधीशों के पास और सम्पूर्ण राजकीय कार्यालयों में भिजवादें कि यदि कोई सहकारी समिति ठेका लेना चाहे तो प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिये।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, तहसील किशनगंज में एक कपिलधारा जनता कोआॅपरेटिव फार्मिंग है उसने गत वर्ष सबसिडी के लिये एक दरख्वास्त दी थी लेकिन उसका आज तक कोई फैसला नहीं हुआ और न कोई आर्थिक सहायता उसे मिली उपाध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार का व्यवहार इस विभाग द्वारा किया जाता है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि सहकारिता आन्दोलन एक जनता का आन्दोलन बन जायगा। इस समिति के नाम आराजियात के दाखिल खारिज़ किए जाने की सिफारिश अभी तक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने नहीं की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सहकारी विभाग की उदासीनता है कि सरकार इसके विकास में कोई अभिरुचि न हो तो ये किस प्रकार से पनप सकती है यह प्रश्न विचारणीय है हमारे मंत्रीजी के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बहुत बड़ा कारण है सरकार की असफलता का और वह कारण है शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी। यह ठीक है कि इसके निमित्त भी इस बजट के अन्दर बहुत कुछ प्रावधान रखा है लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रावधान सहकारी समितियों के विकास के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए और आज जब हम सहकारिता का प्रसार सारे देश और प्रान्त में सहकारिता के विशाल पैमाने पर करने जा रहे हैं अपर्याप्त है, मैं छोटी धन राशि, सहकारिता के शिक्षण, प्रचार प्रसार और विस्तार के लिये रखी जा रही है, उससे हम कैसे आशा जनक परिणाम की आशा कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है हमारे सामने। जिसकी सफलता पर हमारे राष्ट्र की प्रगति, खुशहाली और सम्पन्नता निर्भर है यह सफलता पूर्वक पूरा कर सकेंगे मुझे इसमें संदेह है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इन प्रावधानों के अन्दर कुछ ज्यादा रकम रखे और बढ़ाने की भी कोशिश करें और इन पर विशेष

(श्री रामेश्वरदयाल)

रूप से खर्चा करें, आज भी यह सहकारिता पर निश्चित लक्ष्य का आन्दोलन एक प्रयोगात्मक स्थिति में है। और वह नहीं बढ़ पाया है : बुक्स और पीरियोडिकल्स के ऊपर करीब ११ हजार रुपये बजट में रखे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए, सहकारिता की भावना का लोगों में प्रसार करने के लिए, सहकारिता के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के ऊपर छोटी छोटी पुस्तकें लिखवा कर राज्य सरकार की ओर से ग्रामों में बांटी जानी चाहिए ताकि लोग पढ़ें और समझें। इसी प्रकार से इसको समझाने के लिए कोऑपरेटिव वीक का जो प्रावधान रखा गया है, इसमें भी केवल पांच हज़ार की धन राशि रखी गई है। इसी तरह से सेमीनार के लिए १५ हजार की धन राशि रखी गई है और पब्लिसिटी के लिए भी १५ हज़ार रुपये रखे गये हैं। तो जो धन राशियां रखी गई हैं, वे अपर्याप्त हैं और इनके आधार पर हम इस आन्दोलन को तेजी के साथ आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए इस प्रश्न पर भी माननीय मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए।

इसके अलावा जहां प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रशिक्षण का कार्य गैर सहकारी स्तर पर किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का कार्य अगर सरकार अपने हाथ में लेगी तो कोई ज्यादा अच्छा परिणाम, कोई आशाजनक प्रगति इसमें नहीं होगी। इसलिए जहां प्रशिक्षण का सवाल है, वहां पंचायत क्षेत्र के अन्दर प्रशिक्षण शिविर खोले जाने चाहिए और उनकी व्यवस्था ग्राम पंचायत के सुपुर्द होनी चाहिए, या जो कोऑपरेटिव यूनियन्स हैं, उनके हाथ में प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो अगली पंक्ति से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी इतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि दूसरे लोगों की लेकिन आज जिस ढंग से और जिस रफ्तार से कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कम आशा है कि हम इस आन्दोलन को ज्यादा मजबूत बना सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, इस कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो मैंने कुछ सुझाव दिये हैं, उन पर माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे।

अब मेरा एक दूसरा कटौती का प्रस्ताव है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में है। माननीय उपाध्यक्ष, सहकारी खेती का एक क्रान्तिकारी और प्रगतिशील कदम नागपुर अधिवेशन के बाद राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार उठाने जा रही है, यह एक ऐसा अभूतपूर्व कदम है जिसके आधार पर हमारे देश की और प्रान्त की सम्पूर्ण कृषि अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए राज्य सरकार को एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने इस कार्य के लिए जो बजट में प्रावधान रखा है दो लाख रुपये का, मैं समझता हूं यह प्रावधान बहुत कम है और इसके जरिये हम इस कोऑपरेटिव फार्मिंग को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आज कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष, नाना प्रकार के सन्देह और शंकायें व्यक्त की जा रही हैं। कुछ राजनैतिक

Page No.40

(श्री रामेश्वरदयाल)

क्षेत्रों के अन्दर लोगों का यह विचार है कि यह सहकारी खेती हमें साम्यवाद की ओर ले जा रही है, यह सामूहिक खेती की ओर ले जा रही है, इस सहकारी खेती से उत्पादन पर असर पड़ेगा और हमें तानाशाही की ओर अग्रसर करेगी, इससे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के अधिकार को आघात पहुँचेगा और नौकरशाही को बल मिलेगा। इस प्रकार नाना प्रकार के सन्देह प्रगट किये जा रहे हैं, जिनमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, कि ये जो सन्देह प्रगट किये जा रहे हैं, वे निराधार हैं और उनमें कोई जान नहीं है। उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की बात गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके द्वारा छोटे छोटे किसान जो देश और राजस्थान राज्य के अन्दर अधिक संख्या में हैं, और जिनके पास ४०, ५०, ६० बीघा औसतन जमीन है, इन छोटे छोटे किसानों को, सघन खेती करने की, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग, सुधरे औजार, सुधरे हुए बीज वैज्ञानिक तरीकों से यांत्रिक खेती करके उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा।

इसके अलावा उन्हें यह भी मौका मिलेगा कि वे अपनी फसल को अच्छे भावों पर, अच्छे दामों में बेच सकें। इस प्रकार जो सहकारी समितियां बनेगी। उनसे लोगों को बहुत फायदा होगा। यह बात गलत है कि किसानों के साथ जबरदस्ती की जायगी या उनके ऊपर ज़बरन इस्तेमाल किया जायगा। किसानों को पूरी स्वतन्त्रता होगी कि वे संयुक्त सहकारी खेती में भाग लें या नहीं लें। उनका भूमि में स्वामित्व जो है वह सहकारी खेती में भी बदस्तूर रहेगा। आरम्भ में सेवा-सहकारी समितियों का निर्माण सारे देश में आने वाले तीन वर्षों में किया जावेगा।

यह एक बहुत अच्छी योजना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिससे हमारे देश का हमारे प्रान्त का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। इतनी बड़ी योजना और इसके बारे में हमारी राज्य सरकार उदासीन रहे, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस प्रभावशाली योजना को सफल व लोक प्रिय बनाने के लिये राज्य सरकार को एक ठोक योजना के साथ जनता के सामने आना चाहिये था ताकि जनता इस योजना का स्वागत करे और इसको क्रियान्वित करके राज्य सरकार को इस योजना में अपना पूर्ण सहयोग दे।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि इसको सफल बनाने के लिये सरकार को दो बातों का ध्यान रखना चाहिये।

पहली बात तो यह है कि गांवों में नेतृत्व का अभाव है, कहीं रही तो ज़िला स्तर पर भी नेतृत्व का अभाव है। आज हम गांवों में सहकारी खेती के प्रयोग को करने जा रहे हैं हमने गांवों में नेतृत्व का विकास नहीं किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत विचारणीय बात है। इधर तो नेतृत्व का विकास नहीं किया और उधर ऐसी प्रभावशाली एव महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित करने जा रहे हैं, जिसमें सहकारी कानूनों की जटिलता और औपचारिकता के कारण नहीं सरलता और सादगी और कानूनी पेचीदगियों में जकड़ी हुई है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गावों में इस नेतृत्व का विकास किया जाय ताकि कुछ लोग गांवों में, प्रशिक्षण प्राप्त करके इस

(श्री रामेश्वरदयाल)

तरह की सहकारी संस्थाओं का संचालन सुचारु रूप से करने के योग्य बन सकें। यदि यह महत्वपूर्ण योजना एक जगह भी असफल हुई तो इसकी प्रतिक्रिया पास पड़ोस के गांवों पर भयंकर रूप से होगी। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि गांवों में नेतृत्व तैयार किया जाय। पर माननीय उपाध्यक्ष, इस बजट में इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए इसके लिये कोई आवश्यक प्रावधान नहीं है, सहकारिता के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है, जो तत्काल बनानी चाहिये, इस कार्य को चालू करने से पहले अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे नहीं तो हमें संदेह है कि यह योजना जिस पर हमारे प्रान्त का और हमारे देश का भविष्य निर्भर है, कहीं असफल नहीं हो जाय।

दूसरी बात यह है कि सरकार इन सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं पर आंख रखे यानी नियंत्रण रखे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय के ऊपर भी आंख रखें।

(हंसी)

श्री रामेश्वरदयाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं दो तीन मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

इन सहकारी समितियों के प्रति लोगों के दिलों से श्रद्धा उठ गई है। इसका कारण है कि इनका ठीक तरह से संचालन नहीं होता है। समुचित देख रेख के अभाव में कार्यकर्ताओं की खराबी से इनका कार्य बिगड़ जाने से और लिक्विडेशन में चली जाने से लोग समझते हैं कि सहकारी समितियों का प्रयोग एक असफल प्रयोग है। योजना आयोग के एक सदस्य माननीय श्रीमान् नारायणसिंह-जी ने कहा है कि सहकारी खेती का प्रयोग एक बहुत अच्छा प्रयोग है पर इसका प्रयोग अच्छे सेवा भावी निःस्वार्थ और ईमानदार कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर है। अगर इस प्रकार के ईमानदार और सेवा भावी कार्यकर्ता उपलब्ध होन सके तो यह सहकारी खेती लूट खसोट का एक बड़ा साधन बन जावेगी।

इस लिये इन दो बातों की ओर माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान रखना चाहिये और इसके लिये पूरी पूरी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि हमारा प्रयोग सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके और आज जो इसके बारे में तरह तरह की शंकाएं और संदेह प्रकट किये जाते हैं और आज जिन संदेहों और शंकाओं के लिये हम इस सदन में कह रहे हैं कि वे संदेह और शंकाएं निराधार हैं, वे संदेह वास्तव में भविष्य में जाकर भी इसी तरह निराधार साबित हों, इस प्रकार की समुचित व्यवस्था सहकारी खेती के सम्बन्ध में करनी चाहिये। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : Dr. Chandra Kala. Will please move all her motions at a stretch.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदानों की मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ४२, सहकारिता के सम्बन्ध में मेरे ४ कटौती के प्रस्ताव हैं और मैं उन चारों ही कटौती के प्रस्तावों को एक साथ ही प्रस्तुत करती हूं।

मेरा पहला कटौती प्रस्ताव सहकारी समि-

(डॉ० चन्द्रकला)

तियों के निर्माण में पक्षपात पर विचार करने के लिये है। यह निश्चित बात है कि सहकारिता हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के लिये परम आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता रहती है। इसलिये हमारे जीवन में सहकारिता का उपयोग करें तो हमारा सामाजिक जीवन ऊंचा और हमारी आर्थिक व्यवस्था उन्नत हो सकती है और हम जिस समाजवादी समाज के लक्ष्य की कल्पना करते हैं, उस तक पहुँचने में हम सफल हो सकते हैं। पर बात कुछ और होती है। हम सहकारिता की भावना को सही रूप से न लेकर उल्टी दिशा में चलाते हैं। जिनको सहकारिता सहयोग की आवश्यकता है, वह जनता तो इस उद्देश्य से, सहकारिता से मिलने वाली सहायता से दूर रह जाती है और फायदा दूसरे ही लोग उठा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार जनता को सहकारिता की दिशा में प्रेरित करके उनको इस दिशा में तैयार नहीं करती बल्कि होता यह है कि जिन क्षेत्रों में, जिन उद्योग धंधों में, जिन व्यक्तियों में लोगों का कुछ स्वार्थ होता है उनको स्वयं सरकार प्रेरित करके इस तरह की सहकारी समितियों के निर्माण के लिये तैयार करती है और उन्हें यह सुविधाएं और सहायता देती है। हमारे जयपुर में एक दो इस तरह की सहकारी समितियों के निर्माण की बात मेरे ध्यान में आई है। चर्म उद्योग के लिए एक सहकारी समिति..

(श्री भैरोंसिंह, श्री माधोपुर, के राज्य पक्ष की कुर्सी पर बैठे होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar will not please canvass. He has sought my permission.

एक माननीय सदस्य : सहकारिता के आधार पर, कैसे उस पक्ष के सदस्य इधर आ रहे हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं तो यह कह रहा था कि उनको स्थाई रूप से इधर ही बिठा दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : बशर्ते की स्थाई रूप से मावली से आने वाले माननीय सदस्य उधर बैठ जायं।

श्री उपाध्यक्ष : We will decide that issue later on.

(हंसी)

डॉ० चंद्रकला : मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इन समितियों के निर्माण में सरकार अपने रुख को थोड़ा बदल सके तो अच्छा है। मैं चर्मकार सहकारी समिति की बात बता रही थी। इस उद्योग में लगे लोगों ने सरकार से बात कर के रजिस्ट्रेशन की बात कर के सरकार से सहायता चाही पर यह बात हो गई कि सरकार ने दूसरे लोगों को तैयार किया और उन लोगों ने कहा कि हम इस उद्योग को हाथ में लेना चाहते हैं, इन लोगों ने भी सहकारी समिति बना कर रजिस्ट्रेशन के लिये दरख्वास्त दी और आज दोनों समितियां समानान्तर रूप से चल रही हैं, किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। इस बात की कोशिश की गई कि दोनों समितियों के सदस्य मिल कर एक सहकारी समिति बना लें पर वह बनी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि

(डॉ० चन्द्रकला)

अमुक समूह सरकार की कृपा पात्रता प्राप्त नहीं कर सकता इसलिये इस समूह की सहकारी समिति को रजिस्ट्रेशन नहीं प्राप्त हो सका और दूसरी सहकारी समिति चूंकि पीछे आने वाले लोगों की है इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यह तो मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और सहकारी समितियों के बारे में भी यही बात है।

बहुत सारे उद्योग धंधे मनुष्य के लिये उपयोगी हैं और इनसे हमारी सामाजिक सम्पत्ति बढ़ती है। यदि उन उद्योग-धन्धों को सहकारी समिति के रूप में संगठित करके, सरकार से सहायता प्राप्त कर के व्यवस्थित संगठित रूप में चलायेंगे तो इनसे व्यक्ति, समाज और देश का उत्थान होगा। पर हमारी सरकार पक्षपात का बर्ताव करती है, वह ठीक नहीं है। अच्छा हो कि सरकार इस बात को छोड़ कर जनता में सही मानों में सहकारिता के आधार पर काम करने की भावना पैदा करने की ओर ध्यान दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव सहकारी संयुक्त कृषि प्रणाली के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि मनुष्य का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सहयोग के बिना नहीं चलता तो कृषि जैसा महत्वपूर्ण उद्योग तो सहकारिता के आधार पर ही चल सकता है। आज गांवों में देखते हैं कि किसानों के पास सीमित साधन होते हैं, वह सब एकत्रित हो कर लगते हैं तो खेती होती है। एक एक कुंए पर चार-चार और दस-दस चड़स चलते हुए हम देखते हैं, एक गन्ना पेरने की मशीन गांव में आती है तो सारे गांव का गन्ना उस मशीन से पेरा जाता है। इसकी तरह किसी के खेत को तैयार करना हो तो उसमें बहुत से लोग एकत्रित होकर हल जोतते हैं, तो कृषि जैसा महत्वपूर्ण उद्योग हर बात में सहकारिता की अपेक्षा करता है।

मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे यहां के लोग इस तरह की कृषि प्रणाली के लिये तैयार नहीं है। इसके लिये जनता को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, सरकार को इस तरह की कृषि प्रणाली प्रारम्भ करने से पूर्व इसके लिये भूमिका तैयार करनी पड़ेगी और उस भूमिका को तैयार करने के बाद इस प्रयोग को करेगी तो यहां सफलता मिल सकती है।

यह बात ठीक है कि हमारे सामने खाद्य समस्या बहुत भयंकर रूप धारण कर के आई, उसको हल करने के लिये तरह तरह के उदाहरण हम लोग ढूंढने लगे, देश विदेश के उदाहरण खोजने लगे, कहीं कुछ दिखाई पड़ा, तो कहीं कुछ दिखाई पड़ा, हमने जहां जो देखा उसी को ग्रहण करने की कोशिश की। कहीं चीन की संयुक्त कृषि प्रणाली यहां आती है तो कहीं अमेरिका की......

श्री जनार्दनराय नागर : चीन में तो संयुक्त कृषि प्रणाली नहीं है।

१ म० प०

डॉ० चन्द्रकला : पहले नहीं था, पर अब कम्यून का सिस्टम चल रहा है। न आपने देखा है और न मैंने देखा है, पढ़ा आपने भी है और पढ़ा मैंने भी है।

तो जहां संयुक्त कृषि प्रणाली की बात

(डॉ० चन्द्रकला)

है, उसका मैं समर्थन करती हूँ, इससे जटिल से जटिल प्रश्न को हम सम्भाल सकते हैं, पर इसके लिये आवश्यकता है मानस को तैयार करने की। बिना जन-मानस को तैयार किये कानून बना कर सहकारी कृषि प्रणाली को सफल नहीं बना सकते। वास्तव में हमें और आपको कृषि नहीं करना है, यहां हम बैठ कर विधान बना सकते हैं पर जिनको वास्तव में इस योजना को क्रियान्वित करना है वे इसके लिये कहां तक तैयार हैं इस चीज़ को हमें देखना है ? तो इसके लिये इस जन-मानस को जब तक तैयार नहीं कर लेंगे तब तक सहकारी जैसी प्रणाली कृषि में सफल हो सकेगी, इसमें मुझे सन्देह है।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव सहकारी समितियों के हिसाब-किताब में अनियमितता के सम्बन्ध में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के हिसाब-किताब की बातें प्रश्नोत्तर काल में सदन में आती हैं। मैंने स्वयं डीडवाना सहकारी समिति की बात रखी पर सरकार ने जिस तरह से उस प्रश्न को लिया, जो रुख रखा उससे किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि हिसाब के उस गड़-बड़ घोटाले को दबाने की कैसे कोशिश की ज़ाती है, बड़ी तत्परता के साथ जांच करने, अपराधी को पकड़ने, अपराधी को दंड देने के बदले सरकार उस पर पर्दा डालने का प्रयत्न करती है। आज भी वह व्यक्ति ४० हज़ार का घोटाला करके बड़े जोर शोर से कहता है, "मैंने ४० हज़ार का घोटाला कर दिया, जब तक यह सरकार है, जब तक यह यह व्यक्ति हैं, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।"

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : कौन व्यक्ति है नाम बता दीजिये।

डॉ० चंद्रकला : मैंने प्रश्न पूछा था, आपने शायद गौर से नहीं सुना। इसी तरह की और समितियों की बातें सुनते हैं। गाडो-लिया लोहारों के नाम से दूसरे लोगों ने सहकारी समिति बनाई......

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसी समिति है जिसमें ४० हज़ार रुपये की गड़बड़ का आपने कहा, वह कौन व्यक्ति है ?

डॉ० चंद्रकला : डीडवाने की सहकारी समिति है, श्री हरदत्त भार्गव या कोई भार्गव हैं जिनके लिये प्रश्नोत्तर काल में मैंने बताया था। वहां की जनता कहती है कि आज भी इसके लिये १००० रुपया जमा कराने के लिये तैयार हैं। इस मामले की जांच की जाय, अगर यह गलत साबित हो जाय तो हमारा यह एक हज़ार रुपया जब्त कर लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तो आपको नाम में गड़बड़ नहीं हैं, किस बात की सोसाइटी है, मल्टीपर्पज़ है या क्या है ? मैं इसलिये यह सब जानना चाहता हूँ कि थोड़े डिटेल सही दे दें तो जांच में सहूलि-यत हो।

डॉ० चन्द्रकला : मेरे उस प्रश्न में सारी डिटेल्स हैं और वे डिटेल्स मेरे पास हैं मैं दे दूँगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं बता दूँगा।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : गाडोलिया लोहारों के बारे में बनी सोसाइटी का मैंने जिक्र किया, सोसाइटी तो बनी नहीं और गाडोलिया लोहारों की कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से दूसरे ही लोगों ने तकावी ले ली और उस तकावी को अपने काम में खर्च कर दिया। जब गाडोलिया लोहारों को पता चला कि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से पैसा उठा लिया गया है तो उन लोगों ने इस सम्बन्ध में........

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सोसाइटी किस जगह की है ?

डॉ० चन्द्रकला : चित्तौड़ में है।

यह कोई एक-दो सहकारी समितियों की ही कहानी नहीं है। ऐसी कई सहकारी समितियां हैं जिनके हिसाब किताब से गड़बड़ी है, धांधली है। प्रश्नोत्तर काल में इस सदन में बताया जाता है, पर सरकार की ओर से गोलमटोल जवाब दिये जाते हैं। अच्छा होता यदि सरकार इसकी ओर रुख बदलती और सख्त कदम उटाती। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा सुझाव चौथे कटौती के प्रस्ताव में है। वह यह कि बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं जिनको यदि संरक्षण मिल जाय तो वे पनप सकते हैं। और उनके द्वारा हमारी आर्थिक अवस्था भी सुधर सकती है। हमारे जयपुर शहर में बहुत से छोटे छोटे उद्योग हैं उन उद्योगों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं इस बारे में मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूँ हमारे यहां गोटे का काम है, मूर्तियों का काम है मीनाकारी, हाथी दांत और बन्धेज के काम हैं। राजस्थान हमेशा तौर से कुटीर उद्योग एवं अन्य छोटे छोटे उद्योग, धंधों के लिये प्रसिद्ध रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस प्रान्त में ये सारे उद्योग और कुटीर उद्योग उसी अवस्था में चले आ रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उनका संरक्षण करें, उनका पालन पोषण करे। आज हो क्या रहा है कि जो गरीब लोग इन उद्योग धन्धों में लगे हुए हैं उनको सही सही फायदा नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा तो उनकी अनभिज्ञता का फायदा लोग उठा जाते हैं और उनका शोषण हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले राजकीय प्रवास भवन में सहकारी उद्योग धन्धों की प्रदर्शिनी हुई थी उस समय लोगों को यह कहते हुए मैंने सुना कि जिनकी पहुँच है उन्हीं लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया, सहकारिता के नाम पर हम गरीबों को कौन पूछता है। उन गरीबों को कोई नहीं पूछता और उनके उद्योग धन्धों को भी कोई नहीं पूछता और इससे उनकी अज्ञानता का फायदा कुछ लोग उठा जाते हैं। सरकार द्वारा उन लोगों को संरक्षण मिलता है जो किसी प्रकार के उद्योग धन्धे नहीं करते इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर वास्तव में सहकारी तत्वों को ही प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो सरकार स्वयं इस बारे में योजना बनाये और इस तरह की भावना पैदा करें और नियम, उपनियम इस तरह के बनायें जिसके आधार पर गरीब से गरीब आदमी भी सहकारी समिति का गठन कर सकें। सहकारी विभाग का भी यह कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों की सहकारी समिति को संरक्षण दे। इन सब बातों के होते हुए भी मैं सहकारिता की भावना का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि हमारी सरकार सहकारी आधार पर अपने प्रान्त और देश की

(डॉ० चन्द्रकला)

प्रगति की बात सोचती है वह तब तक पूरी नहीं हो सकेगी जब तक हम इस सहकारिता को सही और ठीक ढ़ंग पर नहीं ले जायेंगे। मैं आशा करती हूं कि हमारी सरकार इस योजना को सही दिशा में लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कुछ सुझाव और कुछ आलोचना सम्बन्धी बातें बताऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर सहकारी आन्दोलन प्रगति कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। यह मानी हुई बात है कि देश सहकारिता के आधार पर ही प्रगति कर सकता है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में सहकारिता आये। आज हमारी विदेश नीति भी सहकारिता के आधार पर चलती है। माननीय उपाध्यक्ष, इस सहकारिता के आधार पर जो निम्नतम स्थिति हैं उसमें फर्क है, जो सहकारी समितियां बनाई जाती है उनमें बड़ा अन्तर होता है। उसमें लम्बे चौड़े घोटाले होते हैं। मैं इस सिलसिले में दो चार सोसाइटियों की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा। धौलपुर में मोटर ट्रान्सपोर्ट मलटीपर्पज़ नाम से एक सोसाइटी है। यह उन लोगों का संगठन है जिन लोगों द्वारा सिर्फ मोटर ड्राइवर्स और मोटर क्लीनर्स है उनके नाम से एसोसियेशन बनाया गया है। लेकिन इसे अगर आप देखें तो इस पर आज पूंजीपतियों का कब्जा है गरीब मोटर ड्राइवर्स या क्लीनर्स जो हैं, उनको शेयर तक देने के लिये तैयार नहीं है। इस सम्बन्ध में एक रिप्रेजेन्टेशन हुआ था, लेकिन आज भी उसके सम्बन्ध में स्पष्ट नीति नहीं निर्धारित हुई है। यह जरूर है कि इसको मान्यता केवल इसलिये दी हुई है कि यह मोटर ट्रान्सपोर्ट यूनियन है और इसमें ड्राइवर्स और क्लीनर्स सभी शामिल है। लेकिन आज हम उनके अन्दर देखें एक भी ड्राइवर्स और क्लीनर नहीं होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट इन्क्वायरी की चीज़ है और शेयर्स जो है वे दूसरे ही लोगों को मिले हुये हैं।

इसके अलावा महरोली तहसील बाड़ी के जो सरपंच है वे एक प्रकार से बोहरा हैं। पहले भी वे इसी प्रकार का बिज़नेस करते थे और आज भी करते हैं, आज भी वे बोहरे सरपंच बने हुए हैं वे स्वयं कर्ज़ा ले लेते हैं, और खुद ही दे देते हैं। इस तरह से किसानों को जो रुपया मिलता है उसमें बड़ा घोटाला होता है। वहां का किसान आज भी परेशान है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहां की सोसाइटी का जिक्र कर रहे हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : महरोली गांव की। इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। अभी तक गांव के किसान इतने समझदार नहीं कि वे यह समझ सकें कि कोऑपरेटिव का क्या अर्थ है। इस तरह से जो पैसा सोसाइटी के नाम पर मिलता है उस पैसे से वे स्वयं फायदा उठाते हैं।

इसी प्रकार की एक भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी उदयपुर के नाम से है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एक विचित्र सोसाइटी है। इसके अन्दर जो सज्जन हैं वे इतने जबरदस्त हैं कि सैकड़ों बीघा ज़मीन और रुपये इन्होंने अपने नाम से ले लिये उन्होंने एक हज़ार रुपये का कुआं दो हज़ार में लिया उसका

(डॉ० बहादुरसिंह)

अकॉउन्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉउन्ट के अन्दर है उसमें निर्माण के लिये छः हज़ार रुपये बताये गये हैं। इसके अलावा कई लोगों को भूमि से बेदखल करके एकतथा! कथित राजनैतिक शरणार्थी ने वह जमीन ही हड़प नहीं ली बल्कि उसके साथ तीस हज़ार रुपया मिल्क डेयरी के नाम से भी लिया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वे मंत्री हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : मंत्री महोदय तो नहीं हैं, कुछ नाम ऐसा ही है।

श्री उपाध्यक्ष : नाम बता दीजिये ताकि कनफ्युज़न न हो।

डॉ० बहादुरसिंह : उनका नाम है, मोहनलाल बासवानी।

श्री भैरोंसिंह : भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कई सोसाइटीज़ हैं आप कहां का जिक्र कर रहे हैं बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : भोपाल सागर नहीं शहर की है।

डॉ० बहादुरसिंह : प्रतापगढ़ की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है ?

डॉ० बहादुरसिंह : जी हां। उन महोदय ने तीस हज़ार रुपया और वह मिल्क डेयरी के नाम से लिया कुआं, बनवाने के लिये, लिये थे। ऐसे जो काम हैं वह अच्छे नहीं लगते।

एक माननीय सदस्य : कब लिया ?

डॉ० बहादुरसिंह : काफी समय हो गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की जो सहकारी समितियां बन जाती है तो उनसे सहकारी आन्दोलन को बड़ा भारी धक्का लगता है। इससे जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वह पूरा नहीं होता और इसीलिये लोग आलोचना करते हैं। आज जो कृषि सहकारी आन्दोलन हम चलाने जा रहे हैं उसके लिये जो लोगों का ख्याल है कि यह कम्युनिज़म को लाने वाला है, साम्यवाद की तरफ सरकार बढ़ रही है ऐसी बात नहीं है। बहुत से मित्र इससे भयभीत है वे यह सोचते हैं कि अगर सहकारी आन्दोलन चल गया तो उनकी जो दुकानदारी है वह उठ जायगी और उनका जो मकसद है उसमें वे सफल नहीं हो पायेंगे। जीवन के अन्दर अगर सफलता प्राप्त करनीं है तो बिना सहकारिता का आधार लिये हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि में सहकारी आन्दोलन चालू किया गया।

मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। हम जब भूमि अलॉटमेंट कमेटी में भूमि अलॉटमेंट के लिये बैठते हैं तो देखते हैं कि डेढ़ डेढ़ बीघा ज़मीन है। खास तौर से मैं अपने क्षेत्र का जिक्र करूं वहां तो लोगों के पास इतनी भी भूमि नहीं। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के पास सीलिंग की जो लिमिट है उससे भी बहुत कम भूमि है। लेकिन हम यह देखते हैं कि किसी किसी के पास दो, बीघा किसी के पास डेढ़ बीघा ये इस प्रकार की ज़मीनें हैं जिनको यदि कोऑपरेटिव बेसिस पर खेती करने दिया जाय निश्चित रूप से उत्पादन

(डॉ० बहादुरसिंह)

बढ़ सकता है और खर्चे में भी कमी आ सकती है। इस तरह से जो लोग सोचते हैं कि कृषि आधार पर सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता उनका यह सोचना बिल्कुल उचित नहीं है। मौजूदा सहकारी समितियों का जो ढांचा है उससे तो एक प्रकार से शंका पैदा होती हैं। सरकार को और सहकारी विभाग को यह सोचकर इस विभाग में काम नहीं करना चाहिये। मुझे याद है ही एक बार भरतपुर में सहकारिता का आन्दोलन चला था, उस समय भाषण देते हुए वहां एक नेता महोदय जो वहां पधारे थे, उन्होंने कहा :—

हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि रजिस्ट्रार वगैरह को बार बार बदलना नहीं चाहिये क्योंकि यह ऐसा विषय है जिसमें हमें प्रशिक्षित करना पड़ता है आदमियों को और जब प्रशिक्षित करते हैं तो इसके बाद उसको वहां से बदल देते हैं तो वह उसकी टेक्निक दूसरा आदमी नहीं समझ पाता और इस तरह काम को नुकसान होता है। इसी तरह दूसरा आधार जो है वह उनमें मिशनरी भावना होनी चाहिये।"

तो इस तरह से इस सहकारिता को सफल बनाना है तो हमें उन कर्मचारियों में जो सहकारी विभाग में काम करते हैं, मिशनरी स्पिरिट लानी होगी। और इस तरह के दिमाग उनके बनाने होंगे। उनको यह महसूस करना होगा कि उनके जीवन का लक्ष्य यह है कि वे इस सहकारी आन्दोलन को सफल बनावें, और इसके लिये लाज़िमी है कि जनता में भी विश्वास की भावना लानी होगी उनका निज का भी इसमें क्या हित हो सकता है। नहीं तो इससे फिर कोई फायदा नहीं होने का। इसलिये हम इन सब बातों पर विचार करते हुए अगर इस सरकारी मशीनरी को इस आर्थिक नीति को क्रियान्वित करने के लिये तैयार नहीं किया तो निश्चित रूप से यह सवाल पैदा होगा कि हम किधर जा रहे हैं।

तो इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करते हुए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैंने तीन सोसायटियों की नज़ीर रक्खीं वे ऐसी हैं जिन पर उनको विचार करना चाहिये और उनके विभाग को विचार करना चाहिये। नज़ीरें और भी हो सकती हैं जो हमारे इस आन्दोलन को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के विषय में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। उन दोनों को मैं एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का....

श्री उपाध्यक्ष : ३ हैं या २ हैं।

श्री भैरोंसिंह : ३ होंगे।

डॉ बहादुरसिंह : (धौलपुर) और दो-चार होंगे, देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : तीन ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

सहकारिता का नाम कितना सुन्दर है यह

Page No.49

(श्री भैरोंसिंह)

बात तो अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों के भाषणों से सदन को ज्ञात हो गई होगी कि उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में जो अब तक प्रगति हुई है उसकी अच्छी तरह से अच्छे शब्दों में आलोचना की और आलोचना करने के बाद में भी जिस चीज का अनुभव यह हुआ हो कि अभी तक सहकारी खेती सफल नहीं हुई है, उसी आधार को स्वीकार करने के बावजूद भी चूंकि नाम बड़ा ही सुन्दर है इसलिये सभी ने इस बात की कोशिश की है कि सहकारी खेती के सिद्धान्त का आधार हमारी आर्थिक नीति हो, इसलिये इसको स्वीकार किया जावे और इसको सफल बनाया जावे।

इससे कुछ ऐसा लगता है कि जिस तरह से अपने यहां कई बार अन्धे व्यक्ति का नाम नैन सुख रख दिया जाता है हालांकि उसको दिखता नहीं पर नाम तो उसका नैनसुख है। बिलकुल उसी प्रकार के संज्ञा आज की इस सहकारिता की है।

सहकारिता के द्वारा लाभ नहीं होता है, सहकारिता के प्रशासन के अन्दर अनियमिताएं हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है, रेड टेपिज्म है, देरी से करने की प्रवृत्तियां हैं, सभी तरह की खराबियां इसमें व्याप्त हैं, जिनके लिये आज की यह सरकारी नौकरशाही मशहूर है, लेकिन इसको बीकार करने के बाद भी वे कहते हैं, इसे लाना है। तो ताज्जुब होता है। जो हमें अनुभव हुआ उसके आधार पर कार्य करना है हम क्यों नहीं चाहते ? इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा लगता है कि इसके मूल में कोई एक विशेष कारण है। जिसको लेकर हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि चाहे अनुभव कितना ही मिला क्यों न हुआ हो, हमें इस सिद्धान्त को पनपाना है। पनपाने का परिणाम कैसा ही निकले इसकी चिन्ता नहीं पर यह कार्य हमें करना है।

सहकारी खेती और अन्य सहकारी समितियां इन दोनों को हम एक विचारधारा से नहीं ले सकते। जहां तक सहकारी खेती का प्रश्न है इसमें इन्डिविजुअल प्रोप्राइटरशिप खत्म होती है और इसके साथ दूसरी सहकारी समितियां हैं जिनको हम सर्विस कोऑपरेटिव कह सकते हैं उनमें इन्डिविजुअल प्रोप्राइटर शिप के समाप्त होने का नाम नहीं है। पर हम इन सब पर एक साथ और एक तरह से विचार करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का विचार करने का दृष्टिकोण ही मूलतः गलत है।

सर्विस कोऑपरेटिव फार्मिंग दोनों को एक लाइन पर रखेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में भयंकर भूलें हम करने वाले हैं जिनका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। वे घातक किसान के लिये हैं, वे घातक समाज के लिये हैं, ऐसी बात नहीं, पर वह घातक हमारे इस प्रशासन की आधारशिला और मूलमन्त्र हैं उसके लिये भी घातक हो सकते हैं।

आज मैं यह नहीं कहता कि चीन में भारतीय डेलीगेशन गया ५६ में गया था। ५७ में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में भी मोटी मोटी बातों को स्वीकार किया गया और जो दो मेम्बर थे उन्होंने अपना नोट ऑफ डिसेन्ट दिया। उसको देखा जावे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है

(श्री भैरोंसिंह)

कि आज जो लोगों के सामने प्रलोभन की बात कही जाती है कि कोआॅपरेटिव फार्मिंग के ज़रिये लोगों के अन्दर अधिक उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, बेकारी की समस्या दूर होगी अनाज की अधिक उपज होगी ये जो तीन चीजें कही जाती हैं वे केवल चीन सरकार के द्वारा जो डॉक्युमेन्ट्स दिये जा रहे हैं उनके आधार पर कही जाती हैं। उनका कितना विश्वास किया जावे इसका संकेत उन्होंने स्वयं ने किया है कि पूर्णत: उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन सरकार ने मोटा सिद्धान्त स्वीकार किया है और वह यह है कि इन्डिविजुअल प्रोप्राइटरशिप को खत्म करने के मार्क्स की और लेनिन की थ्योरी के अनुसार इन्डिविजुअल प्रोप्राइटरशिप की फीलिंग बना रही हैं तो केपिटेलिज्म के प्रसार को रोकने का साधन बना सकते हैं। तो उन्होंने इसका लिंक इस केपिटेलिज़्म का प्रसार रोकने का लिंक इस इन्डिविजुअल प्रोप्राइटरीशिप को खतम करने से जोड़ रक्खा है। अगर इस प्रकार प्रोप्राइटरशिप को समाप्त नहीं किया गया तो केपिटेलिज़्म के अंकुर उसी प्रकार बने रह सकते हैं। मार्क्स और लेनिन की थ्योरी के अनुसार कभी फिर केपिटेलिज़्म अपना सिर उठा सकता है इसलिये इसको फिर न उठने देने के लिये मोटा सिद्धान्त उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हम सहकारिता के नाम पर इस इन्डिविजुअल प्रोप्राइटरशिप को खतम करना है। इसको साधन बनाया। उनको आशंका है कि कहीं इससे क्लास वार न छिड़ जावे इसलिये उन्होंने सबसे पहले यह स्लोगन लगाया कि लैंड लॉर्ड्स खत्म किये जावें। इसके बाद इस आवाज़ को मज़बूत किया जावे कि जो जोते, जमीन का मालिक वही हो, किसान हो जो भूमि जोतता है। उसे कहा गया कि जब तक राजे महाराजे, जागीरदार वगैरह हैं, जब तक उनकी व्यवस्था है तब तक किसान ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता। इसलिये इस स्लोगन के साथ उनको समाप्त किया।

इसके बाद में सब किसानों की संज्ञा में आ गये तो किसानों को चार भागों में बांटा। एक बड़ा किसान, लैंड लार्ड, दूसरा मिडिल क्लॉस पीज़ेन्ट, इसके बाद में पूअर पीज़ेन्ट और इसके बाद में लैंडलैस लेबरर्स।

उनकी चार संज्ञायें बनाई। पहली श्रेणी में जितने में लैंड लॉर्ड्स थे, उनको खत्म किया और इनको मिडिल पीज़ेन्ट्स के द्वारा खत्म करवाया। अब इसके बाद में मिडिल पीज़ेन्ट्स को पूअर पीज़ेन्ट्स में खत्म कराया। इस तरह से सारे के सारे पीज़ेन्ट्स पूअर पीज़ेन्ट्स की संज्ञा में आ गये। अब इसके बाद में पूअर पीज़ेन्ट्स की और लैंडलैस पीज़ेन्ट्स के बीच में स्ट्रगल चालू की और इस तरह की व्यवस्था कर दी कि जितनी भी ज़मीन थी वह सारी की सारी कोआॅपरेटिव के नाम से सरेन्डर करा दें। तो सबसे पहले उन्होंने यह सिस्टम जारी किया कि लैंड लैस पीज़ेन्ट्स और पूअर पीज़ेन्ट्स की सोसाइटी बनाई जाये। इसमें शुरु की स्टेज़ में वह मालिक बने रहेंगे जमीन के और जो आदमी जमीनों को कोआॅपरेटिव के नाम से सरेन्डर करने वाले हैं उनके हक हकूक उसी प्रकार से बने रहेंगे। ऐसी ही बात चाइना में कही गई थी, लेकिन उसके दो वर्ष बाद ही जब लैंडलैस और पूअर पीज़ेन्ट्स के बीच में, कोआॅपरेटिव के शेयर्स के मामले में झगड़े होने लगे तो पूअर पीज़ेन्ट्स को कहा गया कि

(श्री भैरोंसिंह)

आप अपने मालिकाना हक्क सरेन्डर करो और अगर सरेन्डर नहीं करोगे तो तुमको सोसाइटी से इल्यूमीनेट होना पड़ेगा और आखिर उनको सोसाइटीज़ से इल्यूमीनेट कर दिया गया । इसके बाद में चाइना के अन्दर कोआॅपरेटीवाइज़ेशन आ गया और फिर उसके बाद में कलेक्टीवाइज़ेशन इस पर जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो सरकार ने कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ की दो संज्ञायें बना दी एक तो प्राइमरी कोआॅपरेटिव सोसाइटी और दूसरे प्रोग्रेसिव कोआॅपरेटिव सोसाइटी । पहले प्राइमरी सोसाइटीज़ बनी और उसके बाद में एडवान्सड कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनीं उसके बाद उसका नाम सीधे कलेक्टीवाइज़ेशन हो गया और जितने भी ज़मीन मालिक थे वह सब के सब मालिक मज़दूर किसान हो गए । अब इसके बाद में परेशानी यह आई कि जितने भी किसान मज़दूरों की संज्ञा में काम करने लगे तो अनएम्पलॉयमेन्ट की समस्या हो गई । किसानों ने काम के लिए दरख्वास्तें दी तो उनको फिर सब्सीडियरी आॅक्युपेशन के नाम से सड़कों के ऊपर या लेबर कैम्पस बनाये और उनको काफी संख्या में इकट्ठा किया गया और इसी चाइना डैलीगेशन की रिपोर्ट में इस बात का संकेत है कि उन दिनों चीन में पचास लाख लोगों को कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट की खिलाफत करने वाला कहा था, उन काश्तकारों को जिन्होंने अपनी जमीनें सरेन्डर की और जिन लोगों ने अपने हक मांगे उनको लेबर कैम्पस में ले जाया गया और वहां पर जब वह उनको लेबर प्रोवाइड नहीं कर सके तो उनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगा कर कि इनके दिमाग में अभी तक कोआॅपरेटिव मूवमेंट की खिलाफत है उन पचास हज़ार लोगों को फायर स्क्वेड्स में दे दिया ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चाइना गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है यह मैं समझता हूँ कि फोरिन गवर्नमेंट के बारे में आपकी व्यवस्था चाहिये कि क्या हम फोरेन गवर्नमेंट के मामलों में यहां पर बहस कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : We are not discussing the foreign policy. It is something about the principles of co-operatives.

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने का मतलब यह नहीं है । अगर माननीय सदस्य के पास यह किताब नहीं है तो वह मेरे पास से ले लें और पढ़ लें । इसमें सभी बातों का उल्लेख है । यह चाइना डेलीगेशन की रिपोर्ट जो भारत सरकार ने भेजी थी उसमें यह सब बयान किया गया है । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि कई लोग वहां पर मार दिये गये और उसके बाद में....

श्री जनार्दनराय नागर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह बात भी इस रिपोर्ट में लिखी है ?

श्री भैरोंसिंह : हां, आप पढ़ लेना इसके अन्दर लिखा है । मैंने सब पर पेज़ नम्बर लगा रखा है और मैं पढ़ कर पूरी तैयार करके आया था और इसमें से कुछ पढ़ कर भी सुनाता लेकिन समय नहीं है ।

आज यदि हमारी सरकार की यह इच्छा है कि आज जो किसान जमीनों के मालिक

Page No.52

(श्री भैरोंसिंह)

हैं उन किसानों को कल हम मजदूरों की संज्ञा में ले आयें और मजदूरों की संज्ञा में लाकर उनको कोई इन्डिपीडेन्स न रहे यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण है तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि इसको हम केवल जब ही कर सकते हैं जब कि हम अपने इस संविधान को भंग कर दें और टोटेलीटेरियन के प्रिन्सिपल्स को स्वीकार कर लें और उसके बाद में एक डंडे से सारे देश के किसानों को हांक सकेंगे । आज की डेमोक्रेसी में तो यह सम्भव नहीं है । हमारे संविधान में तो इन्डीविजुअल प्रोपराइटरशिप को सेफगार्ड दिया है, हर प्रकार की स्वतंत्रता के सिद्धांत को माना है, उसको अपने व्यवसायों को अपनाने की छूट दी है लेकिन जहां कलेक्टेवाइजेशन के नाम पर और उसके आधार पर खेती होती है वहां यह कहें कि आप अपनी इच्छा से कपास, गेहूँ, चने आदि की खेती करें तो यह नहीं हो सकता । आज के चाइना के अन्दर किसान केवल जिस तरह से मशीन का पुर्जा एक मशीन के अन्दर वर्क करता है उसी तरह से चाइना का किसान जहां कि टोटेलीटेरियन किसान है वहां का किसान इन्डीपेन्डेन्टली वर्क नहीं कर सकता बल्कि वह मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मशीन के पुर्जे का काम करता है । आज हम यह कहते हैं कि हमें कोआॅपरेटिव फार्मिंग लाना पड़ेगा और उसके पीछे आप दो दृष्टिकोण बताते हैं । एक दृष्टिकोण तो सोशियल जस्टिस का और दूसरा अधिक उत्पादन का दृष्टिकोण है । यदि हम आज दूसरे देशों के आंकड़े देखें तो आज सहकारी समितियां केवल ४ देशों में है । रूस में, चाइना में, इज़राइल में और मैक्सीको में है । इसके अलावा दुनिया में और कहीं भी सहकारी समितियां काम नहीं कर रही हैं । इन चारों देशों की सहकारी समितियों को लिया जाय और यह देखा जावे कि कहां की सहकारी समितियां सफल हुई हैं तो मालूम होगा कि केवल इज़राइल को छोड़ कर कहीं पर भी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ सफल नहीं हुई हैं । वैसे हम इज़राइल के बारे में भी पूरी तरह नहीं बता सकते कि वह सफल हुई है पर वहां की रिपोर्ट है कि वहां सहकारी समितियां सफल हुई हैं और प्रोडक्शन के मामले में सफल हुई हैं । इज़राइल की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा है कि इज़राइल के अन्दर पहले सब काम काज खेती का अरबों के हाथ में था इसलिए प्रोडक्शन कम था लेकिन जिस समय इज़राइलियों की हुकूमत हुई तो उन्होंने लोगों को पूरी सुविधायें सीड, मेन्योर आदि सभी तरह की सुविधायें दीं तो उसके आधार पर प्रोडक्शन बढ़ा है । आज चाइना के लिए गारन्टी से नहीं कह सकते कि सहकारी समितियों के कारण वहां का प्रोडक्शन बढ़ा है । चाइना के अन्दर लड़ाइयां होती रहती थीं और काश्तकार को पता नहीं था कि जो जमीन आज वह जोत रहे हैं, कल जो अनाज पैदा होगा और परसों जिसको काटनेवाले हैं उसका वह स्वयं भी उपभोग कर सकेंगे या नहीं या फिर इसका उपभोग कोई दूसरे ही करेंगे और सब भगवान के भरोसे था । इसलिए वह प्रोडक्शन कम होता था । पर ज्यों ही वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वहां पर सब तरह की फैसिलिटीज़ दीं और यह उसी का कारण था कि जमीन का रिक्लेमेशन भी हुआ । इन सब कारणों से चाइना का प्रोडक्शन बढ़ा है । आज दुनियां में कोई नहीं कह सकता कि लोगों के मिल कर खेती करने

(श्री भैरोंसिंह)

के कारण से प्रोडक्शन बढ़ा है। आज पर-एकड़ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा संसार में जापान में है। उसका कारण एक और है कि वहां पर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं है। हां, अलबत्ता वहां पर सर्विस कोऑपरेटिव्स अवश्य हैं। वहां पर कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं है। वहां पर अलग अलग फैमिली फार्मिंग है। लेकिन पर एकड़ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चावल के हिसाब से जापान में है। वहां पर फैमिली फार्मिंग है और कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि जब एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीनी जाती है, व्यक्ति को काम करने का इनीशिएटिव होता है अपनी भूमि में जितना होता है वह कलेक्टिवली उतना नहीं होता और उस कारण से आज कोई यह कहे कि कलेक्टिवली इनीशियेटिव उतना ही रहेगा जितना कि इन्डीविजुअली इनीशियेटिव होगा, यह सम्भव नहीं है। मैं माननीय कृषि मंत्री से स्पष्ट शब्दों में यह कहूंगा कि आज जहां जहां राजस्थान में कुएं खुदे हुए हैं और कुओं पर खेती होती है तो उन कुओं की खेती ने, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक उदाहरण पेश किया है कि ज्वाइन्ट फैमिली के बेसिस पर कुओं पर जो खेती होती थी और पिछले ५-६ वर्षों में उस परिवार में लोगों की संख्या बढ़ी है तो हर एक आदमी ने कोशिश की कि कुआं एक ही रहे और ज़मीन का बंटवारा हो जाय। जहां ४० बीघा ज़मीन एक परिवार के पास में थी वहां पर १०, १० बीघा ज़मीन बांट ली है। कुआ एक ही रहा है और चौथे रोज़ टर्न आता है तब सिंचाई की जाती है। उससे एक बात निश्चित रूप से सामने आई है कि फ्रेगमेन्टेशन ज़मीन का हुआ है। लेकिन प्रोडक्शन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से चारों टुकड़ों का इतना प्रोडक्शन बढ़ा है यानी ज्वाइन्ट फैमिली के बेसिस पर जिस कुंए पर वे खेती करते थे उससे डेढ़ गुनी और दुगनी पैदावार बढ़ी है। किसी भी जगह का आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियन्स ले लें जहां कि कुओं पर खेती होती थी। दाता रामगढ़ या श्री माधोपुर जहां कि कुंए बने हुए हैं वहां पर आपको इस बात का अनुभव मिलेगा। आज की स्थिति के अन्दर एक साथ मिलकर हम खेती करवाना चाहते हैं वह सम्भव नहीं है। पंचायत के प्रशासन के कारण लोगों में आपस में ज़बर्दस्त फूट है, आपस में संघर्ष है। पंचायत के फैसलों को लेकर संघर्ष है। राजनैतिक वातावरण को लेकर आपस में संघर्ष है। राजनैतिक वातावरण के कारण लोगों में आपस में संघर्ष की भावना है। गांव गांव में संघर्ष है। उस संघर्ष के वातावरण के अन्दर हम प्रयास करते हैं कि उस संघर्ष को भूल जायं, सारे एक जगह एक साथ खेती करने लगें. मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल असम्भव है, इस असम्भव बात को सामने रख कर जो हमारी अर्थ नीति है वह केवल हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि इस हमारे देश के लिए भी अच्छी नहीं होगी। गांवों में आपस में झगड़े हैं और हम उम्मीद करें कि वे आपस में मिल कर खेती करेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे यह कभी नहीं हो सकेगा।

आज कोई यह कहे कि भारत सरकार या भारत के बड़े बड़े नेता एक बात कहते हैं कि जितनी भी जमीन कोऑपरेटिव फार्म में आयेगी वह वालेन्टरी लोग सरेन्डर करें। उन पर फोर्स किसी तरह का एक्सरसाइज़ नहीं किया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्री भैरोंसिंह)

बात बड़ी हंसी की है। कौनसा फोर्स एक्सरसाईज़ नहीं किया जायगा ? फोर्स से मतलब यदि यह है कि डंडे के बल से जमीन ली जायगी या किसान को जंगले में रख दिया जाय और कहा जाय कि तुमको जमीन सरेन्डर करनी पड़ेगी, मैं समझता हूं कि यदि इस भाषा के रूप में वे लेते हैं तो मैं इसको मानने को तैयार हूं। लेकिन जिस तरह के ऑर्डर्स आपने निकाले हैं कि सीलिंग के बाद में जो सरप्लस लैण्ड है, जो सरकार के अधिकार के अन्दर पड़त ज़मीन है वह इन्डिविजुअल को न देकर कोऑपरेटिव्ज़ को दी जायगी। यह फ़िज़ीकल कम्पलशन नहीं है लेकिन थ्योरिटिकल कम्पलशन है। थ्योरिटिकल कम्पलशन के अन्दर केवल इतना ही नहीं आता है लेकिन जिस प्रकार की बातें आप बना रहे हैं यह चीज़ भी इसमें आती है कि तकावी के लिए आपने कर दिया है कि जितने भी कोऑपरेटिव फार्म्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाय इसमें जितने भी लोन्स देने हैं, सीड देने हैं, या और बाकी सहायता देनी है उसमें इस प्रकार की आज्ञा कर दी है कि प्रायोरिटी कोऑपरेटिव फार्म्स को दी जाय। तो इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड करके काश्तकार अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स से परेशान हो जायं, और परेशान होकर वह किसी न किसी प्रकार से ज़मीन कोऑपरेटिव फार्म के नाम पर सरेन्डर कर दें, मैं इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का फोर्स आप करना चाहते हैं। तो इससे निश्चित रूप से वालन्टेरिली कोई जमीन सरेन्डर करना चाहता है तो करे, यह सिद्धान्त नहीं रहेगा। आप थ्योरिटिकली कम्पेल कर रहे हैं कि वह ज़मीन को सरेन्डर कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस प्रकार करेगी। ऐसा करेगी जिस प्रकार से यह मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण में देखा है, यह मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय के भाषण में देखा है। सरकार के सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान के टार्गेट्स बने हुए हैं। उन टार्गेट्स में तय कर रखा है कि ५८, ५९ में कितनी सहकारी समितियां बनानी हैं, ५९, ६० में कितनी सहकारी समितियां बनानी हैं, ६०, ६१ में कितनी सहकारी समितियां बनानी हैं और ६१, ६२ में कितनी सहकारी समितियां बनानी हैं। जिस चीज़ को वालेन्टेरी करना चाहती है उसके लिए पहले से आंकड़े तय कर दें कि इतनी सहकारी समितियां बनानी हैं तो उस भावना में कम्पलशन साफ है। वह छिपा हुआ नहीं है। उसमें कम्पलशन किस प्रकार से एक्सरसाइज़ किया जायगा आज कैसे कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि सहकारी समितियों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका जिक्र मैं ५ मिनट में करूंगा, विशेष प्रेरणा नहीं मिलती है। ज़मीनें कोऑपरेटिव को सरेन्डर कर देंगे, वह सरेन्डर कोऑपरेटिव में किस प्रकार से फलीभूत होगा ? जहां सरकार प्लान बनाती है कि इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी है तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अपने प्लान के टार्गेट्स को पूरा करने की दृष्टि से चाहे फ़िज़ीकल कम्पलशन एप्लाई करे चाहे थ्योरिटिकल कम्पलशन एप्लाई करे हर सूरत में कम्पलशन एप्लाई करेगी चाहे जवाहरलाल नेहरू कहें, चाहे राजस्थान के कृषि मंत्री कहें, चाहे देश के सबसे बड़े नेता कहें, बिना कम्पलशन के ज़मीन किसान जिसको वह अपने जीवन से ज्यादा प्यारी है छोड़नेवाला नहीं है। सरेन्डर की जाये और उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाय, उसकी दूसरी

Page No.55

(श्री भैरोंसिंह)

श्रेणी में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी आती है जिनके पास अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स हैं। अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स को जितने भी काश्तकार हैं उनको परेशान किया जाय। अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स के जितनी लाये-बिलिटी होती है उसके नाते परेशान किया जाय ताकि इकोनॉमिक कन्सोलिडेशन के नाम पर अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स के होल्डर्स को, सारे होल्डर्स को सरकार कोऑपरेटेव खेती के नाम पर पूल करने की चेष्टा करेगी। वह चाहेगी कि वे मज़बूर किये जायं। वह मज़बूर हो जायं उसके बाद में जितनी बंटी हुई खेती है उसको कोऑपरेटिव फार्म में बाई फोर्स जिसको वह एक्सरसाइज़ कर सकें सहकारी खेती में लाकर उस ज़मीन पर कल्टीवेशन किया जाय। सहकारी समितियां डंडे के बल पर या एक आदमी के बल पर नहीं बन सकती हैं। जिसका खुद का कोई प्लान नहीं हो। सरकार प्लान के आधार पर टार्गेट फिक्स करती है जहां पर स्वतन्त्रता का कोई नामोनिशान नहीं है। उसी स्थान पर सह-कारी समितियां सफल हो सकती हैं।

सोशियल जस्टिस के नाम पर कहा जाय हमारे देश में लैण्डलेस लेबरर्स बहुत हैं। ऐसे गांव में खेती करनेवाले खेती करते हैं और लैण्डलैस लेबरर्स को खेती नहीं मिलती है। यह सोशियल इन्जस्टिस है। मैं मानता हूँ कि ज़मीन भगवान की देन है, लेकिन वह सीमित है, बढ़ नहीं सकती है। जिन लोगों के पास में रहेगी वह उतने ही लोगों के पास में रहेगी। सरप्लस लेबर के लिए दूसरे धन्धे जुटाने पड़ेंगे। आज चाहे आप इस बात को स्वीकार नहीं करें। मूल में ही हमसे गलती हुई है कि हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को काम धन्धा नहीं दे सके हैं। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में नहीं दे सके हैं, सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान का जितना समय निकल गया है उसमें नहीं दे सके हैं। आगे की कल्पना कार्य रूप में परिणित होगी, इस बात की आशा नहीं है। इस कमज़ोरी को छिपाने के लिए हमारी सरकार कहने लगी कि यह सोशियल इन्जस्टिस है। लैण्डलैस लेबरर्स भी ज़मीन के मालिक हैं। उस जमीन में लैण्ड-लैस लेबरर्स का हिस्सा होगा। ज़मीन सरप्लस हो, किसान खेती नहीं कर सकते हों, इन्टेन्सिव कल्टीवेशन नहीं हो सकती हो, उपज नहीं बढ़ती हो तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। लैण्डलेस लेबरर्स को ज़मीन दिला सकते हैं। लेकिन मैं तो नहीं कहता लेकिन यू० पी० के एग्रीकलचर मिनि-स्टर हैं चौधरी श्री चरणसिंह, उन्होंने किताब लिखी है उसमें सारे स्टेटिक्स दिये हैं और इस बात को सिद्ध किया है कि लार्ज होल्डिंग्स जितने हैं उनमें इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के मुकाबले में कम पैदावार होती है। इसके लम्बे चौड़े आंकड़े हैं उनका जिक्र तो नहीं करता हूँ लेकिन उन्होंने इन्डिया के ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर दूर दूर के आंकड़े तैयार किये हैं। जितने भी कन्ट्रीज़ हैं हर कन्ट्री के एग्रीकलचरल स्टेटिक्स तैयार किये है, मंगाये हैं। उसके आधार पर इस चीज़ को सिद्ध किया है कि लार्ज फार्म्स की पैदावार कम होती है और छोटे फार्म्स जिनमें इन्टेन्सिव कल्टीवेशन होती है उनमें पैदावार ज्यादा होती है। पैदावार के दृष्टिकोण से छोटी छोटी ज़मीनों को एकत्रित करके कोऑप-रेटिव के नाम पर चलाने से पैदावार कम होगी।

अब प्रश्न एम्प्लॉयमेंट का आता है, तो

Page No.56

(श्री भैरोंसिंह)

मैं यह कहूंगा कि जब तक कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को डवेलप नहीं करेंगे और लैंड पर प्रेशर कम नहीं करेंगे उस समय तक बेकारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है। इसीलिए सीलिंग के लिए मैंने कहा है। जिन लोगों ने सीलिंग के द्वारा रुपया इन्वेस्ट किया है उनको दूसरे क्षेत्र में रुपया इन्वेस्ट करने का चान्स मिले। वे मज़बूर हो जायं दूसरे क्षेत्र में रुपया लगाने को। इसलिए सीलिंग को एप्लाई किया जाय। बाकी जिन लोगों की आवश्यकताएं खेती से पूरी नहीं हो सकती हैं वे दूसरे उद्योगों में अपना धन लगायेंगे। कॉटेज़ इन्डस्ट्री के अन्दर लगायेंगे। इससे कॉटेज़ इन्डस्ट्री डेवलप होगी उसका नतीजा क्या होगा कि लोगों को काम धन्धे मिलेंगे। कोऑपरेटिव से बेकारी की समस्या जो बढ़ेगी ही वह घटेगी नहीं बल्कि बेकारी की समस्या और बढ़ेगी आज भी किसान का आधा समय बेकार जाता है। हम उसके आधे समय के लिए भी धन्धे नहीं जुटा सके हैं। अब इसके द्वारा किसान को और मौका दे रहे हैं कि वह साल भर बैठा रहे। इस प्रकार की व्यवस्था से मैं समझता हूं कि किसान बेकार होगा। पैदावार कम होगी और जितने साधन हम जुटा सकते हैं और किसी प्रकार से पैदावार बढ़ा सकेंगे वह चीज़ नहीं होगी। लोगों की स्वतन्त्रता उससे छीनी जायगी। बोलने और व्यवसाय की जो स्वतन्त्रता है उस पर हमला होगा। उसका नतीज़ा आज नहीं तो कुछ समय के बाद में कि आज जो रूलिंग पार्टी है वह रूलिंग पार्टी अधिक दिनों तक ज़िन्दा नहीं रह सके और खत्म हो जाय। आज जो सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं उनके सामने टेस्ट है। एक दिन वह भी आ सकता है कि हमारे देश में कोऑपरेटिव फार्मिंग को लेकर इस प्रकार का संघर्ष आ जाय जिसका डेमोक्रेसी की कीमत पर परिणाम निकलेगा। आज चाहे जितनी धमकियां दी जायं कि देश के निहित स्वार्थ-वाले व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पनपने नहीं देंगे। वह सारे निहित स्वार्थ इस प्रकार की धमकियां चाहे देश का बड़े से बड़ा नेता देता हो जनता उसको मानने को तैयार नहीं है। जनता इस बात के लिए तैयार है कि सरकार की इस प्रकार की धमकियों का डट कर मुकाबला करें।

अब प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सहकारी समितियां बनी थीं। हमने उनका अनुभव किया है। मैं यहां पर एक एक का जिक्र नहीं करता, मैं यह भी नहीं कहता कि अब तक प्रगति किस प्रकार रही है लेकिन विधान सभा का इतिहास इसका साक्षी है। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अब तक बनी हैं उसके बारे में मैं मंत्रीजी को चुनौती देता हूं कि वे उनमें से किसी का भी हिसाब बतादें, मैं उसके अंदर का घोटाला बता दूंगा। आप जबानी बताना चाहते हैं तो मैं जबानी बता दूंगा। आप किसी का भी हिसाब बतादें मैं उस में घोटाला बता दूंगा। हमारे यहां सहकारी समितियां और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ केवल एक मकसद के लिये बनी हैं और वह मकसद यह है कि सरकार से पैसा लिया जाय। यह एक ही दृष्टिकोण है। बोगस समितियां बनी हैं जिनकी मार्फत लोग पैसा लेते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे कृषि मंत्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है और उन्होंने किया है नकली सहकारी समितियों का भंडा फोड़ का आवाहन। इसका मतलब यह है कि जिन सहकारी समितियों को हम अपनी

(श्री भैरोंसिंह)

आर्थिक नीति का आधार बनाना चाहते हैं उनमें नकलीपन आ गया है। इसलिए इनके भंडाफोड़ की आवश्यकता है। सरकार स्वयं इसको मानती है। जिसको हम आर्थिक नीति का आधार बनाना चाहते हैं वह अब तक पनपी नहीं है। अभी उसमें अंकुर फूटा है। उसमें भी यदि नकलीपन आ गया तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो आर्थिक ढांचा बनेगा वह देश की तरक्की के लिये नहीं बल्कि देश की बर्बादी करने के लिये होगा। इसके बारे में मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि इसको यदि कार्य रूप में परिणत करना हो और बोगस सहकारी समितियों के खिलाफ एक्शन लेना हो तो आप एक छोटी सी बात बतावें। आप के पास इन सोसाइटीज़ के बारे में ऑडिट रिपोर्ट आई है और उसके ऊपर इस विभाग के भूतपूर्व रजिस्ट्रार श्री विक्रम-प्रसाद सूद ने नोट लिखा है जिसमें बताया है कि किस प्रकार की समितियां बनी हैं और उन्होंने कितने रूपये का दुरूपयोग किया है, आप वह नोट सदन में पेश करदें और उसमें जिन बातों का उल्लेख है उन पर एक्शन लेलें। तो कृषि मंत्रीजी ने जिन नकली समितियां का भंडा फोड़ किया है उनको कार्यरूप में परिणत करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें। नहीं तो मैंने यहां पर एक बार नहीं कई बार कहा है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाषण देते हुए कई कोऑप-रेटिव सोसाइटीज़ का जिक्र किया था उनका जिक्र आज दुबारा नहीं करना चाहता। उसमें से आप एक ज़िले को ले लें। खाली भीलवाड़ा ज़िले को पकड़ लें जिसमें भारत सेवक समाज की तरफ से जलसा हुआ है और अभी अभी हमारे प्रधान मंत्रीजी ने भीलवाड़ा में कहा है कि हमको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की आवश्यकता है। मैं वहां पर आपके साथ अपने खर्च से चलूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से दुरूपयोग हुआ है। यहां पर मैं यदि नाम लूंगा तो आपत्ति होगी। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। एक एक ज़िला एक एक तहसील और एक एक सोसाइटी को लेलें और उनकी जांच करें तो पूरा नक्शा आपके सामने आ जायगा। उसके बाद यदि आप महसूस करें कि इन सहकारी समितियों से देश का भला होगा तो आपको कोई रोकनेवाला है नहीं। लेकिन हमें गंभीरता के साथ देखना होगा कि किस प्रकार की समितियां हैं और यदि गलत तरीके से चल रही हैं तो उनके खिलाफ कदम उठाना होगा और यदि आपके पास इस प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं जो लोगों में प्रेरणा पैदा कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि सहकारी समितियों में करेक्टर की आवश्यकता है। यदि करेक्टर नहीं है तो करप्शन होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन संदर्भ आ गया है। जहां पर करेक्टर नहीं होगा वहां पर करप्शन जरूर होगा और जहां करप्शन होगा वहां प्रेरणा नहीं मिल सकती। इस प्रकार की मेरी मान्यता है और मैं समझता हूं मावली से आनेवाले माननीय सदस्य भी इस बात को मानते होंगे क्योंकि वे भीलवाड़ा के नज़दीक रहते हैं और मैं समझता हूं वे स्वयं इसका जिक्र कर देंगे..

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आप ही जिक्र कर दीजिये।

२ म० प०

श्री भैरोंसिंह : आप स्वयं महसूस करते होंगे कि इस प्रकार की बात है जमीन बांटने

(श्री भैरोंसिंह)

की जो समिति है उसके द्वारा किस प्रकार ज़मीन बांटी गई। बोगस नाम से जमीन बांटी गई। पुलिस में चालान करने के आॅर्डर्स चले गये कि इस प्रकार के व्यक्ति का चालान कर दिया जाय लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। जहां इस प्रकार की समिति हो वहां उससे किसी प्रकार की भी प्रेरणा नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कहा है कि हमें सर्विस कोआॅपरेटिव को पनपाना है, रूरल क्रेडिट सोसाइटीज को पनपाना है, जितनी मल्टी पर्पजेज़ कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको पनपाना है उसके लिए आवश्यक है कि इस डिपार्टमेंट को ज्यादा टाइटन करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ज्यादा एफिसियेन्ट बनायें। आप बार बार जितने रजिस्ट्रार हैं उनको ट्रान्सफर कर देते हैं। उसके बाद में कोशिश करते हैं कि कोई एक्सपीरियेन्स प्राप्त किया हुआ आदमी आये। मसूरी में जो काॅन्फ्रेन्स हुई थी डवेलपमेंट आॅफ़िसर्स की उसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रार बदले नहीं जांय, डिप्टी रजिस्ट्रार को ट्रेन्ड होना चाहिए, इन्स्पेक्टर्स ट्रेन्ड होने चाहिए। लेकिन सरकार की इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि इन्सपेक्टर्स, कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को ट्रेनिंग देते हैं। यह व्यवस्था है जिसको लेकर मैं समझता हूं कोई संतोष नहीं हो सकता। आज नहीं, १० वर्ष पहले की जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनमें गबन हुआ है, उनमें घोटाला हुआ है। मैंने दो प्रश्न रखे हैं मेरी काॅन्स्टिट्यूएन्सी के, श्री माधोपुर, खंडेला कोआॅपरेटिव सोसाइटी के लेकिन मुझे अफ़सोस है सरकार की तरफ़ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जो आॅडिट रिपोर्ट है। उसमें ६ हजार के गबन का उल्लेख है। एक १३ हज़ार के गबन का उल्लेख है। इस सदन में भी कई बार कहा गया है लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं समझता हूं कि यह आह्वान इसलिए नहीं है कि हम कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के इस नक्शे को पेश करें बल्कि आह्वान इसलिए है कि लोगों की ज़बान बन्द कर दें यह कह कर कि यह सरकार कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ़ एक्शन लेने को तैयार है।

(घंटी)

मैं चाहूंगा कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ में एफिसियेन्सी लाने के लिए वहां लोगों के अस्तित्व को सुरक्षित करें। बार बार आॅफ़िसर्स को बदलने की आवश्यकता नहीं। चाहे एक कोआॅपरेटिव सोसाइटी पाॅलिटिकल रीज़न्स से बनती हो या किसी और आधार पर बनती हो, मैं समझता हूँ कि अगर कोई गलत काम करता है तो पाॅलिटिक्स को दूर रख कर उसके खिलाफ़ एक्शन लें तब ही मैं समझता हूँ सर्विस कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ सफल होंगी। इसके साथ ही जिनके द्वारा किसानों का शोषण होता है, जिनके द्वारा किसानों के साधन कम होते हैं, जो किसानों के लिए साधन नहीं जुटा सकते हैं, वे सब साधन सर्विस कोआॅपरेटिव के द्वारा किसानों को मिल जायेंगे। जापान का नक्शा हमारे सामने है, इंगलैंड का नक्शा हमारे सामने है, कनाडा का नक्शा हमारे सामने है, बर्मा का नक्शा हमारे सामने है जहां सर्विस कोआॅपरेटिव्स के बेसिस पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया है, किसानों की हालत को अच्छा बनाया है, किसानों में बहबूदी लाकर बुरी

(श्री भैरोंसिंह)

परिस्थितियों को दूर किया है। इन सारे दृष्टिकोणों से मैं निवेदन करूंगा कि हमें सर्विस कोऑपरेटिव में सख्ती से कदम उठाना चाहिए। हम अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पेश करें ताकि लोगों में भावना पैदा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोलने की। मैं समझता हूं कि यह चीज़ स्लोगन्स से नहीं होगी। क्योंकि हमारे देश के एक नेता ने एक बात कह दी इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए इसे स्वीकार न करें क्योंकि हमारे यहां की परिस्थितियों के अन्दर अन्तर है। हमें इसे नामंजूर करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में सहकारी खेती पनप नहीं सकती और अगर पनपेगी तो देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा और अगर देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा तो देश के अन्दर एक टोटेलीटेरियन गवर्नमेंट कायम होगी, किसानों को मज़दूर बना कर रख दिया जावेगा, उनके लिए कोई इन्डीपेन्डेन्स नाम की चीज़ नहीं रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सर्विस कोऑपरेटिव्स का विरोध करते हुए यह चाहता हूं कि जो सहकारी समितियां हैं उनको पनपाया जाय। यह कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में सहकारी समितियों के निर्माण के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया, यह निर्णय देश की विशेष परिस्थितियों में लिया गया, यह बात नहीं है। जिस प्रकार डॉ० बहादुरसिंहजी ने कहा कि हर क्षेत्र में सहकारी समिति बनाने का प्रस्ताव ला रहे हैं वह इसलिए नहीं कि जब से स्वतंत्रता मिली है तब से अन्न की समस्या को हल नहीं कर सके। यह समस्या किस प्रकार हल हो बल्कि इस बात के लिए है कि जनता का ध्यान इस ओर जा रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए है। जो साधन अभी तक अपनाये हैं वे असफल रहे हैं इसलिए सहकारी खेती का नया दृष्टिकोण रखा। यह जो नया सवाल आया है क्या इससे इस प्रकार की समस्या हल हो जायगी ? यह कहा गया कि अपने देश के अन्दर खेत छोटे छोटे हैं, जब तक खेतों को बड़ा नहीं बनाया जायगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। आज दुनिया में दो तरीके हैं जिनके द्वारा बड़े खेतों में खेती होती है। एक तरीका है अमेरिका का और दूसरा रूस का तरीका है। अमेरिका का जो तरीका है उसमें एक आदमी के पास बड़े खेत होते हैं जिसको कि हम केपिटेलिस्ट कह सकते हैं। हम जब अपने देश के अन्दर समाजवाद का नारा लगाते हैं तो अमेरिका का तरीका पनपाने नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के अन्दर एक आदमी के पास बड़े खेत होते हैं उन पर वह ट्रेक्टर से खेती करता हैं वह तरीका अपने यहां नहीं अपनाया जायगा क्योंकि हमारी सरकार हर प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। वह नहीं अपनाया जायगा, तो दूसरा तरीका है रूस का और उसके छोटे भाई चीन का। मुझे आशंका है कि वह तरीका हमारे यहां अपनाया जायगा। इसलिए अपनाया जायगा कि वहां जिस प्रकार की पद्धति सहकारी कृषि की लागू की जा रही है उसी प्रकार की यहां लागू की जा रही है। पहले प्रश्न खड़ा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हुआ था कि उपज क्यों नहीं बढ़ती है तो इसका एक नारा था कि उपज इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि जमीन से किसान का सम्बन्ध नहीं है। इसलिए "Land to the tiller" का नारा लगाया गया। यह कहा गया कि किसान खेती में इसलिए इन्ट्रेस्ट नहीं लेता है क्योंकि जमीन जागीरदार के पास है। इसलिए जब तक जागीरदारी को खत्म नहीं किया जायगा तब तक किसान इन्ट्रेस्ट नहीं लेगा क्योंकि उसका जमीन में कोई इन्ट्रेस्ट नहीं होगा इसलिए वह इन्ट्रेस्ट नहीं लेगा। इसलिए जागीरदारों को हटाया गया। वह वास्तव में किसानों को राहत देने के लिए था। किसानों का जमीन से लगाव हो, वे समझें कि वे ज़मीन के स्वामी हो गये हैं इसलिए यह आवश्यकता समझी गई और जागीरदारों को हटा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, 'इंडियन डेलीगेशन टू चाइना', यह एक रिपोर्ट है, इसका जो पेज़ १६४ है इसके अन्दर जो मार्क्सवाद के सबसे बड़े प्रणेता हैं लेनिन उनको कोट किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि काश्तकार को जब तक हम मजदूर और नौकर नहीं बनावेंगे, मजदूर की डिक्टेटरशिप नहीं बनायेंगे, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। उन्होंने स्वयं कहा है :

"According to Lenin, the peasants were to be subjected to the "Dictatorship Of Proletariat" and this was to be done not all at once but group and step by step. In his own words, "at first we support the peasantry in general against the landlords, support to the end by all means including confiscation and then (or rather not then but at the same time) support the Proletariat against the Peasantry in general".

तो जिस तरीके को अपने देश में लागू करना चाहते हैं, वह उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले नारा होना चाहिए "Land to the tiller" उसके बाद में होना चाहिए अबॉलिशन ऑफ लैंड लॉर्डिज्म

"At this stage, the slognas are "Land to the Tiller", "Abolition of Landiordlsm". After the landlords are abolished, the peasantry in general is to be divided into "rich peasants", "middle peasants", "poor peasants" and the "landless labourers". The policy is to isolate each section......"

श्री उपाध्यक्ष : That has already been discussed by Mr. Bhairon Singh.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अच्छी बात है। इस प्रकार जो तरीका वहां अपनाना चाहते थे वह तरीका यह है। अब यह सवाल है कि हमारे देश में यह तरीका सफल हो सकता है या नहीं ? हमारे देश में समस्या ज़मीन की नहीं है, हमारे यहां समस्या बेकारी की है। जब भी मज़दूर क्षेत्र में देश में परीक्षण होते हैं तो यह कहा जाता है कि पुरानी मशीनें हैं उनके स्थान पर नई मशीनें लानी चाहिए यानि नवीनीकरण करना चाहिए और जब रेशनेलाइज़ेशन किया जाता है तो मजदूर नेता सवाल उठाते हैं कि मजदूर बेकार हो जायेंगे। जब कृषि में नवीनीकरण कर रहे हैं तो हमारे यहां पर बैल हल को जोत नहीं सकता। उसके स्थान

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पर मशीन लानी पड़ेगी, ट्रैक्टर लाने पड़ेंगे और बैल और काश्तकार बेकार हो जायेंगे। काश्तकार नहीं चल सकता। ट्रैक्टर में जो फैक्टर हैं वे यह हैं कि एक तरफ ट्रैक्टर है उसके बाद में तेल और उसके बाद में धूंआ। ट्रैक्टर, तेल और धूंआ यह शक्ल बनती है। दूसरी तरफ बैल का विचार है। बैल के बाद घास और घास के बाद में खाद। इस प्रकार एक तरफ तीनों चीजें प्रोडक्टिव मिलती हैं यानि बैल के साथ घास है और घास के बाद में जो कुछ मिलता है वह मिलता है खाद और दूसरी तरफ देखते हैं, जिसको हम देश के अन्दर लागू करना चाहते हैं कोआॅपरेटिव खेती के नाम से वहां आयेगा ट्रैक्टर उसके लिए लाना पड़ेगा तेल और उसके बाद जो कुछ मिलेगा, वह मिलेगा धूंआ। अगर आपने ट्रैक्टर को इस्तेमाल किया तो खाद नहीं मिलेगी जो स्वाभाविक खाद है। इसके लिए हमारी राजस्थान सरकार ने पहले से देख लिया है कि अगर सहकारी कृषि होगी तो ज्यादा खाद नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार सिन्दरी का सा कारखाना गंगानगर ज़िले के अन्दर बनाने जा रही है। तो जो चीज़ बैल से मिलने वाली है उसके बाद उपयोगिता आती है गाय की। गाय से जो चीज़ प्राप्त होती है वह है दूध और उसके साथ में पोष्टिक चीजें। वे भी समाप्त हो जायेंगी। सहकारी कृषि के बाद बैल की आवश्यकता नहीं होगी, गाय की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि घी मिलने लग गया है, वैजिटेबल घी, तो वैजिटेबल घी का आयात शुरू हुआ है तो अच्छे घी की आवश्यकता नहीं होगी। सहकारी कृषि का आघात इस पर भी होगा।

अब सवाल यह आता है कि सहकारी खेती किस प्रकार होगी ? मैं कहता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार भी स्पष्ट नहीं है कि सहकारी कृषि किस प्रकार लागू की जायगी। एक तरफ यह विचार प्रगट किया कि अगर सहकारी कृषि को लागू किया तो बड़े खेतों को बैल जोत नहीं सकेंगे और दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रस्ताव सहकारी कृषि का आया उसमें गृह मंत्रीजी कहते हैं कि यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि खेत बड़े करेंगे तो दोनों चीजों में किस प्रकार ताल मेल बैठायेंगे। अगर आपने यंत्र का प्रयोग नहीं किया तो बड़े खेत नहीं होंगे और अगर मशीन का प्रयोग किया तो जो लक्ष्य आप रखना चाहते हैं। वह पूरा नहीं होगा। बड़े खेतों के अन्दर यन्त्र नहीं चलें, किसान काम नहीं कर सकें तो आखिर तरीका क्या होगा ? मैं समझता हूं इससे एक प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो जायगा। आप भले ही उसका लाभ उठा कर सामूहिक खेती देश में लागू कर दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि पंडितजी ने कहा है कि हम किसी पर दबाव नहीं डालेंगे, किसी काश्तकार पर दबाव डाल कर नहीं कहेंगे कि सामूहिक खेती करो। मुझे पृष्ट याद नहीं है, भूमि सुधार समिति की रिपोर्ट है उसमें कहा है कि अगर हमारे प्रयत्नों का फायदा नहीं मिला तो हमें ज़ोर भी एप्लाई करना पड़ेगा। यह कांग्रेस भूमि सुधार समिति की रिपोर्ट है। इसका पृष्ठ मुझे याद नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है कि यदि किसान राजी नहीं हुए तो काश्तकारों पर दबाव डालने के लिए तैयार हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Member on the

(श्री उपाध्यक्ष)

Press Gallary will please not disturb the debate.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर सामूहिक कृषि के लिए काश्तकार तैयार नहीं हुए तो दबाव डालना पड़ेगा, यह कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार किया है। अगर उचित फल नहीं दिखाई पड़ा, तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर कुछ देशों में परिस्थिति आई और कलेक्टिव कल्टीवाइजेशन हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि देशों में क्रांति हो गई। इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने का अर्थ यह है कि देश के अन्दर प्रजातन्त्र न हो। हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं, वह होगा नहीं, देश के अन्दर प्रजातन्त्र समाप्त होगा। आज आप भले ही बहुमत के आधार पर निर्णय लागू कर दें, लेकिन इसके साथ ही आपको देश के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि किस आधार पर देश का निर्माण करना है। हमने कुछ फन्डामेन्टल राइट तथा किये हैं, जब हमने संविधान बनाया, तब तय किया था कि देश में प्रजातन्त्र रहेगा और व्यक्तियों को सब तरह के अधिकार होंगे। आज रूस और चाइना में प्रजतन्त्र है, वह कहने के लिये ही है। क्या उस तरह का प्रजातन्त्र देश में लाना है। लेकिन उसके विपरीत हमारे यहां जिस प्रकार के प्रजातन्त्र की कल्पना हमारे संविधान में किया गया है, उसी प्रकार के प्रजातन्त्र को अपने देश में चालू रखना है। इस प्रजातन्त्र का और सहकारी कृषि का ताल मेल नहीं बैठता है। संसार के किसी देश के अन्दर सहकारी कृषि चालू नहीं हो सकी। आज दो ही रास्ते हैं, चीन और रूस के रास्ते और तीसरा रास्ता है, इज़राइल का, वहां पर सहकारी कृषि सफल हुई है लेकिन उसकी परिस्थिति भिन्न है, वहां राष्ट्रवादी विचार धारा है। वह आज अरब राष्ट्रों से घिरा हुआ है, इज़-राइल का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वहां यह पद्धति लागू की गई और वह सफल हो गई। आज उस छोटे से देश की ओर संसार के देशों की आंखें लगी हुई हैं, वह प्रगतिशील राष्ट्र है और वहां की सरकार राष्ट्रवादी है। हमारे देश के लोगों का चरित्र जिस प्रकार गिरता जा रहा है, उस चरित्र के बल पर हम सहकारिता लागू करें, जहां दो भाई साथ बैठ कर अपने घर की व्यवस्था नहीं चला सकते, वहां अगर सामूहिक खेती होगी तो जब दोपहर का टाइम होगा, तो किसान से कहे कि निलाई कर दो, वह कहेगा, मैं क्यों करूं। अगर निलाई का टाइम निकल गया तो खेत उजड़ जायगा क्योंकि किसान का लगाव नहीं है, इसलिए अच्छी निलाई नहीं होगी और खेत उजड़ जायगा। जब आप सामूहिक खेती प्रारम्भ करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, इसलिए सहकारी कृषि की योजना बनायेंगे, तो यह देखना होगा कि हमारे यहां राष्ट्र प्रेमी की भावना है या नहीं, देश प्रेम है या नहीं। अगर नहीं है तो इस से देश का पतन हो जायगा और उपज कम हो जायगी, लोग भूखे मर जायेंगे। अगर आज हम नहीं सोचते हैं, अगर काश्तकार नहीं सोच सकता है तो इसका परिणाम यह होगा कि सहका-रिता कृषि असफल होगी जिस प्रकार दूसरे देशों में सहकारिता असफल हुई है, क्योंकि वहां इस प्रकार की भावना नहीं थी, इसलिए परिणाम यह हुआ। अगर आपको सह-कारिता लागू करनी है तो जैसा स्वयं इस

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रिपोर्ट में कहा है कि जापान के देश में, जहां यह उद्योग उन्नति पर है, उन्होंने वहां सर्विस कोऑपरेटिव्स बनाई हैं। यदि हम अपने देश में सर्विस कोऑपरेटिव लागू करें, तो जो अग्रेरियन कोऑपरेटिव्स हैं, वे निश्चित् रूप से देश को पतन की ओर ले जायेंगी। मैं समझता हूँ इस प्रकार से जो काश्तकार वर्षों से खेती करता है, सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ के द्वारा उसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम स्वंयम् इस दृष्टि से तो काश्तकारों को गुलाम बनाना चाहते हैं। यदि काश्तकारों के प्रति हृदय में सही भावना है तो सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ बनाइये, उनके ज़रिये तकावी चाहिये तो तकावी दे सकते हैं, अन्यान्य खाद इम्प्लीमेन्ट्स देना चाहें तो दे सकते हैं। आज के ही अखबारों में मैंने पढ़ा है कि माननीय हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने यह कहा है कि हम केवल तीन वर्ष के लिये सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ लागू करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि एग्रेरियन कोऑपरेटिव्ज़ को अलग कर दें।

एक तरफ सीलिंग है। सीलिंग का हम विरोध नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि सीलिंग को लागू कीजिये। लेकिन यह जो निर्णय लिया गया है कि सीलिंग के बाद जो फालतू जमीन आवेगी वह लैंड लैस लेबरर्स की कोऑपरेटिव्ज़ को देंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार इन कोऑपरेटिव्ज़ के जरिये एक बहुत बड़े वर्ग को कायम करना चाहती है। हम यह नहीं चाहते हैं कि लैंड़ लैस को ज़मीन न दी जाय। लेकिन सरकार की मर्जी से ज़मीन दी जावेगी, हम इसके पूर्णतया विरोधी हैं। सरकार जिसको चाहे उसको जमीन देगी और जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं देगी। इसका परिणाम यह होगा कि जिस प्रकार स्टेट ट्रेडिंग के ऊपर बात थी कि सरकार मर्जी के अनुसार पर्मिट देगी उसी प्रकार से सरकार की मर्जी होगी उसको तो काश्त की ज़मीन देगी और जिसके प्रति मर्जी नहीं होगी उसको काश्त के लिये ज़मीन नहीं देगी। जो सरकार का समर्थन नहीं करते उनको जमीन नहीं मिलेगी। सीलिंग का मतलब तो यह है कि आज देश में अनइकोनॉमिक होल्डिंग है, आज जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे ली जाय और जिनके पास कम जमीन है उनको दी जाय, यह मेरी स्पष्ट धारणा है। जो जमीन का उपयोग नहीं करते, जिनके पास अधिक ज़मीन है, उनसे वह ज़मीन ले ली जाय। लेकिन उसका वितरण कहां होना चाहिये? इसके लिए मेरी यह धारणा है कि उसका वितरण वहां होना चाहिये जिनके पास अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स है। उनके लिए वह ज़मीन हम छोड़ दें कुछ टर्म बांध कर कि दो साल में या पांच साल में इस ज़मीन का इतना रुपया चुका दे और उसके बाद वह ज़मीन उसकी हो जाय, खरीद लेने के रूप में, इस तरह से जो अनकोनॉमिक होल्डिंग उसके पास रहती है वह इकोनॉमिक बन जायगी। लेकिन यह कहना है कि अनइकोनौमिक होल्डिंग को तो वैसे ही रखने दीजिये और बाकी की जो ज़मीन सीलिंग लगा देने के बाद बच रहेगी उसकी कोऑपरेटिव्ज़ बना दी जावेंगी। यह गलत होगा। जो ज़मीन आज हमको फालतू मिलती हैं उनको सहकारी समितियों को न देकर उनको दें, जिनके पास ज़मीनें कम हैं, जिससे कि उनका भला भी होगा और देश की अर्थ व्यवस्था को भी लाभ होगा। आज

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जिनका उनके पास जो ज़मीन है उस काश्त से भी उनका पेट नहीं भरता है, जो गरीब हैं, जो काश्त करके भी अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं तो उनमें जो ज़मीन आप बड़े २ काश्तकारों से लेंगे वह वितरित कर सकते हैं यदि इस प्रकार का ढंग अपनायेंगे तो खाद्य की और काश्त की समस्या हल हो सकती है। दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह प्रयत्न करें कि वह कितनी उपज बढ़ाता है, आज प्रति एकड़ जमीन की उपज़ बढ़ाने का सवाल नहीं है लेकिन एक एक इंच भूमि से कितनी ऊपज हो सकती है इसका सवाल है। यदि इस प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों पर ध्यान नहीं देंगे तो इससे नुकसान ही होने वाला है। जो बड़ी ज़मीनें रहेंगी, उनके पास से आने पर छोटी छोटी ज़मीनों पर, साधन बढ़ा कर उपज़ बढ़ा सकते हैं। आज सरकार एक्स्टेन्सिव कल्टीवेशन का नारा लगा रही है लेकिन इससे उपज़ नहीं बढ़ेगी। आज तो देश को इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की जरूरत है और वह तब ही हो सकती है जब बड़े पैमाने पर वह करें। जितनी सरकार ने तय किया है सीलिंग लगा कर सरकार उतनी ज़मीन रखे जिससे कि काश्तकार उतनी ज़मीन पर अच्छी तरह से ध्यान लगा कर खेती कर सकेगा, इससे उपज़ बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। जितनी ज़मीन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है और यह तब ही हो सकता है जब अधिक से अधिक उपज़ बढ़े और उसके लिये इन्टेन्सिव कल्टीवेशन ही उपयुक्त हो सकती है, जिसकी कि आज देश को आवश्यकता है। देश में प्रजातन्त्र को लागू करने के लिये बड़ी भूमि नहीं रखनी चाहिये। और सर्विस सहकारी कोऑपरेटिव के ज़रिये काश्तकारों में धारणा पैदा करें। आज हम देख रहे हैं कि सरकार अनाज की समस्या को सामने रख कर कई योजनायें बना कर भी इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पायी और उसकी योजनायें असफल रही हैं। सरकार कई वर्षों से कह रही थी कि वह खाद्य में आत्म निर्भर होना चाहती है लेकिन उनकी योजनाओं का आधार ही गलत है। जिस ढंग से सहकारिता को लागू करना चाहती है सरकार उसको लागू न करे लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया है उसी ढंग से लागू करे तो सफलता अवश्य ही मिल सकती है। इस दृष्टिकोण से उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सहकारिता का सरकार का दृष्टिकोण है उसका विरोध करते हुए मैंने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण (अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय (अनुपस्थित)

श्री जनार्दनराय नागर (अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के ऊपर मेरे दो कट मोशन्स हैं, उनको मैं एक साथ ही पेश करता हूं। पहला तो कट मोशन यह है, विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विचार करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में सहकारी समितियों में इतना व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि यदि उसका वर्णन किया जाय तो कृषि मंत्रीजी को हर बात की इन्क्वा-

(श्री लक्ष्मीचन्द)

यरी करानी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि मैं आपसे निवेदन करूं कि नीचे से ही सहकारी समितियों बोगस बनाई जाती हैं, फर्जी मेम्बर बनाये जाते हैं और उनके नाम से पैसा उठाया जाता है। मैं आपको इसके कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। एक "सीधा रास्ता" नामक पेपर है, सूरजगढ़ में कोऑपरेटिव्ज़ है, जसिके बनारसीलालजी प्रधान हैं, १७५.०० रुपया उन्होंने मेम्बरों के नाम से उठा लिये, तमाम मेम्बर्स के फर्जी नाम लिख दिये, उन मेम्बरों ने रिपोर्ट दी है, बयान दिये हैं कि हम उस सोसाइटी के मेम्बर नहीं हैं, हमारे नाम से फर्जी रसीदें बनाई गई हैं और फर्जी तौर से रकम भी उठाई गई है। इस तरह से सही चीज़ जो होनी चाहिये वह तो होती नहीं है और उसका परिणाम यह होता है पैसा कोई ले जाता है और फर्जी तौर से मेम्बरों के नाम पर पैसा उठा लिया जाता है, यह तो पहले ही उन मेम्बरों को मालूम हो गया कि इस तरह से उनके नाम से पैसा उठा लिया गया है, यदि उनको पहले मालूम नहीं होता और जब वसूली का समय आता और उन लोगों से कुर्कियों करके वसूल किया जाता।

दूसरी, माननीय कृषि मंत्रीजी के जिले की सोसाइटी है, डीडवाना मज़दूर सोसाइटी के नाम से रामनाथ क्लर्क ने उठा लिया है, यह डवेलपमेन्ट विभाग का क्लर्क है, इसने इन्स्पेक्टर एस. डी, भार्गव से मिल कर पैसा उठा लिया है। तीसरा खुनखुना के सरपंच चेना राम ने व मंत्री भागीरथ ने पैसा उठा लिया है और उस सोसाइटी के जितने मेम्बर्स हैं उन्होंने दरख्वास्त दी है कि उनके नाम से फर्जी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा लिया गया है और वह पैसा उठाया गया है वह उनको नहीं मिला है। एस. डी. भार्गव से मिल कर पैसा उठा लिया है। इस एस. डी. भार्गव की इन्क्वायरी कराना तो दूर रहा है, जब बी. डी. ओ. ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी तब भी कुछ नहीं उसको मोअत्तिल करना तो दूर रहा हटाना तो दूर रहा, उसको इन्स्पेक्टर से बी. डी. ओ. बना दिया गया है। यह इसको इनाम दिया गया उसकी कारगुज़ारी का। इसी तरह से धोत्रियों की ढाणी में पैसा उठाया गया वहां कोई समिति नहीं बनाई गई। डीडवाना के रहने वाले मेम्बर्स के नाम से ३ हज़ार रुपया उठाया। इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमिततायें फैली हुई हैं कि यदि उस इन्स्पेक्टर को पैसा नहीं दिया जाता तो वह किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर ही नहीं होने देता। इसी तरह से सेवा बहुधंधी समिति है। उसी एस. डी. भार्गव द्वारा १००) मांगे गये, उसने दिये नहीं और परिणाम यह हुआ कि उसको पैसा मिला नहीं। आप कहते हैं कि समितियों के जरिये काम होना चाहिये, प्रोपेगेन्डा करें और लोगों को समझा करके उनके फायदे की बातें करें लेकिन यह प्रोपेगेन्डा हो रहा है, इस प्रकार से उन लोगों के नाम से फर्जी पैसा उठा लिया जाता है और उस पैसे को काम में न लाकर इस प्रकार इधर उधर खर्च कर दिया जाता है। काम लोग करना चाहते हैं लेकिन आदमियों को उसका फायदा नहीं मिलता। सरकार लोन देती है लेकिन उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकलता। सरकार यह नहीं देखती है कि इन्स्पेक्टर को जिसको मर्जी चाहे उसको पैसा दिलवा देता है और जिसको

(श्री लक्ष्मीचन्द)

नहीं चाहता उसको कुछ नहीं दिलवाता। यह भी हो रहा है कि पैसा किसको दिलवाया और रजिस्टर किस के नाम से कराया जा रहा है। जब तक इस प्रकार से दिये गये पैसे की और रजिस्टर्ड की गई बोगस सोसाइटीज़ के लिए प्रतिबन्ध न हो, ऐसा दिन भी आ सकता है कि यदि किसानों को समय पर मालूम न हो और जब वसूली का समय आवे और उनको मालूम पड़े तब उन बेचारों की कोई सुनेगा नहीं और उनके घरों पर कुर्कियां करके वसूल कर लिया जावेगा। जब सरकार को कहा जायगा तो सरकार कहेगी तुमको पहले कहना चाहिये था, पहले क्या सोये हुए थे। इस प्रकार से अनियमितता बरतने वाले कर्मचारी के विरुद्ध इन्क्वायरी होनी चाहिये थी। इसी तरह से ललाश्री बहु धंधी सोसाइटी के नाम से १८००) वसूल किया गया। उसी एस. डी. भार्गव ने ८००) रुपये ले लिये और और जब बी. डी. ओ. ने इन्क्वायरी की तो इन्क्वायरी के बाद ८००) जमा कराये। उसके सस्पेन्शन के लिए लिखा जाता है, लेकिन उसका सस्पेन्शन करना तो दूर रहा उसको उल्टा और बी. डी. ओ. बनाया जाता है। इस प्रकार से गन्दा वातावरण जनता में फैलता है, सरकार के प्रति। सरकार जिस चीज़ को जमाना चाहती है, जिसका सरकार प्रचार करती है कि सहकारिता से जनता का विशेष लाभ होगा, वहां इस सहकारिता में पैदा होने के पहले ही इसमें गंदगी भर दी जाती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है, इसको एक अनियमितता का वातावरण बना दिया जाता है जब कि आवश्यकता तो इस बात की थी कि इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए और इस प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति सख्त कदम उठाना चाहिये, ऐसे कर्मचारियों के प्रति सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये था, वहां ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को और सरकार प्रोत्साहन देती है, तरक्की देती है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

इसके बाद मैं बताऊंगा उपाध्यक्ष महोदय कि बड़ावरा ग्राम में बहुधंधी सहकारी समिति के नाम से सोसाइटी है, वहां चेनाराम सरपंच है उसने १० हजार रुपया उठा लिया। उसने मेम्बरों को कोई पैसा नहीं दिया। मेम्बर चिल्लाते हैं कि उनको पैसा नहीं दिया गया, इसके बाद भी जो उनको पैसा मिलान चाहिये वह नहीं मिलता है। इस प्रकार से इस विभाग में भ्रष्टचार फैला हुआ है इसलिए मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको दूर करें।

सांचोर में जितनी सहकारी समितियां हैं वे सरकार के द्वारा दिये गये धन का सदुपयोग नहीं करती हैं। उनमें ऐसे ऐसे मेम्बर भी रखे गये हैं जिनको कि इन्सोल्वेन्ट करार दे दिया गया है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि इन्सोल्वेन्ट को पैसा न दिया जाय और दूसरी तरफ इस प्रकार के इन्सोल्वेन्ट्स को मेम्बर रखा जाता है। इस प्रकार से पांच सात वहां सोसाइटियां हैं जहां मेम्बर्स इन्सोल्वेन्ट हैं और उन मेम्बरों को सरकार पैसा दे रही है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सांचोर में ज्यादा हैं इन्सोल्वेन्ट्स ?

श्री लक्ष्मीचन्द : इस प्रकार से सरकार इन्सोल्वेन्ट्स को पैसा लोन के रूप में दे रही है। जब इस प्रकार से पैसा दे रही है

(श्री लक्ष्मीचन्द)

तो फिर किससे वसूल करेंगी। पैसा तो दिया लेकिन यह तो देखना जरूरी है फिर भी कि उस पैसे का सदुपयोग हो। अपने विभाग में इतनी मशीनरी आपने लगा रखी है, सब इन्स्पेक्टर्स, डिप्टी इन्स्पेक्टर्स, इन्स्पेक्टर्स, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर भी यह हाल है इस विभाग का। वे ऑफिस में बैठे रहते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि पैसा जो दिया जाता है वह उन्हीं के लिए काम आता है या नहीं, उसका सदुपयोग जिस काम के लिए होना चाहिये और जिस काम के लिए पैसा दिया गया उसके लिए होता है या नहीं। कम से कम एक लाख रुपया सांचोर तहसील में दिया गया। वहां कोई काम नहीं हुआ। कोई उन सोसाइटीज़ ने धन्धा नहीं चलाया। हम लोगों को, किसानों को टैक्सेज देने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से पेट काट कर टैक्सेज़ देते हैं, लोग विरोध करते हैं, फिर भी सरकार को यह विचार नहीं है कि उस पैसे का सदुपयोग भी हो रहा है या नहीं। यदि सरकार को इसी प्रकार से पैसा बांटना है तो फिर धर्मादा खोल दीजिये, आशीर्वाद तो देंगे लोग। सहकारिता का मकसद ही यह है कि जो पैसा दिया जाय उसका सदुपयोग हो, जिस काम के लिए लिया जाय वह पैसा उसी काम में खर्च किया जाय। जिन समितियों ने सांचोर में पैसा लिया वहां पर कोई ऐसी समिति नहीं है कि जहां जिस काम से लिया गया पैसा उसी काम में लगा हो, कोई धन्धा नहीं। उन इन्सोल्वेन्ट्स को पैसा दे दिया तो फिर उनसे किससे वसूल करेंगे जब वसूली का समय आयगा, न उनके घर हैं, झोपड़ियां हैं, न तो जमीन और न कुछ। पटवारी और इन्स्पेक्टर मिले हुए होते हैं। पटवारी वेरीफाई कर देता हैं कि हां इसके जमीन है लेकिन वास्तव में कोई जमीन नहीं होती। इन्स्पेक्टर और पटवारी के आपसे में पैसा बांट दिया जाता है। उनसे जो पैसा आता है वे आपस में बांट लेते हैं। उन लोगों को इन्स्पेक्टरों द्वारा ऐसी बातें बता दी जाती हैं कि यह कर्जा पांच वर्ष तक वापिस वसूल नहीं होगा। लोगों में एक प्रकार की गलत भावना फैलाई हुई है। इस लिए पैसा दें लेकिन धन्धे पर दें। मशीन के लिए पैसा देते हैं तो मशीनरी खरीदवा कर दें। तब उस पैसे का सदुपयोग हो सकता है। लेकिन होता यह है कि पैसा आपस में बांट लिया, कपड़े बनवा लिये, खा पी गये। सरकार जिन जिलों की इस प्रकार से पैसा देकर उन्नति करना चाहती है उनको मिलता नहीं समय पर और इस प्रकार से बोगस रूप में रुपया बांट दिया जाता है। जो सही रूप में कोई किसी को शेयर नहीं देते उनको समय पर पैसा नहीं दिया जाता, समिति आज रजिस्टर्ड कराते हैं, पैसे की आज जरूरत है लेकिन सरकार देगी आठ महिने बाद। यह हालत है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि रजिस्ट्रेशन जल्दी हो और पैसा समय पर दिया जाय। यदि किसान खेती के लिए पैसा चाहते हैं तो उनको बीज़ दिये जांय, खेती के और साधन जुटाने के लिए पैसे दिये जांय। जिससे कि वे लोग जिनको जिस काम के लिए पैसे की जरूरत है समय पर मिलने पर उसमें काम में ले सकते हैं। इससे सरकार को भी लाभ होगा और जनता को भी। धन्धे पर ही पैसा दिया जाना चाहिये जिससे कि उसका सदुपयोग हो केश पेमेन्ट न दिया जाय। आज किसी तरह से सरकार से पैसा हड़पने की लोगों में एक टेन्डेन्सी बन गई है, इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार को सख्ती से काम लेना चाहिये। सरकार ने एक

Page No.68

(श्री लक्ष्मीचन्द)

नियम बना दिया कि किसी भी सहकारी समिति के लिए यह आवश्यक है कि उसमें ६ मेम्बर्स होने चाहिये। इस प्रकार से लोग बोगस मेम्बर बना कर सरकार से पैसा ऐंठ लेते हैं और काम और उन्नति कुछ होती नहीं। जब वसूली का समय आयेगा तो यह रिपोर्ट कर दी जावेगी कि इसके पास कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेले में मंत्रीजी पधारें तो लोगों में ऐसा वातावरण बन गया। जिन लोगों ने समिति के नाम से पैसा लिया, मैंने कहा कि सदुपयोग नहीं करते हो, आपको वापिस देना पड़ेगा। तो वे कहते हैं कि पांच साल तक तो नहीं देना है। इस लिए उन लोगों में जो कर्मचारियों के द्वारा वातावरण बनाया जाता है वह नहीं बनाया जाना चाहिये! जिस कार्य के लिए वे लेते हैं, जैसे बैल खरीदने के लिए तो दो चार दिन में बैल खरीद कर जमा खर्चा पेश कर दे तो ठीक हो सकता है। लेकिन कहत साली पड़ रही है, अन्न नहीं मिलता है, इधर सरकार से पैसा ले लिया, काम कुछ होता नहीं। इसलिए मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो भी पैसा दिया जाय उस पर चेक अवश्य होना चाहिये। ताकि उसका दुरुपयोग न हो। बडी मुश्किल से लोग टैक्स अदा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि काम भी कुछ न हो और मन चाहे लोग इस प्रकार पैसा हडप कर फायदा उठावें। पूरी तरह से लोगों को उस पैसे से फायदा हो, नाजायज़ लोग फायदा न उठा सकें इसके लिए सरकार को पूरा चेक रखना चाहिये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(श्री जनार्दनराय नागर के खड़े होने पर)

You were absent at the time when your name was called.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : I was under the impression that there are so many speakers before me. I, therefore, request you to kindly permit me now.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री जर्नादनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन बहुत सीधासादा है आज जो कृषि विभाग द्वारा ग्रान्ट-इन-एड देने की नीति है वह असन्तोषजनक है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सहकारिता आन्दोलन के प्रबल होने की अपेक्षा इसके विस्तार में एक प्रकार की कमी नज़र आ रही है। मैं ज्यादा अधिक इस मामले में न जाता हुआ, राजस्थान सरकार ने जो कोऑपरेटिव आन्दोलन को अपनी आर्थिक नीति की भित्ति मान रखा है, उसको सिद्धान्ततया मैं विरोध नहीं करता। मैं वास्तविक रूप से यह मानता हूँ कि अगर कृषि उपज़ को बढ़ाना है और हमें अपने प्रान्त को समाजवादी समाज की ओर ले जाना है तो निसन्देह हमें सहकारिता की नीति को आधार बनाना होगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत कटमोशन का आशय यह है कि जो सरकार ने कोऑपरेटिव की नीति अपनायी है वह सर्वग्राही नीति नहीं है। सरकार केवल एक प्रकार की ही कोऑपरेटिव पर जोर दे रही है और वह है कृषि सहकारी समिति

(श्री जनार्दनराय नागर)

उस पर सरकार बहुत कम समय के लिये लोन देती है और भी अन्य सुविधायें प्रदान करती है। अनेक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटियां राजस्थान में बनती है कृषि के अलावा उनको न तो कोऑपरेटिव विभाग द्वारा और न कोऑपरेटिव बैंक द्वारा ही कोई सहूलियत या कर्जा नहीं मिलता है इसका परिणाम यह होता है कि एक तरफ तो कोऑपरेटिव आंदोलन धीरे धीरे विस्तार करना चाहते हैं वहां इस प्रकार की प्रवृत्ति से कोऑपरेटिव आन्दोलन को आघात पहुंचता है। मैं इस सम्बन्ध में आपके सामने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर हम कृषि सहकारी समिति नहीं बनाते हैं और चर्म उद्योग के लिये मेघवाल लोग मिल कर कोई समिति बनाना चाहते हैं या सुथार मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं या अन्य कुटीर उद्योग वाले मिल कर के सोसाइटी बनाना चाहते हैं उनको कोऑपरेटिव विभाग की ओर से जो मौजूदा सरकार की नीति है, उसके अनुसार किसी प्रकार आर्थिक प्रोत्साहन ही मिलता है और न किसी प्रकार का कर्जा ही मिल पाता है। इससे परिणाम यह हुआ है कि लोगों में कोऑपरेटिव आन्दोलन के प्रति निराशा की भावना बढ़ती चली आ रही है। उदाहरण के तौर पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उदयपुर में सुथारों की हमने बनवाई, यह सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, हमने उसको कोऑपरेटिव विभाग से कर्जा दिलवाने के लिये कोशिश की। मजे की बात यह है कि पहले तो कोऑपरेटिव विभाग वालों ने बड़ी रुचि लेकर इसको बनवाया लेकिन जब लेने का सवाल आया तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कह दिया कि यह तो हमारे कानून के अन्दर नहीं है। जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने जिक्र किया उसको दो वर्ष के बाद उद्योग विभाग से कर्ज दिलाया गया। मैं मानता हूँ कि जहां सरकार का यह प्रस्ताव है कि कोऑपरेटिव आन्दोलन को ग्राम्य क्षेत्र में भी पहुंचाया जाय वैसी हालत में निसन्देह कोऑपरेटिव कानून में इस प्रकार के आधारभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं कि सरकार किस हद तक इस प्रकार के परिवर्तन करने को तैयार है लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोऑपरेटिव विभाग द्वारा जो सहायता और सहयोग इस प्रकार की सोसाइटीज़ को नहीं मिलता है उनको ठीक समय पर मदद नहीं मिलती है तो मेरी ऐसी मान्यता है कि हमारा कोऑपरेटिव आन्दोलन आगे नहीं बढ़ पायगा। जब कि सरकार सहकारिता के आधार पर कृषि करने की जो नयी नीति अपना रही है उसके कारण इसका क्षेत्र सारे राजस्थान में व्यापक होने वाला है। अनेक तरह की सहकारी समितियां बनती है अगर सरकार यही चाहे कि सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही हम कायम करें और अन्य अकृषि सहकारी समितियां हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा न दें तो इसका असर मैं समझता हूं कि इसका कोऑपरेटिव आन्दोलन पर असर पड़ेगा और उसके जो परिणाम होंगे उससे हम बच नहीं पायेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा,सु.): उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

२.३५ म. प.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री जनार्दनराय नागर :

(श्री जनार्दनराय नागर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि अभी जो सरकार का सहकारी विभाग है उसमें जो कोऑपरेटिव के लिये प्रोविज़न हैं उसमें सब प्रकार की सोसाइटियां सम्मिलित नहीं हैं। इसके अलावा मेरा सरकार से निवेदन है कि केवल सहकारी विभाग ही ऋण दें ऐसी बात नहीं अन्य विभाग भी है जिनके द्वारा ऋण दिया जा सकता है ऋण देने की बहुत सी एजेंसियां हैं उन तमाम फंड्स को सहकारी विभाग के तत्वाधान में रख देते हैं तो एक प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बहुत बल मिल सकता है।

इसके अलावा विभागीय कर्मचारियों का विस्तार करना भी आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि एक एक ज़िले में एक या दो इन्स्पेक्टर रहते हैं, उनके द्वारा समय पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनवा कर रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। उनकी कम संख्या के कारण कई प्रकार की कार्यवाहियों में बहुत देर हो जाती है। हमारा तो यह अनुभव है कि जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि उनको एक सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में आठ महीने का अर्सा लग गया। मैं तो उनको खुश किस्मत समझता हूँ, हमारे यहां तो ऐसी ऐसी सोसाइटियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन दो दो साल तक नहीं हो पाया है। बहुत सारी जगहों पर प्राइवेट ऐजन्सीज़ को माध्यम बना रखा है। खादी बोर्ड के जरिये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऋण मिलता है। हमारे ज़िले में एक नव निर्माण संघ के बारे में एजेन्सी बना रखी है। चर्म उद्योग के बारे में जहां तक कर्ज लेने का सवाल आता है तो उनसे सिफारिश करवानी पड़ती है उसके बाद कहीं खादी बोर्ड द्वारा उनकी सिफारिश पर मदद मिल सकती है। काफी ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करके निश्चित रूप से जो नीति में हम परिवर्तन करना चाहते हैं उसके आधार पर सरकार सदन में विधेयक प्रस्तुत करेगी। क्योंकि सहकारी समितियां ही आज राष्ट्र की आर्थिक भित्ति हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले में जहां तक ऋण देने का सवाल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन का सवाल है उनको समय पर मदद मिल जाय इसके लिये निश्चित रूप से प्रबन्ध करना होगा। अन्यथा मैं मानता हूँ कि यह सारा अभियान केवल कागज़ों पर ही रह जायगा। अभी थोड़ी देर पहले एक सुझाव प्रस्तुत किया गया था कि लोकल डवेलपमेन्ट फन्ड के लिये बहुत सारी रकम अलग अलग विभागों से मिल सकती है जहां तक समितियों को ऋण देने का सवाल है उसमें कृषि विभाग उद्योग विभाग के पास तमाम ऐसे फन्ड हैं उन सबको मिलाकर एक ऐसा पुल बना लिया जाना चाहिये ताकि प्रत्येक प्रकार की सोसाइटीज़ को चाहे वह घरेलू उद्योग की हो चाहे कृषि संबन्धी उद्योग की हो सब प्रकार की सहायता मिल सकती है। मैं समझता हूँ इसका प्रारम्भ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ही प्रारम्भ करना चाहिये और इसका विकास करना चाहिये। मैं मानता हूं कि सरकार कृषि सहकारी समितियां बनाना चाहती है लेकिन घरेलू उद्योगों को लेकर भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनती हैं तो सरकार को उसको भी प्रोत्साहन देना चाहिये। कृषि सहकारी समितियों के साथ साथ कृषि सम्बन्धी अन्य घरेलू उद्योगों की सोसाइटीयां भी बनती हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से यह सरकार की नीति दोष-

Page No.71

(श्री जनार्दनराय नागर)

पूर्ण है । परिणाम इसका यह होगा कि जितना जल्दी कोऑपरेटिव मूवमेन्ट द्वारा हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं वह नहीं लेजा पायेंगे । सरकार के सामने हमने कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये लेकिन हमें पता नहीं चलता कि सरकार की नीति उस बारे में क्या है । जब कि सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को देश की आर्थिक नीति का आधार बनाया है जिसका कि गवर्नर महोदय के भाषण में उल्लेख है उससे मैं समझता हूं कि जब तक हम इस मान्यता में आमूल चूल दृष्टि से परिवर्तन नहीं कर देते हैं तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती । मेरा खास तौर से अकृषि सहकारी समितियों के बारे निवेदन है । मेरे मित्रों ने बहुत सी बातें कहीं । कृषि सहकारी सोसाइटी में अव्यवस्था है, देरी है, इत्यादि इत्यादि । वह तो ऐसा दौर है जिसमें से हम निकल रहे हैं । उसका तो हमें सामना करना है । इसकी वजह से हम सिद्धान्त को छोड़ दें और पीछे हट जावें तो यह दलील वाजिब नहीं है । कितनी ही कठिनाइयां आवें हमारी जनता आज धीरे धीरे इस सिद्धान्त की तरफ बढ़ती जा रही है, एक नये समाज का आधार विकसित होता जा रहा है । इसलिये जो थोड़े बहुत दोष हैं, गड़बड़ियां हैं उन तमाम को मंजूर करके जो आधार भूत सहकारी आर्थिक नीति का शिलान्यास करना है तो हमें इस ओर बढ़ते जाना है, कुटीर उद्योगों को भी इसमें लाना चाहिये और सरकार को एक ऐसा आर्थिक फण्ड कायम करना चाहिये कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को शीघ्रता से और समय पर लोन या मदद मिल सके ।

आज कोऑपरेटिव–विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर सन्तोष मान लेता है । पर कसौटी यह है कि इतनी सफलतापूर्वक वह चल भी रही है या नहीं, कितनों को समय पर कर्ज़ा दिया गया है और इनीशियेटिव जनता में पैदा हो रहा है या नहीं और धारा को इसको प्रभाव मान लिया या नहीं । इसलिये कहता हूं कि व्यवस्था दोषपूर्ण हो सकती है, उसका विरोध समझने लायक है पर इसके बाद जो नियम हैं वे दूषित नहीं हैं । इरादा सरकार का ठीक है, दुरुस्त है इसलिए दुरुस्त इरादे के लिये दुरुस्त साधन–संकल्प भी चाहिये । इसलिये मेरी आपके ज़रिये उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मांग है कि इस समय आमूलचूल रूप से एक कृषि सहकारी समाज के आर्थिक आधार को स्थापित करके नीति बनाना है । यह सब सोचना है इसलिये साहसपूर्वक मैंने इस मांग को रक्खा कि केवल कृषि सहकारी समिति को ही आधारभूत मानकर चलने का प्रश्न नहीं है । यह तो इससे प्रारम्भ है । सारे क्षेत्रों में जहां जहां कुटीर उद्योग चलते हैं उन सब जगह सहकारी आर्थिक आधार को हमें अपनाना पड़ेगा । इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि आधे रास्ते जाकर सरकार कहीं रुक नहीं जावे । या तो चलें ही नहीं, पर जब चलने की बात करें और पूरे रास्ते चलें नहीं, तो मंजिल पर पहुंचें नहीं और आधे रास्ते पर ही आकर कहें कि रास्ता पार कर लिया तो मैं कहता हूँ कि यह रास्ता पार करने का प्रश्न नहीं उठता । वह रास्ता पार करना नहीं है । मैं सरकार की इस मान्यता के साथ हूं कि हमारे देश की सामाजिक शक्ति के आज के आधार को हमें बदलना है, व्यक्तिगत सम्पत्ति का आधार अब नहीं चल सकता । मैं नहीं कहता कि इसको हिंसा से खत्म कर दें । अहिंसा से और वैधानिक

(श्री जनार्दनराय नागर)

तरीकों से बदलिये पर बदलिये जरूर। क्योंकि यह मेरी निश्चित मान्यता है कि कोऑपरेटिव के सिद्धान्त को सारे समाज का आधार अगर आपको बनाना है तो व्यक्तिगत सम्पत्ति का आधार धीरे धीरे छोड़ना होगा।

मैं समझता हूं इस दिशा में हमारा प्रारम्भ अच्छा है इसलिए अन्त भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है और अन्त में मेरा इतना ही निवेदन है कि इस पर सरकार को साहस के साथ निश्चित रूप से कूच करना चाहिये।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर विचार प्रकट किये और कई माननीय सदस्यों ने इसमें भ्रष्टाचार और घोटाले की बातें कहीं। मैं इन बातों को नहीं दोहराता हुआ केवल सहकारिता आन्दोलन की दिशा में सरकार व सरकार के इस विभाग का कितना हाथ रहा है और कैसा कदम रहा है और कैसा कदम आज है यह बताना चाहता हूं।

इसके बारे में अपनी ही कॉन्स्टीट्यूएन्सी की बात कहूंगा कि वहां कुछ सोसाइटियां किस प्रकार से कितनी दौड़ धूप के बाद बनीं और बनने के बाद सरकार की व सरकार के इस विभाग की किस तरह की उत्साहित करने की नीति या मददगार रहीं इसके बारे में शुरू में जो सोसाइटियां लोगों ने बनाई उन्होंने इस आन्दोलन के बारे में जितना कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा उसी आधार पर बनाई, सरकार की तरफ से कोई बात देखने सुनने को उनको नहीं मिली।

२. ४४ म. प.

(श्री अनूपसिंह, सभापति पदासीन)

कुछ दिलचस्पी लेने वाले मनचलों ने ये बनाई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह 'मनचले' क्या है साहब। क्या यह पार्लियामेन्टरी शब्द है?

श्री रामकरणसिंह : इन्होंने स्वयं अपने साहस और मन से जो सोसाइटियां बनाने का साहस किया।

श्री सभापति : आप जिस हिसाब से लें उसी तरह हो जावेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : यह तो अनपार्लियामेन्टरी है साहब। 'मनचले'।

श्री सभापति : आप किस तरह से इसको इन्टरप्रिटेशन करते हैं वह इसका दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं।

श्री रामकरणसिंह : उन लोगों ने स्वेच्छा से, अपनी ही प्रेरणा से काफी कोशिश करके छः, सात सोसाइटियां बनाई। इसके बाद में एक सोसाइटी किसान बहुधन्धी सोसाइटी के नाम से कल्याणपुरा ग्राम में बनाई। उसके कागज़ तैयार हो गये पर पटवारी ने तस्दीक करने में आनाकानी की, अपनी राय नहीं प्रकट की। इसी प्रकार एक दूसरी जगह रायपुर बहुधन्धी सोसाइटी में भी पटवारी ने इन्कार किया। एस० डी० ओ० को कहा गया तो उन्होंने भी यही कह कर टाला कि ऊपर लिखेंगे। इस तरह से इन सरकारी कर्मचारियों का सहयोग हमको कुछ नहीं मिलता। छोटी छोटी बातों के लिये लोगों को काफी

(श्री रामकरणसिंह)

परेशानियां उठनी पड़ी हैं और पड़ रही हैं।

इसी तरह से एक मोटर ड्राइवरों ने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिसमें काफी ड्राइवर किसान वर्ग में से ही हैं जो काफी गरीब हैं, कन्डक्टर हैं। उसके करीब ७० मेम्बर हैं। उसने एक एप्लीकेशन एक पर्मिट के लिये दी। वह पर्मिट मिला भी। मिलने पर उन्होंने एक बस ५०, ६० हज़ार रुपया लगा कर तैयार की और जब वह तैयार हो गई तो पर्मिट में स्टे ऑर्डर मिल गया। आज ८ दस महीना हो गया कोई उनकी सुनने वाला नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहीं से मांग कर किसी प्रकार ब्याज पर रुपया लेकर इन्वेस्टमेन्ट किया और आज वे यों के यों ही बैठे हैं। आज उन गरीब लोगों की हालत किस प्रकार से हो सकती है यह वे ही जानते हैं जो भुक्त-भोगी हैं। आज सहकारिता की तरफ किस तरह से अन्य लोगों को उत्साह मिल सकता है जब इनकी हालत देखते हैं तो।

इसी प्रकार कुछ चर्म उद्योगों की बहु-धन्धी सोसाइटियां बनाने के लिये लोग आगे आये। आज बारह महीनों से उनके कागज़ यों ही पड़े हैं। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। गवर्नमेन्ट की तरफ से कानून की छोटी छोटी बारीकियों में उलझा कर उन्हें हैरान किया जा रहा है।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से कोरम नहीं है, इसलिये...

२.४८ म० प०

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : आरम्भ कीजिए।

श्री रामकरणसिंह : माननीय चेयरमैन महोदय, मैंने बताया कि उन लोगों को किस प्रकार से हर तरह की सहूलियतों से वंचित रखा गया है। इसके साथ साथ जो रबी अभियान चला उसके अन्दर भी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोटपुतली तहसील की नहीं है जिसके जरिये से बीज वगैरह बंटवाया गया हो या जो सस्ते अनाज की दूकानें सरकार ने खोली उनके बारे में उनको प्रिफरेन्स दिया गया हो। इसके अलावा जो सस्ते अनाजों की दूकान कोऑपरेटिव सोसाइ-टीज़ के जरिये से दी जाती हैं उनके लिए कोई भी प्रिफरेन्स दिया हो ऐसी बात नहीं हुई। इसके साथ ही साथ सबसे नई चीज़ माननीय सभापति महोदय, मैं बताऊं कि वहां की हरिजन सोसाइटी ने काफी कोशिश की। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि किसी तरह से उनको कोई भी रोज़गार के लिए लोन मिले या खुद इन्वेसमेन्ट करके कोई भी धंधा करना चाहें। इसके लिए सरकार ने सस्ते अनाज की दूकान देने की न तो अधिकारियों ने कोशिश की और न उनकी किसी प्रकार की सुनवाई हुई। इसके साथ ही माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी को बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इसी प्रकार की एक बस सोसाइटी है जिसमें करीब ७० परिवार शामिल हैं और उनका पचास, साठ हज़ार रुपये के करीब ब्लॉक हुआ पड़ा है उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो कि उनको अवश्य ही लाभ मिले और जो उत्साह उसके अन्दर था वह कायम रहे। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री तेजाराम।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री शिवचरणदास

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, मेरा यह कटौती का प्रस्ताव सहकारी विभाग द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने में असफलता पर बहस करने के लिए है। जिस प्रकार सहकारी विभाग के संबंध में हमारे यहां समय समय पर कहा जाता रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विभाग है। यहां तक कि आज तो देश के स्वतंत्र होने के बाद इस विभाग को सर्वोपरी स्थान मिल रहा है। हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू तो हर एक काम में यही कहते हैं कि वही गांव सर्वांगीण पूर्ण समझा जाये जहां कि एक स्कूल हो, एक पंचायत हो और साथ ही एक सहकारी समिति हो। तो आदर्श की दृष्टि से हमने सहयोगी समितियों को सहयोग के सिद्धांत पर सहयोग के विभाग को अंगीकार कर लिया है। हमारी राज्य सरकारें अपने प्रचार द्वारा भी आन्दोलनों द्वारा भी जो भी कुछ उनकी पुस्तक पुस्तिकायें प्रकाशित हुई हैं उनके द्वारा भी इस विभाग की उपयोगिता खूब अधिक से अधिक बतलाती हैं। लेकिन जब हम व्यवहार में जाकर देखते हैं कि जिन लोगों की भलाई के लिए यह विभाग खोला गया है उनमें जाकर देखते हैं तो हमें यह देखकर कुछ दुख होता है कि वह प्रचार अभी उन लोगों तक नहीं पहुंचा है जिसके लिए यह सहयोगी विभाग स्थापित किया गया है।

मैं भरतपुर का ही इस संबंध में जिक्र करूंगा। मेरा ख्याल है कि राजस्थान में सबसे पहले लगभग पचास वर्ष पहले जहां सहयोगी विभाग की स्थापना हो चुकी थी वहां पर यह विभाग इतना पुराना होते हुए भी वहां पर अभी तक सहयोगी संस्थाओं का उतना जाल नहीं बिछा है, उतना प्रचार नहीं हुआ है, लोगों ने उसको उस रूप में अभी तक स्वीकार नहीं किया है जितना कि इतने दिनों में कर लेना चाहिए था और इसका कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं अपने अनुभव से वह यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने इस विभाग का उतना प्रचार इस रूप में नहीं किया है जिससे कि सारी जनता को समझने में और उसको स्वीकार करने में, उसको अपनाने में समर्थ हो सके। यह भी दुर्भाग्य है कि हमारे अधिकारी वर्ग अभी तक जनता के उतने निकट नहीं पहुंच पाये हैं जितना कि आज के जनतंत्र के युग में पहुंच जाना चाहिए था और खास तौर से ऐसा विभाग जो कि सहयोग का विभाग है यहां भी यदि हमारे अधिकारी जनता से दूर रह कर केवल अपने ऑफिस में रह कर यह अपेक्षा करें कि जिनको जरूरत होगी खुद अपनी सोसाइटी बनायेगें, हमारे पास आयेंगे और हमसे नियम उपनियम पूछेंगे तब हम बतला देंगे। यही बस उनके लिए सब कुछ है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सहयोग विभाग के जो अधिकारी हैं और जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं मैं आपको इस बात का उदाहरण दूं कि जिस समय यह सहकारी विभाग सन् १६१५ में भरतपुर में स्थापित हुआ था तो मुझे याद है कि आज जो रजिस्ट्रार कहलाते हैं वह उस समय मैनेजर कहलाते थे तो उन दिनों मैनेजर खुद गांवों गांवों में जाते थे, किसानों को इकट्ठा करते थे और उनको इस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

विभाग की उपयोगितायें बताते थे। उनका शेयर मनी लेते थे और उनको बतलाते थे कि इतना रुपया तुम्हारा और इतना रुपया सरकार का होगा और किसानों में रुचि पैदा करते थे कि गांव वाले खुद उसमें भाग लें। मैं समझता हूं कि आज के इतने उन्नत हो जाने पर भी हमारे इस विभाग के अधिकारी-गण उतना गांवों में नहीं गये हैं। आज तक उन लोगों के पास नहीं पहूंचे हैं जिससे कि इस सिद्धांत का और इस आंदोलन का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। अब भी मैं गांवों में स्वयं जाता हूं और चाहता हूं वहां के हर वर्ग की सोसाइटी बने लेकिन वहां लोगों में कुछ ऐसा वहम सा घुसा हुआ है कि वे यह कहते हैं कि साहब क्या फायदा है उसमें कुछ मिलता तो है नहीं। उसमें पांच पर्सेंट, छः पर्सेंट के अलावा और नहीं मिलता है और अगर हम इसके अलावा अपना काम करेंगे तो इससे ज्यादा मिल सकेगा। उनको काफी समझाते हैं कि तुमको पैसे मिलेंगे और वह पैसा तुम्हारे पास ही आयेगा और यह कोई पूंजीपतियों का सा तो काम है नहीं कि ज्यादा मुनाफा मिले। आज तक उनको नहीं समझा पाते हैं। किसानों के हित में जो किया जा रहा है वह भी अभी पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए हैं। लेकिन जैसा कि मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि खेतिहर कृषि करने-वालों के अतिरिक्त जो दूसरा वर्ग है, जो दूसरा समुदाय है, या कामधंधा करनेवाले हैं उनके अन्दर तो सहयोग के सिद्धांत का और भी कम प्रचार हुआ है। मुझे याद है हमारे यहां से ही एक सहकारी मंत्री महोदय एक बार राजस्थान के बाहर बम्बई और मद्रास गये हुए थे जहां कि सहयोगी संस्थाओं का बहुत प्रचार है वहां उसकी बहुत उन्नति है। तो उस समय वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राजगोपालाचार्य थे तो उन्होंने कहा कि यह जो मेरे हाथ में छड़ी है यह सहयोगी समिति की बनी हुई है, मेरे पैरों में जो यह चप्पलें पड़ी हुई हैं और यह कंधे पर दुपट्टा पड़ा हुआ है उन्होंने बताया कि यह जितने भी मेरे प्रयोग की वस्तुएं हैं यह सब सहयोगी समिति की बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सहयोगी संस्थाओं का इतना जाल बिछा हुआ है कि हर एक उद्योग सहयोगी समितियों द्वारा ही संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर बहुत समितियां बनी हुई हैं। खेती में इनको अधिक धंधों में बढ़ाना है लेकिन साथ ही साथ मैं यह चाहूंगा, हमारे यहां के अधिकारियों से अर्ज करूंगा कि लोगों से अधिक से अधिक सम्पर्क बनायें और न जाने क्या बात है हमारे यहां के अधिकारियों को खेती के अलावा और कोई धंधे ही नहीं दीखते। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां उद्योग काफी बढ़ाये जायें। धंधे जितने भी होते हैं क्या कुम्हार का, क्या लुहार का, लकड़ी का ये जितने भी धंधे हैं यह सब सहयोग समितियों के आधार पर हों। मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं वहां देखता हूं कि कपड़े का काम ज्यादा होता है पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कपड़े के पुराने काम करने-वाले थे उन्होंने अपना धंधा छोड़ दिया।

३ म० प०

मेरा मतलब जुलाहों से है। जुलाहा कपड़ा बुनकर दो या ढ़ाई रुपया पैदा करेगा एक दिन में, लेकिन मकान बनाने जाता है और दूसरे धन्धे में जाता है ४, ५ रुपया पैदा करता

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

है। इसलिए उन्होंने यह धन्धा छोड़ दिया है। आज हम कहते हैं कि कपड़ा सहकारी समिति बना। जुलाहों से कहते हैं तो कहते हैं कि क्या फायदा है इसके बनाने में? हम इस बात में काफी पैदा करते हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि सहकारी विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई आकर्षण न हो जिससे लोग अपने धन्धों को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे गांवों की हालत क्यों बिगड़ती जा रही है? मैं प्रत्यक्ष तौर से देखता हूं कि गांव में कुम्हार का धन्धा नष्ट हो गया है और गांव के लोग शहरों से मिट्टी के बर्तन लेने जाते हैं। गांव में खाती का काम बन्द हो गया है, लुहार का काम छिन गया है। जितने काम पहले गांवों में होते थे, किसानों से सम्बन्धित काम थे, किसानों के खेत के लिए जिन कामों की जरूरत थी वे गांवों से छिनते जा रहे हैं और लोग शहरों से चीजें लाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे ग्राम का जो आर्थिक आधार है, औद्योगिक आधार है वह नष्ट हो चुका है। आज जरूरत इस बात की है कि हम गांवों के पुराने नष्ट हुए उद्योगों को जाग्रत करें। इसमें पहल दूसरा कौन करे? मेरा विश्वास है कि सहकारी विभाग को पहले करना चाहिए। सहकारी विभाग और उद्योग विभाग दोनों को मिल कर गांवों के नष्ट होते हुए धन्धों को फिर से पुनर्जीवित

३. १ म० प०

करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के एक ओर जहां धन्धे पुनर्जीवित होंगे वहां दूसरी ओर हमारे लोग जो बेकार हो रहे हैं, जिन लोगों के धन्धे छिन चुके हैं, गांवों को छोड़ कर जो लोग शहरों से भाग रहे हैं, गांव की खेती को छोड़ कर जो लोग अहमदाबाद मिल में भर रहे हैं, दिल्ली में भर रहे हैं, बम्बई में भर रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं, वे अपने२ गांवोंमें जाकर अपना अपना धन्धा करें। इस सब में जरूरत इस बात की है कि सहयोग विभाग इस प्रकार का प्रचार करे लोगों के अन्दर जाकर। उनको अपने धन्धों का महत्व समझावे, उनके लाभों को समझावे। खुद जाकर गांववालों को कह। उनको नियम उपनियम समझावें और यहां की सोसाइटी को रजिस्टर्ड करें तो वह शिकायतें सुनने को नहीं मिलेगी कि ६ माह का अर्सा हो गया सहकारी विभाग से रजिस्टर्ड होकर नहीं आई है। इसको सरकार का एक प्रशासनिक विभाग नहीं समझा जाय, एक दूसरे दृष्टिकोण के वहां अधिकारी रहें। मैं समझता हूं कि जहां दृष्टिकोण तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को बदलना चाहिए वहां हमारे सहयोग विभाग और पंचायत विभाग और गांवों में काम करने वाले दूसरे विभाग हैं, ब्लॉक में कामकरने वाले हैं, वे जबतक किसानों से घुलमिल नहीं जायेगें, वहां के जो उद्योग धन्धे करनेवाले हैं उनसे घुल-मिल नहीं जायेगें, यही नहीं बल्कि उनके साथ में पूर्ण सहानुभूति नहीं रखेगें और जिस सहयोग को वे चाहते हैं वह सहयोग सहयोग विभाग नहीं देगा तो सहयोग विभाग पनप नहीं सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे अधिकारी छोटे से लेकर बड़े तक, यानि ज़िला स्तर के अधिकारी खुद जाकर गांव के लोगों को इकट्ठा करें, अलग अलग धन्धे के लोगों को इकट्ठा करें। उनको बतलायें कि तुम अपने धन्धे को एकत्रित करो। इतना रुपया जब होगा तो सरकार इतना रुपया देगी। उससे यह लाभ होगा कि आज अगर आप अपने धन्धे से २, ३

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रुपया कमाते हैं तो ५, ६ रुपया कमाने लगेंगे। मैं बतलाऊं कि हमारे यहां कांच का एक उद्योग है। राजस्थान में और जगह की तो बात मैं नहीं कहता हूं लेकिन भरतपुर में मेरे क्षेत्र के अन्दर वह एक छोटे कुटीर उद्योग के अन्दर चलता है। वहां पर लोगों ने भट्टी लगा रखी है और टूटे फूटे झोंपड़े डाल रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सहकारी समिति बनाओ तो उनकी धारणा है कि क्या फायदा। इसी में हम दो, तीन रुपये पैदा कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि यह प्रचार निरन्तर किया जाय कि सहकारी समिति बना लोगे तो यह टूटे फूटे झोंपड़े नहीं रहेंगें और टीन के झोंपड़े बन जायेंगें। भट्टी भी पक्की हो जायगी। कोयला और जो पदार्थ काम में आता है वह सरकार रियायत रेट पर देगी, ऐसे लाभ मिल सकते हैं। यह उन्हें बतलाये जायं तो जरूर सहकारी समितियां बनेगी। आज तक जो काम करनेवाले अलग अलग थे वे अपना काम बन्द किये हुए हैं वे चालू कर देगें। तेली जो तेल का काम करने वाले हैं अपने पुराने ढंग के कोल्हू से ही काम चलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन सारे कामों को समझाने के लिए, संगठित करने के लिए और सहयोग के अन्दर उनको लाने के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सहयोग विभाग की है।

एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूं वह यह है कि सहयोग विभाग के नियम कुछ बहुत रिजिड हैं और सख्त मालूम पड़ते हैं। उससे अभी भी बहुत असुविधा होती है। खास तौर से कुछ ऐसी जात पांत को बढ़ाने जैसी चीज़ है। यह ठीक है कि कपड़े बनाने का काम एक जाति विशेष का रहा है, जुलाहों का रहा है। जूते का काम एक जाति विशेष का रहा है। तेल का काम एक जाति विशेष का रहा है लेकिन आज तो वह युग रहा नहीं। यदि कोई दूसरा भी करना चाहे और २, ४ या १० आदमी खास तौर से जिन जगहों पर मेरे कहने का मतलब यह है कि वह काम करने वाले १०, ५ गांवों में वह धन्धा करनेवाले नहीं हैं वह काम करना चाहते हैं। हम उनसे जाकर कहते हैं कि आप लोग इस काम को करो तो वे कहते है कि हम लोग सहकारी समिति नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे बापदादों का वह काम नहीं रहा है। हमारे यहां १०—१० या २०—२० गांवों में जुलाहे नहीं हैं और वहां हाथ करघे का काम शुरू करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ईंट बनाने का काम कोई जाति विशेष का काम नहीं है। कोई जाति विशेष ईंट बनाने का काम नहीं करती है। हर जाति के लोग, ब्राह्मण, वैश्य कच्ची ईंटें बना कर कच्चे मकान बनाते हैं। उनसे कहते हैं कि पक्के मकान बनाओ, चिमनी लगाओ तो वे कहते हैं कि कैसे बनायें ? उनसे कहते हैं कि सहकारी समिति बनाओ तो कहते हैं कि वह रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा शौ ईंट बनाने का नहीं है। एक सुझाव के तौर पर मैं यह कहता हूं कि हमारे सहयोग विभाग से सम्बन्धित मंत्री या दूसरे अधिकारी इस पर विचार करें और यह कोशिश जरूर करें कि जिनका जो पेशा रहा है पहले वह पेशे वाले का काम है। वह जांच करलें कि उस पेशे के लोग नहीं हैं दूर दूर तक या आस पास तक नहीं हैं तो दूसरे लोग किसी एक पेशे को करना चाहते हैं तो उनको सुविधा दी जा सकती है। इससे यह नहीं समझा जाय कि वर्ग नष्ट हो जायेंगे।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मैं कहता हूँ कि वह नष्ट नहीं होंगे। वे लोग अपना काम छोड़ चुके हैं। अब दूसरे लोग वह कार्य सहकारी समिति बना कर करते हैं तो शायद वे वर्ग खुद ही उस काम को सम्हाल लेगें। इस दृष्टि से गांव के नष्ट हुए उद्योग धन्धे को बढ़ाने के लिए, लोगों को धन्धा रोज़गार दिलाने के लिए, सहकारी विभाग की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इसका प्रसार और प्रचार अधिक से अधिक किया जाय। खाली कागज़ी घोड़े दौड़ा कर या बड़े बड़े सम्मेलन बुला कर ही नहीं बल्कि इस विभाग के सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी गांवों में बहुत ही सहानुभूति की भावना लेकर जायें और लोगों को इकट्ठा करके सहयोग के सिद्धान्तों को समझायें और सहयोग के लाभों को समझायें। वह करें।

इससे बड़ी चीज़ यह है कि जो उद्योग धन्धे गांव में नष्ट हो चुके हैं उन उद्योग

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

धन्धों को फ़िर से संगठित किया जाय और उन लोगों की सहयोग समिति बनाई जाय और सहयोग समिति बना कर उनको इस तरह से पैसों की या जो भी सहायता की दरकार हो दे जिससे वे फिर से उन धन्धों को करें। तो मैं समझता हूं कि जहां सहयोग विभाग की उन्नति होगी वहां हमारे नष्ट हुए जो गांव के उद्योग धन्धे, गृहोद्योग हैं वे फिर से पनपेंगे, लोगों को फिर से रोज़गार मिलेगा। इसी सुझाव के साथ में मैं अपने कटौती प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगून्दा) : माननीय सभापति महोदय, मुझ से पूर्व बोलनेवाले माननीय कई साथियों ने अपने अपने विचार अपने अपने दृष्टिकोण से जो कटौती प्रस्ताव उन्होंने किये थे उन पर व्यक्त किये हैं। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा इस हाउस का ध्यान उदयपुर डिविज़न की ओर ले जाना चाहता हूँ जहां कि ५० प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। माननीय चेयरमैन महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव उन लोगों में सहकारी बैंक खोलने से सम्बन्धित है। सारे आदिवासी जो कि वहां रहते हैं उनकी ऐसी स्थिति है कि साल में ३, ४ महीने खायें इतना नाज़ पैदा होता है।

उनके पास सिर्फ़ ज़मीन दो बीघा से लगा कर तीन बीघा औसत है। ऐसी स्थिति में जो रोजमर्रा की चीज़ हैं इन चीज़ों पर ही उनका जीवन निर्भर रहता है। अब रहा सवाल तीन, चार महीनों तक उनकी गुजर खेती से हो जाती है और बाकी समय के लिंये मैंने सुझाव रखा है कि यदि सहकारी बैंक खोले जावें तो उनसे कुछ मदद मिल सकती है। सहकारी बैंक खुलने से क्या होगा कि वहां पर जो भी किसान हैं वे सब महाजनों से पीड़ित हैं। महाजन के पास एक आदिवासी किसान जाता है और १)रु० की चीज़ लाता है तो साल, दो साल बाद वापिस उसके पास जाने पर १)रु० के बजाय २), ढाई रुपये देने पड़ते हैं और इस तरह नहीं लेते हैं तो दो, तीन साल बाद जाकर नया नाम करते हैं और फिर रकम इसी तरह चढ़ा देते हैं। इस तरह से चेयरमैन महोदय, कई किसानों की ऐसी हालत है कि तीन, चार पीढ़ी तक भी किसान ऋण नहीं चुका सकता। इसलिये माननीय चेयरमैन,

(श्री लक्ष्मण हीरात)

मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि यदि सहकारी बैंक सरकार खोले तो आदिवासी किसान ऋण से मुक्त हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ।

माननीय चेयरमैन महोदय, हमारी सरकार की मार्फत एक पुस्तक हमें बांटी गई है और उसमें यह लिखा है कि सोसाइटीज़ को ज्यादा से ज्यादा रकम दी जाय प्रचार के लिये । माननीय चेयरमैन महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रचार के विषय में कहा है कि हमारे सहकारी विभाग की तरफ से जितना प्रचार होना चाहिये उतना नहीं हुआ है । माननीय चेयरमैन, मैं भी अपने विचार व्यक्त करता हूं जितना किसानों को वहां पर जाकर समझाना चाहिये सहकारिता के विषय में उतना नहीं समझाया गया । गांवों में किसान बिना पढ़े लिखे होते हैं और गावों में जानेवाले सहकारी विभाग के अफसर अफसर की हैसियत से जाते हैं । उनको कार्यकर्ताओं के हिसाब से जाना चाहिये और समझाने की कोशिश करनी चाहिये तब जाकर ज्यादा से ज्यादा सहकारी बैंक और सहकारी समितियां फलीभूत हो सकती हैं और हमारे आदिवासी इलाके में,उदयपुर डिविजन में ज्यादा सहकारी बैंक सफल हो सकते हैं ।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं हाउस के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ । एक सहकारी समिति जवाहरनगर में बनी हुई है । उसकी यह स्थिति है कि पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन करने में कम से कम साल भर लग गया । जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन की समस्या के बारे में विचार व्यक्त किये हैं, वास्तव में यह बड़ी समस्या है । इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि तीन, चार महीनों में जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाय और ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियां बनाई जा सकें । इसी तरह से फलासिया तहसील है वहां पर सहकारी समितियां बनाने में सरकार की ताकत लगी है और वहां के एरिया को ठीक बनाने में कई संस्थाओं की ताकत लगी है । राजस्थान सेवा संघ जैसी संस्थाओं को भी मदद दी जाय सहकारी विभाग द्वारा ताकि ऐसी संस्थाएं ज्यादा सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंक को पनपाने में मदद करें । माननीय चेयरमैन महोदय, इस किताब में यह बताया गया है कि राजस्थान में कई स्थानों पर या कई जिलों के लिये ७ करोड़, २२ लाख रुपये दिये गये हैं, इस तरह की स्थिति है । माननीय चेयरमैन, मैं आपको बताऊं हमारे उदयपुर ज़िले में तो ज्यादातर पिछड़ा हुआ इलाका है उसको कोई ऐसी रकम नहीं दी गई है जिससे सहकारी समितियां या बैंक पनप सकें....

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री, सहकारी विभाग) : खेत शहरों में नहीं होते गांवों में होते हैं, इसलिये गांवों में दी गई है ।

श्री लक्ष्मण हीरात : बड़े बड़े गांवों में दी गई होगी । एक बात मैं कटौती प्रस्ताव के सिलसिले में बता देना चाहता हूं कि इस इलाके में यदि एक किसान अपना घर बनाना चाहता है तो सारा गांव का गांव मिल कर घर बना देता है । इसी तरह निराई के संबंध में कहा था कि सब मिल कर निराई करते हैं । इसी तरह की कई परम्परायें हमारे इस इलाके के लोगों में हैं और खास कर आदिवासियों में हैं । इस ओर हमारी सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये ताकि

Page No.80

(श्री लक्ष्मण हीरात)

ऐसी परम्परायें सहकारी पद्धति की ज्यादा से ज्यादा बड़े और सरकार ज्यादा से ज्यादा काम कर सके ।

माननीय चेयरमैन, मैं एक बात और बताकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा । जैसा कि एक किसान खेत की मेड़ बांधता है तो तीन, चार इकट्ठे हो जाते हैं और हल जोतते हैं और खेत की मेड़ बांधते हैं । इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे और सहकारी समितियां ज्यादा से ज्यादा बनावें और गांवों की समितियों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दें तो इस ओर भी सरकार ज्यादा तरक्की कर सकती है । मैं मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा, वे कृषि मंत्री भी हैं, वे खासकर ऐसे कानून हमारे इलाके के लिये बनावें ताकि आदिवासी किसान मुक्त हो सकें । जैसा कि मैंने कहा था कि आदिवासी ऋण से पीड़ित हैं और जिन्दगी भर मर मर कर ऋण चुकाते हैं उनके लिये ऐसे कानून बनावें कि महाजनों, बनियों और पैसेवालों से उनको छुटकारा मिल सके । ऐसे कानून बनें जिनसे आदिवासी को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ ।

श्री सभापति : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): सभापति महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव खास कर बीकानेर ज़िले में बजरी उत्पादक सहकारी समिति में किस प्रकार गड़बड़ियें हैं उसको लेकर प्रस्तुत किया है । सही माने में देखा जाय तो जितनी भी सहकारी समितियां हैं और वे किस तरह से काम करती हैं और किस मूलभूत आधार को लेकर हम सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं और उनका मूलभूत उद्देश्य पूरा होता है या नहीं इस बात को देखने की, मैं समझता हूं, सबसे बड़ी आवश्यकता है । क्योंकि आज का युग पूंजीवादी युग है और पूंजीवादी युग में एक आदमी व्यक्तिगत मुनाफा कमा सकता है और दूसरों का शोषण करता है और इस शोषण को समाप्त करने के लिये, व्यक्तिगत मुनाफे को समाप्त करने के लिये, समाजवाद की सच्चे माने में स्थापना करने के लिये हमने सहकारिता को स्वीकार किया है । सहकारिता का दूसरा नाम यदि समाजवाद कह दिया जाय तो गलत नहीं है । लेकिन फिर भी यदि सहकारिता के मूल उद्देश्य को लेकर हमने प्रारम्भ किया जिसका एक मात्र लक्ष्य यह था कि हम आज पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर सहकारिता के आधार पर समाजवाद की स्थापना करें । उसकी पूर्ति में कहां तक सफल हो सकते हैं । इसे यदि दुनिया अनुभव करती है, इस तरीके से जो समितियां चलती हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं तो सही माने में समाजवादी व्यवस्था कायम हो सकती है और इसका उपयोग सिर्फ इसलिये किया जाता है कि हम सरकारी धन को और कोऑपरेटिव-बैंक के धन को अच्छी तरह से उपयोग में ला सकते हैं । क्योंकि सहकारिता के आधार पर साधन मिल सकते हैं और इसके साथ साथ सहकारी समितियां के लिये सरकार ने प्राथमिकता इस आधार पर रखी कि इसके ज़रिये व्यक्तिगत शोषण समाप्त होगा और व्यक्तिवाद की जगह समष्टिवाद का निर्माण होगा, इस आधार पर विशेष सुविधाएं देते हैं । यदि इनका ठीक तरह से पालन नहीं किया

Page No.81

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाता है और दुरुपयोग होता है तो मैं समझता हूं जो मूलभूत चीज़ लाने के लिये हर काम सहकारिता के आधार पर चलाना चाहते हैं, हम सारे राज्य के व्यापार को, क्रय-विक्रय को सहकारी समिति के द्वारा करना चाहते हैं और हम कृषि और किसान की जिन्दगी को ऊंचा उठाने के लिए सहकारी समिति के आधार पर फार्म्स का निर्माण करके अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो सारा मूलभूत उद्देश्य देश को ऊंचा उठाने के लिए है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होता है तो हम उद्देश्य का पालन न करके, समाजवादी सिद्धान्त का पालन न करके शोषण की ओर चलते हैं और जिस सहकारिता को लेकर आप खड़े हुए हैं यह हमारे लिए कलंक की चीज़ हो जायगी। जो रिपोर्ट सहकारी समिति के विभाग की ओर से प्रकाशित हुई इसका आप पेज़ १२ देखें। इसमें सहकारी समितियों के भंडा फोड़ का ज़िक्र किया है। उसमें लिखा है, जनता को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है कि नकली समिति की सूचना सहकारी विभाग को दें जहां इसके खिलाफ आवश्यक विचार करके कार्यवाही की जायगी और यही नहीं, इसका समाचार-पत्रों आदि में भंडा फोड़ का भी स्वागत किया जायगा। तो सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार ने इस बुनियादी नीति को मान्य किया है और इसलिए आवश्यक समझा है कि आज सहकारी समितियां बन रही हैं उन समितियों में लोग चले जा रहे हैं और उनके ज़रिये सरकार से पैसा प्राप्त करके, कोआॅपरेटिव बैंक से पैसा प्राप्त करके, अपने धन्धों को चलाते हैं और व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं। मैं उदाहरण के स्वरूप बीकानेर ज़िले की बजरी उत्पादक सहकारी समिति का उल्लेख करूंगा कि उसने कितना काम किया, किस प्रकार शेअर होल्डर्स बनाये, किस प्रकार सदस्य बनाये और कितने लाख रुपये का काम किया और उसका मूलभूत फायदा क्या होना चाहिए। जो सहकारी समिति की बुनियाद है, हमारी सहकारी समितियों का एकमात्र मकसद यह है कि एक मनुष्य जो श्रम से दूसरों को लाभ देता है उस लाभ को एक आदमी व्यक्तिगत रूप से उठा लेता है, उस श्रमिक को उसकी मेहनत के मुकाबले व्यक्तिगत फायदे की जगह समाजवाद के आधार पर समान रूप से श्रम का लाभ मिल सके। इस आधार को लेकर सहकारी समिति बनायें। मैंने गत सत्र में एक प्रश्न रखा था और कहा था कि इस प्रकार बीकानेर ज़िले में एक बजरी उत्पादक समिति है, इसके कितने सदस्य हैं, इसके कौन कौन सदस्य हैं, इसके साथ साथ इसने कितनी आमदनी की, किस प्रकार उसे खर्च किया इसकी रिपोर्ट पेश की जाय। जब आॅडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो मैंने प्रश्न किया कि इसके सदस्य कौन कौन हैं तो उसका जवाब यह दिया गया कि इसके सदस्यों की लिस्ट है वह दस्तखत कराने के लिये भेजी गई है। १९५४ में यह सहकारी समिति बनी, उस समय १९५८ था और १९५८ में एक प्रश्न पूछा जाय तो यह जवाब मिले कि इस सहकारी समिति के सदस्यों की सूची है उसे हस्ताक्षर कराने के लिये भेजा गया है। इस आॅडिट रिपोर्ट में पांच, सात बातें हैं तो मूलभूत सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि सहकारी समिति के लिए आवश्यक है कि वह मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार काम करे। उस रिपोर्ट

(श्री मुरलीधर व्यास)

में लिखा है कि इस समिति का ऑडिट किया और यह पूछा कि सदस्यों का रजिस्टर कौन सा है तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में नहीं है, हस्ताक्षर कराने के लिए गया। इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि इसके हकदार कौन कौन हैं उसका जिक्र नहीं है। फिर यह समिति क्या धन्धा करती है, क्या क्रय-विक्रय करती है, किस प्रकार का काम करती है तो यह कहा गया कि यह विक्रय का धन्धा नहीं करती है सिर्फ बजरी का उत्पादन करती है। मेरी समझ में नहीं आया कि यह सहकारी समिति एक बड़े काम के नाम पर १० हज़ार रुपया उद्योग विभाग से ले, ६० हज़ार कोऑपरेटिव बैंक से ले लेकिन इस सारे रुपये को लेकर किस काम में लगाया। जब कोई विक्रय का काम नहीं किया, खरीद का काम नहीं किया तो आखिर किस काम में लगाया? जहां तक मजदूरों के भुगतान का सवाल है, मज़दूर इतना काम करते हैं, वे बज़री को खोदते हैं, उस बज़री को वहां से लाकर रेल्वे लाइन पर डालते हैं। इस समिति ने केन्द्रीय सरकार को भी लिखा कि क्योंकि यह सहकारी समिति है इसलिए इस समिति को बेगन्स देने में प्राथमिकता देनी चाहिये। इस समिति के नाम पर प्राथमिकता ली, फिर बजरी को भाखरा के काम के लिए भेजने के लिए प्राथमिकता मिली। जब उसका मुख्य उद्देश्य यह है तो जो मज़दूर बज़री खोद कर लाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनतकश हैं उनको उस पैसे का लाभ मिलना चाहिए तो सरकार देती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बज़री उत्पादक सहकारी समिति में उत्पादन करनेवाला एक भी सदस्य नहीं है। इसके सदस्य कौन हैं, ज़िला कांग्रेस के प्रधान, उसके लड़के, भतीजे और चाचा। ऐसे लोग कांग्रेस के नाम पर, एक सत्ताधारी दल के नाम पर सरकार से पैसा लेते हैं, उद्योग विभाग से कर्ज़ा लेते हैं, केन्द्रीय सरकार से विशेष सुविधा प्राप्त कर लेते हैं और उसके मुनाफे को चार पांच आदमी, एक परिवार अपने पास रखता है। तो मैं समझता हूं कि सहकारिता के आधार पर अगर पैसा और कर्ज़ा देना शुरू किया तो सहकारिता के आधार पर एक नये पूंजीवाद को जन्म देंगे और जो मेहनतकश को उसका लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिलेगा। सहकारी समितियों के अन्दर जानकार लोगों ने ज्यादा गलतियां की हैं। अगर गांव का मूक आदमी, ना समझ आदमी गलती कर दे सहकारी समिति के रजिस्टर में, ऑडिट रिपोर्ट आदि में। थोड़ी देर के लिये मान भी लें नासमझ आदमी ने गलती की। लेकिन एक मुख्य आदमी, जो राजनैतिक दृष्टिकोण से एक राजनैतिक दल का प्रमुख आदमी है, जो इस कमेटी के अन्दर इस सहकारी समिति के अन्दर है जिसकी १९५४ से लेकर १९५८ तक मीटिंग नहीं हुई, साधारण सदस्यों की सभा नहीं हुई और उसमें मनमाने तरीके से काम करके उसके मुनाफे को व्यक्तिवादी तरीके से लेना चाहें तो मैं समझता हूं यह सहकारिता का सिद्धान्त, जिसके द्वारा समाजवाद लाना चाहते हैं वह शोषण का साधन बन जायगा और सहकारिता के आधार पर जो मेहनत को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पायगी, समाज में मेहनतकश व्यक्ति को अपने श्रम का जो हिस्सा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पायेगा। इस प्रकार की चीजें की गई हैं, मैं समझता हूं सहकारी समितियों के बारे में अलग अलग लोगों की

(श्री मुरलीधर व्यास)

अलग अलग जगह की रिपोर्ट हैं। अगर हमारी सरकार जागरुक है और यह चाहती है कि इस प्रकार कोई सहकारिता के नाम पर सरकारी धन को लेकर उसके मूलभूत सिद्धान्त को, उसकी मूलभूत नीति और बुनियाद को कुचलने की कोशिश करेगा तो चाहे वह किसी दल का हो, बहुत ज्यादा परिचित व्यक्ति हो, या सम्बन्धित व्यक्ति हो तो भी बहुत कठोरता के साथ आपको उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर सहकारिता का रूप सुधरेगा। आपने यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया और यह सोचें कि अपना आदमी है अगर इसे लाभ हो गया तो इसको लाभ होने दो। इस प्रकार अगर आपने रुख अख्तियार कर लिया तो पांच, सात आदमियों की कमेटी बन जायगी लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा दूसरे जो सदस्य होंगे उनके लिये क्या है, उनको एक, दो रुपये का लाभ हो जाता है और वे दस्तखत करने के लिये तैयार हो जाते हैं। वे सोचेंगे कि लो भाई, कमेटी के सदस्य हैं अगर पांच रुपये मिल गये बैठे बैठे तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रकार कमेटी में पांच, दस रुपये के कुछ शेयर होल्डर्स हो गये। उनको साल में पांच, दस रुपये की आमदनी हो गई। यह सोच कर कुछ लोग जो व्यक्तिगत मुनाफा कमाने के लिए सहकारी समिति चलाते हैं उनको आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो समाजवादी व्यवस्था नहीं आ सकेगी। आपने देश में हर काम के लिये सहकारिता को मान्यता दी है। आप सहकारी फार्मिंग करेंगे उन खेतों पर जिस खेत को आप सीलिंग करके प्राप्त करेंगे फिर जिस ज़मीन पर भूमिहीन और मेहनतकश मेहनत करनेवाले हैं उनको आप उस ज़मीन का हकदार नहीं बनायेंगे. लेकिन जो जानकार लोग हैं, उन्हें पता लगा कि ज़मीन मिलनेवाली है तो उन्होंने एक सहकारी समिति बना ली और सरकार उन्हें ज़मीन दे देगी। नतीज़ा यह होगा कि जो भूमिहीन हैं जो अनजान हैं वे कुछ जानते नहीं हैं इसलिए वे वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और कुछ लोग जो सहकारिता की बात को जानते हैं वे उसका लाभ उठायेंगे। इस प्रकार क्रय विक्रय अनाज का आप करेंगे इसके अन्दर भी ऐसे लोग ही आयेंगे क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि सरकारी स्तर पर बड़ा भारी काम होनेवाला है इसलिए इसमें चले जायं। उनको आप प्रधानता देंगे तो नतीज़ा यह होगा कि कुछ लोग मुनाफे के हकदार हो जायेंगे और दूसरे लोगों को काम नहीं मिलेगा।

मैं समझता हूं कि सहकारिता में एक बुनियादी सिद्धान्त को मान्य करना चाहिये कि सहकारी समिति के सदस्य वही हो सकेंगे जो उस काम को समझनेवाले हैं, जो आदमी खुद कार्य करने वाले हैं, मेहनतकश हैं, चाहे सहकारी समिति कृषि के आधार पर हो। चाहे किसी दूसरे उद्योग में हो, अन्य किसी चीज़ में हो, वहां अगर मेहनतकश को प्रधानता मिलेगी तो श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसके साथ साथ उत्पादन का लाभ कुछ लोगों को समाजवादी तरीके से मिलना चाहिये, मिलेगा और वे उस लाभ के हकदार हो सकेंगे। आज ही मैं वहां गया। मुझ से वहां बुनकर लोग मिले। उन्होंने कहा कि एक बुनकर सोसाइटी है। इस सोसाइटी के लोग गड़बड़ी करते थे तो दूसरे लोग जागरुक हुए। उन्होंने वहां चुनाव करवाये। चुनाव के बाद उन्होंने कहा क अब हमें सारे काग-

(श्री मुरलीधर व्यास)

ज्ञात वापिस दो। परन्तु वे लोग हिसाब किताब नहीं रखते थे वे गलती भी करते थे। उन्हें कुछ लोग जागरुक करें उसके बाद सोसाइटी का कब्जा लेना चाहें लेकिन

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

फिर भी नहीं दिया जाय तो नतीजा क्या होगा ? नतीजा यह होगा कि इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह मोटरों में, ट्रान्सपोर्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, ऐसे लोग केपिटेलिस्ट्स से ले आते हैं और क्योंकि सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना कर जो लोग आते हैं उनको परमिट देने में प्राथमिकता की बात कही है तो ऐसे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेते हैं और उनलोगों को परमिट मिल जाता है और इस तरह दो चार आदमी इसका मुनाफा उठाते हैं। मालूम हुआ है कि हमारे मन्त्री महोदय की धारणा है कि अच्छा ही है एक की जगह चार, पांच आदमी फायदा उठाते हैं, पर वे दो, चार आदमी जिन्होंने कभी मोटरों का धन्धा नहीं किया वे यह धन्धा करते हैं, उनको सहकारिता के आधार पर परमिट मिलता है तो इस तरह आपने परमिट दे दिया इससे उस क्षेत्र के लोग जो यह धन्धा करने वाले हैं, जो श्रमजीवी हैं, श्रम करते हैं उन लोगों का धन्धा मारा जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो लोग श्रम करनेवाले हैं, यह धन्धा करने वाले हैं उनको ही प्राथमिकता दी जायगी तो हमारा सहकारी आन्दोलन सफल होगा। नहीं तो सहकारी समिति ने क्रय विक्रय किया है और लाखों रुपयों का क्रय विक्रय किया है। बीकानेर ज़िला बजरी उत्पादक सहकारी समिति उसका एकभी सदस्य इसमें नहीं है, उनमें से एक को भी लाभ नहीं मिला लाभ उन लोगों को जिन्होंने सहकारी आन्दोलन के आधार पर आपसे पैसा लिया, जो कपड़े के व्यापारी हैं, जिनकी कपड़े की दूकानदारी चलती है उन लोगों ने पैसा लिया और इससे लाभ उठाया। इन लोगों ने देखा कि सरकार सहकारिता आन्दोलन में मदद देती है तो इससे भी लाभ उठाया जाय। इससे ऐसे लोग ही लाभ उठायेंगे और जो सच्चे लोग हैं वे वंचित रह जायेंगे। इसलिये मैं मांग करता हूँ कि अपनी समितियों के अधिकारियों को इस बात की कड़ी हिदायत कर दें कि वे इस बात का ध्यान रखें कि इसके ज़रिये जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश हैं उन लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं। यदि यह मूलभूत सिद्धान्त सहकारिता में मान्य कर लिया जावेगा और इस आधार पर सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जायगा तो मैं समझता हूँ कि हम जिस समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं उसे स्थापित करने में हम सफल हो सकेंगे।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम : (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव आपके द्वारा सदन में पेश करता हूं। वैसे मेरा कटौती प्रस्ताव बहुत छोटा है, बांसवाड़ा ज़िले के सहकारीकार्यालय के असन्तोषजनक कार्यपर बहस करने के लिये है, इस पर निवेदन करूंगा सभापति महोदय, हमारी सरकार का सहकारी नीति द्वारा काश्तकारों को हर तरह शोषण से बचा कर उन्नति पर लाने का जबरदस्त प्रयत्न किया जा रहा है, इस पुस्तक से मालूम होता है कि राजस्थान में कुल मिला कर ११७५० सहकारी समितियां स्थापित हो चुकी हैं और

(श्री नाथूराम)

सदस्यों की संख्या साढ़े पांच लाख तक पहुँच चुकी है। इसके लिये मैं राज्य सरकार का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस प्रस्ताव के ज़रिये काफी निवेदन करूंगा। वैसे मेरा विचार था कि जनरल डिबेट पर मुझे मौका दिया होता तो मैं बांसवाड़ा जिले के बारे में निवेदन करता।

देखा जाय तो बांसवाड़ा ज़िला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहां पिछड़े हुए आदिवासी और दूसरे पिछड़े हुए लोग रहते हैं। इस जिले में पांच तहसीले हैं, उनमें काफी समितियां बनी हैं और मेम्बर भी काफी बने हैं। इस पुस्तक में यदि जिलेवाइज़ आंकड़े होते तो मैं इस सम्बन्ध में विशेष निवेदन करता पर मुझे याद है कि लगभग वहां बीस बाईस हज़ार सदस्य बने होंगे।

बांसवाड़ा ज़िला जैसे पिछड़ा हुआक्षेत्र है, वहां हर तरह के उद्योग मिल सकते हैं पर वहां इन सहकारी समितियों में इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। इन समितियों में ज्यादा तर कर्जा दिया जाता है। इसके जो काश्तकार हैं, उनको सहकारिता का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की समझाइश नहीं होने से पूरा लाभ उन लोगों को इससे नहीं मिल सका है। जिन लोगों को कर्ज की जरूरत होती है वे लोग कर्ज़ा ही इनसे ले जाते हैं और कोई उद्योग धन्धा इन सहकारी समितियों द्वारा नहीं खोला जाता है।

मैं गत वर्ष का उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि दो साल पहले समितियों से कर्जा दिया गया था और गत वर्ष अकाल होने के कारण वह कर्ज़ा वापिस नहीं दिया जा सका, आखिर यह कर्ज़ा तो उन्हें देना था इसलिये यह कर्ज़ा वापिस जमा कराने के लिये उन लोगों को वापिस उन व्यापारियों के पास जाना पड़ा जो कि पहले कर्जा देते थे। इन लोगों से इन व्यापारियों को पहले का कर्जा लेना था जो कि मियाद बाहर हो गया था जिसके कारण व्यापारी अदालत में नहीं जा सकते थे। परंतु उपरोक्त कारण से उन लोगों को उन्हीं पुराने व्यापारियों के पास कर्जा लेने के लिये जाना पड़ा और उन व्यापारियों ने इनका दस, दस साल पुराना कर्जा था उसको नया बना लिया और इस शर्त पर कर्ज दिया कि एक महीने में कर्जा वापिस नहीं दिया तो तुम्हारे खेतों में जो फसल खड़ी है, उसको हम कटवा लेंगे। अधिकारियों के नोटिस में लाया गया, बहुत कुछ प्रयत्न किया गया पर राजस्थान सरकार के अधिकारियों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, उन समितियों को उम्मीद थी कि एक महीने में हमें कर्जा मिल जायगा, पर इसके लिये लोन एप्लीकेशन तैयार करानी थी वह नहीं करा सके। अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि सब जिले का कर्जा वसूल हो जायगा तो आपकी समितियों को कर्जा देंगे। उन काश्तकारों की खड़ी फसल शायद काट ली गई होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं कुछ रोज पहले गया था तो वहां के काश्तकारों ने यही समस्या बताई थी। जब मैं बी. डी. ओ. और दूसरे अधिकारियों के पास पहुँचा तो उनको समझाया कि लोन एप्लीकेशन्स तैयार करके इनको कर्जा दे दो तो कम से कम इस समय तो ये लोग बच जायेंगे, तो वे जवाब देते हैं कि सारे जिले का कर्जा वसूल नहीं हुआ तो हम लोन एप्लीकेशन तैयार नहीं करायेंगे।

इस तरह जो सहकारिता का उद्देश्य है,

(श्री नाथूराम)

वह कुछ पूरा नहीं हुआ और इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। जो लोग शोषण कर रहे थे उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है। आखिर उन गरीब लोगों को अपने बच्चों को भूखों मरते देखना पड़ रहा है। क्योंकि उनका सारा अनाज तो उस कर्जे में चला गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सहकारी समितियों का वहां पर संतोषजनक कार्य नहीं रहा है।

जब उदयपुर डिविज़न की बात आती है। तो माननीय सदस्यों द्वारा कहा जाता है कि वहां काफी रुपया दिया गया है। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सो वहां कर्जा दिया जाता है। लेकिन वास्तविक उपयोग नहीं होता। मैंने भी कई दफा वहां सुझाव रखे और लिखित में भी दिया, लेकिन गवर्नमेन्ट के अधिकारियों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज बांसवाड़ा जिला वैसे डूंगरपुर जिले से आबादी और जनसंख्या में बड़ा हुआ है, वहां पांच तहसीलें हैं। मैंने निवेदन किया कि जहां समितियां खोली गई हैं वहां ग्रूप सेक्रेटरी रखे जावें जिससे मानसिक एवं लिखित सहयोग, उनको मिल सके लेकिन इन समितियों में कोई ग्रूप सेक्रेटरी नहीं रखे गये। और अनपढ़ जो काश्तकार हैं हिसाब किताब रखाने के लिए पढ़े लिखे लोगों के पास जाते हैं तो मनमानी तरीके से हिसाब रखते हैं। समितियों के ग़रीब लोगों ने कर्जा भी दे दिया, उनमें कुछ व्यापारी लोग भी हैं, जो छोटे २ खेत हैं उन पर समितियों से उन्होंने कर्जा ले लिया है। और उन गरीबों ने वह पैसा अदा भी कर दिया है लेकिन जो अच्छी श्रेणी के लोग हैं उन्होंने कर्जा अदा नहीं किया है। उन गरीबों का अनाज भी चला गया और अब तक आधा पैसा समितियों का वसूल हुआ और आधा नहीं हुआ। इस तरह से वहां पर गरीबों का शोषण हो रहा है। सभापति महोदय आपके द्वारा सदन से निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जहां जहां ऐसी समितियां बनी हैं बांसवाड़ा में ए. आर. ओ. का ऑफिस कायम हो जाय तो उन गरीब लोगों को सहयोग मिल सके। बांसवाड़ा में हैडक्वार्टर यानी ए.आर. ओ. का कार्यालय काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होगा। विशेष आपके द्वारा यह भी निवेदन है कि जिन लोगों ने समितियों का कर्जा शीघ्र अदा कर दिया है उन की लोन एप्लीकेशन तैयार हो जाय और उनको कर्जा शीघ्र मिल जाय न कि सारे जिले का कर्जा वसूल हो तब। यदि ऐसा हुआ तो गरीबों को इन समितियों से कोई फायदा नहीं होगा। सभापति महोदय,आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दो साल पहले कर्जा दिया गया, बैंक का नियम था उस हिसाब से दिया गया था और वसूल हुआ तब पेनेल्टी वसूल हुई। जो गांव अकाल ग्रस्त हुए थे वहां पर समितियां होने पर तो पैनेल्टी वसूल नहीं होनी चाहिये थी इसलिए सभापति महोदय

(घंटी)

गरीबों के लिए यह अच्छी बात नहीं है। सरकार ने लगान माफ कर दिया तो पेनल्टी के ब्याज पर भी सोचना चाहिये था।

मैं विशेष निवेदन आपके द्वारा यह भी कर देना चाहता हूं, कि बांसवाड़ा जिले में जगह जगह उद्योग हो सकते हैं, बांसवाड़ा जिले में सागवान बांस के जंगल हैं, अधिक-

(श्री नाथूराम)

तर जंगल बरबाद हो गये हैं। फिर भी वहां पर कई तरह के उद्योग हो सकते हैं, बांस, लकड़ी, चर्म एवं बर्तनों के उद्योग हो सकते हैं, और भी कई तरह के उद्योग हो सकते हैं। गुजरात के लोग जंगलों के ठेके ले जाते हैं और रिजर्व जंगलों का कबाड़ा भी ले जाते हैं इधर उधर कटवाकर। समितियां बनी हुई हैं, जो फोरेस्ट समितियां हैं, उनको कभी ठेका नहीं दिया जाता। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिले में और फोरेस्ट समितियां बनाई जाय और जब जंगलों के ठेके दिये जांय तो उनको ही दिये जांय। सभापति महोदय,मुझे विशेष निवेदन करना था लेकिन समय कम होने से मैं कुछ सुझाव ही आपके सामने पेश कर देता हूं। जिस तरह से मेरे पूर्व भाई ने कहा कि उदयपुर डिवीज़न में हर जगह समितियों के बैंक नहीं हैं, यह मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में भी समितियों का बैंक हो जाय तो विशेष फायदा होगा। एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, अथूण में समिति खोली है उसके लगभग २००,३०० मेम्बर हैं, आदिवासी भाई थे उनसे तो कर्जा वसूल हो गया, लेकिन जो अच्छे लोग मेम्बर हैं। उनसे अभी तक कर्जा वसूल नहीं हुआ। वहां पर एक बुनकर समिति भी बनी हुई है, बुनकर कपड़ा बनाते हैं और उद्योग भी करते हैं। ब्लॉक की तरफ से समिति बनी हुई है, चीज़ तो अच्छी है लेकिन यह आपके सामने रख देना चाहता हूं कि वहां पर कपड़ा बनाना सिखाने के लिए कर्मचारी है जो रखा हुआ है वह मद्रासी है और वह मद्रास का रहने वाला नवयुवक अंग्रेजी जानता है। हिन्दी और जो उधर बागड़ी भाषा बोली जाती है वह नहीं जानता है, क्योंकि उधर के रहने वाले भाई बागड़ी ही जानते हैं। उनको कपड़ा बुनना सीखने की बड़ी इच्छा है लेकिन उनकी भाषा को वे लोग नहीं समझ सकते। कई दफा यह यह चीज़ मैंने सरकारी अधिकारियों के सामने रखी लेकिन वह कर्मचारी अभी तक वहां पर काम करता है। उस कर्मचारी को भी उन लोगों की भाषा को न जानने के कारण तकलीफ है और वहां के लोगों को भी उसकी अंग्रेजी भाषा को न जानने के कारण तकलीफ है। मैं उस नवयुवक के विरोध में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ उसकी असुविधा के लिए और वहां के रहने वाले लोगों की असुविधा के लिए मैं निवेदन करता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको किसी शहर में रखा जावे और वहां ऐसे आदमी को भेजा जाय जो वहां के लोगों की भाषा को जानता हो और उनको अच्छी तरह सिखा सकता हो।

पुन: निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसी वर्ष ए. आर. ओ. का ऑफिस बांसवाड़ा जिले में कायम करने की स्वीकृति हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव था।

श्री सभापति : आपकी टर्न पहले आ गई थी।

श्री शिवचरणदास : उस समय मैं उपस्थित नहीं था।

श्री सभापति : पूरे बोल जांय उसके बाद आप बोलिये। श्री रामचन्द्र।

Page No.88

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४२ में एक कटौती प्रस्ताव रखा है और इस कटौती प्रस्ताव को रखने का मुख्य आशय यह है कि यद्यपि सरकार ने यह स्पष्ट रूप से मान लिया है कि वर्तमान युग में जब कि राजस्थान ही नहीं बल्कि समस्त भारत एक विकास यात्रा के दौर में गुजर रहा है, सहकारिता ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई समाज, या कोई क्षेत्र प्रगति कर सकता है और इस बात को मानते हुए हमें इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले आठ वर्षों में राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, उसकी एक झलक इस पुस्तक द्वारा, जो आज कोऑपरेटिव विभाग की तरफ से दी गई है, मालूम होती है। इसको देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि ८ वर्ष के दौरान में सहकारिता प्रत्येक क्षेत्र में चौगुनी हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकार सहकारिता को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहती है लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि सरकार सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहती है लेकिन उस प्रोत्साहन में सरकार राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र को समान रूप से नहीं देख रही है। आज हम देख रहे हैं कि सहकारिता से लाभ उठाने वाले लोग ज्यादातर शहरों और कस्बों में हैं, गांव में इस प्रकार का अभी कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा है।

कोई अपने कथन की पुष्टि में अपने ज़िले के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सरकार की सहकारी नीति से सभी जगह समान रूप से लाभ नहीं पहुंचा है। सभापति महोदय मेरा निवेदन यह था कि अपने ज़िले के बाबत में कुछ कहने से पहले मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, झालावाड़ ज़िला राजस्थान के दूर भाग में स्थित होने के कारण वह अभी विकास के प्रत्येक क्षेत्र में इतना तिरस्कृत वस्तु बना रहा है, कि बार बार माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करने पर भी उस ओर पूरी तौर से ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, अपने विचार इस विभाग के संबन्ध में प्रगट करने से पहले मैं झालावाड़ की स्थिति के संबन्ध में अर्ज कर दूं। झालावाड़ ज़िला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में तीन देशी रियासतों और एक मध्यभारत के टुकड़े को मिलाकर बना है। उन तीन रियासतों में शासन के अलग अलग तरीके थे, केवल कोटा राज्य की ४।। तहसील ऐसी है जिनमें राजस्थान बनने से पहले सहकारिता का उदय हो चुका था। सहकारिता का लाभ इन्हीं तहसीलों को मिल चुका था। थोड़ा टौंक परगना और झालावाड़ की सारी की सारी रियासत का जो भाग है वह सहकारिता के फल से बिल्कुल वंचित रहा। जब कि राजस्थान बने दस वर्ष का अर्सा हो गया केवल आधा ज़िला ही नहीं सम्पूर्ण ज़िला ही ऐसा है, जिसमें किसी प्रकार भी सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं मिला है। कोटा रियासत की जो चार तहसीलें में जहां पहले से सहकारिता चल रही थी वह अब भी वैसी की वैसी विद्यमान है। झालावाड़ ज़िले की चार तहसीलों में से पिड़ावा और सुनेल टप्पा में तो एक भी इन्स्पेक्टर नहीं है और न तहसील पंचपहाड में ही है। एक इन्स्पेक्टर डग, सुनेल और पिड़ावा के लिये है। जब हमने सहकारिता के सिद्धान्त को विकास का आधार भूत मान लिया है तो इस हालत में सहकारिता आजकल एक ऐसी

(श्री रामचन्द्र)

चीज़ बन गई है कि यदि मैं इसे अध्यापक के शब्दों में कहूं तो सहकारिता एक प्रकार का विकास के लिए एन्ट्रेन्स का एग्ज़ामिनेशन हो गया है और अब इस एग्ज़ामिनेशन के पास का सार्टिफिकेट प्राप्त किये बिना सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता मिल ही नहीं सकती। जब आप एक क्षेत्र के लोगों को सहकारिता के लाभ से वंचित रख रहे हैं। तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस क्षेत्र के लोग सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं से किस प्रकार लाभ हो सकेगा।

अब मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा जिनका मैंने स्वयं ने कुछ सोसाइटीज़ बनवा कर अनुभव प्राप्त किया है एक बार जब डग में चर्मकारों की सोसाइटी बनवाई एक तो पहले उन लोगों के बड़ी मुश्किल से समझ में आया कि सहकारिता से उनको बड़े लाभ मिलेंगे। गरज़ कि हमने उनको समझाया कि सहकारी समिति बनाने से लाभ होगा। उन बेचारों ने ८ अक्टूबर १९५८ को ३६३ रुपये जमा करवाये, लेकिन आज तक उनको एक भी पैसा ऋण का नहीं मिला। जब कोई सहायता न मिले तो ऐसी सहकारी सोसाइटी से क्या फायदा। अभी २ मेरे पास उन लोगों की एक अर्जी आयी है, वह अर्जी मैंने शिफ़ारिश लिखकर के रजिस्ट्रार महोदय के पास भेजी है। इसी तरह से झालावाड़ खास में एक रैगरों की सोसाइटी बनवाई उनसे बीस बीस रुपया जमा भी करवा दिया। छः महिने तक वह सोसाइटी मंजूर रही लेकिन जब प्रयत्न का कुछ नतीज़ा नहीं निकला तो इन लोगों ने अपने अपने रुपये वापस ले लिये। इसी प्रकार अभी हाल में भीलों की सोसाइटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। रायपुर, बाला-गढ़ झिरनिया ऐसे तीन भीलों के गांव हैं। ये लोग जंगल काटने का काम करते हैं। इन जंगलों का ठेका अभी तक पूंजीपति लोग लेते रहे हैं और उनमें ये लोग उनके मजदूर की तरह काम करते रहे हैं। इस साल सरकार ने ऐसी नीति की घोषणा की कि, जो लोग पिछड़े हुए हैं और जो जंगल काटने का काम करते हैं तो अगर वे सहकारी समितियां बनाकर ठेका लेना चाहे तो उनको ठेका दिया जा सकता है। यह बात उन गरीबों के लिए बहुत अच्छी थी। इसलिये हमने यह उचित समझा कि इन लोगों की सोसाइटी बनायी जाय, ताकि इनको लाभदायक काम मिल जायगा। इसलिये उन लोगों की सोसाइटी बनाई गई सरकार द्वारा वह सोसाइटी मान्य भी होगई। उसके मैनेज़मेन्ट की व्यवस्था भी हो गई। किन्तु सरकारी कर्मचारियों का उनसे प्रति रुख अच्छा न होने के कारण इतना प्रबन्ध हो जाने पर भी, वह सोसाइटी लिक्वीडीशन के पोज़ीशन में आ गई। कारण इसका यह था कि जब सोसाइटी बन चुकी और शेयर मनी जमा हो गई तो उनको आठ हज़ार रुपये का एक चैक गवर्नमेन्ट की तरफ से मिला। उस चैक को लेकर जब वे बैंक में जाते हैं और मैनेजर साहबको वह चैक दे आते हैं लेकिन आठ दिन तक बराबर उस चैक के लिये चक्कर लगाते रहने पर भी वहां सुनवाई नहीं हुई। इसी अर्से में बाहर से एक ऑडिट का इन्सपैक्टर वहां पहुँच गया। ऑडीटर ने पूछा कि आप यहां क्यों चक्कर लगा रहे हो। उस पर उन्होंने कहा आठ रोज़ होगये हमारा ऋण का कागज़ था वह हमने बैंक मैनेजर साहब को दे दिया लेकिन रुपया अभी तक हमें नहीं मिला। जब ऑडीटर ने दरियाफ्त किया तो

(श्री रामचन्द्र)

उन्होंने बताया कि उनका चैक गुमा दिया उसके बाद नया चैक पेश करने पर भी रुपया नहीं मिला। इस पर बैंक का मैनेजर चिढ़ गया वह यह समझ गया कि उसकी शिकायत कर दी। इसलिये उसने ऐसी कोशिश की कि उस चैक का रुपया उनको न मिलने पाये और नतीजा यह निकला कि रुपया न मिलने के कारण सोसाइटी लिक्वीडिशन में चली जाने की पोज़ीशन में आ गई है। इस तरह से जो सहकारी विभाग के आदमी जो लोगों की सहायता देने के लिये रखे जाते है, वही सहायता के बजाय सोसाइटी को लिक्वीडिशन में लाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से सरकार की जो नीति है वह लाभदायक होते हुए भी उससे लोगों को इतना फायदा नहीं होता है। यह मैंने आपके विभाग की बातें बताई। मैं इतना कहने के साथ साथ और भी मिसालें दे सकता हूं किन्तु मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मुख्य बात यह है कि आपके विभाग से लोगों को पूरी तरह से फायदा नहीं पहुँच पा रहा है। सच तो यह है कि सारा ज़िले का ज़िला बिना सहकारिता के पड़ा हुआ है। इस ज़िले में आपके कोऑपरेटिव विभाग से लोगों को जितना सहयोग मिलता रहा है वह मैंने आपको बता दिया। इसलिये मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि सरकार इन गरीबों को और गांव वालों को वास्तव में फायदा पहुँचाना चाहती है तो आप अपने विभाग के कर्मचारियों को इस बात की हिदायत जरूर कर दें कि वे लोगों को सब प्रकार की सहायता दें और सरकार की जो योजना है, उसको किसी प्रकार भी विफल न होने दें। यही मेरा निवेदन है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या २० पर मैंने तीन कटौती प्रस्ताव रक्खे हैं, मैं उन तीनों को एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर सहकारिता आन्दोलन बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें से ५० प्रतिशत से ऊपर तक लक्ष्य हमने तीन सालों में प्राप्त कर लिया है। इस तरह से सहकारी विभाग ने प्रत्येक क्षेत्र में तरक्की की है और लगभग ५० से ६० प्रतिशत तक लक्ष्य पूरा कर लिया गया है अभी द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दो साल शेष हैं और १४ परियोजनायें थीं ये इन दो वर्षों में पूरी हो जायगी ऐसा मुझे विश्वास है। मगर जिस तरह से सहकारी आन्दोलन प्रगति कर रहा है उसको राज्य सरकार भी बहुत पैसों से मदद भी कर रही है जिसका प्रमाण यह है कि पहले इसके लिये चार करोड़ रुपया रखा गया था आगामी वर्ष के लिये सात करोड़ रुपया रक्खा गया है। ऐसी सूरत में यह निश्चित है कि राज्य का प्रत्येक गांव आज नहीं तो दो साल बाद या तीन साल बाद सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत आ जायगा और जिस तेजी के साथ राज्य सरकार रुपया उधार दे रही है। यदि उनका हिसाब किताब ठीक तरह से न रखा गया और समय पर ऑडिट नहीं किया गया तो बड़ी बड़बड़ी होने की आशंका है। वैसे तो सहकारी विभाग के हर जिले के अन्दर एक या दो ऑडिट इन्स्पेक्टर्स रहते हैं। वे गांवों में जाकर सहकारी समितियों के हिसाब की देखभाल करते हैं मगर ऑडिट इन्स्पेक्टर्स की संख्या इतनी कम है कि प्रत्येक तहसील के अन्दर जहां ५० ६० सहकारी समितियां होती है, उनका पूरी

(श्री सम्पतराज जैन)

तरह से ऑडिट करना मुश्किल है। इसी कारण समय पर उनका ऑडिट भी नहीं होता, देखरेख भी नहीं होती। इससे दो तरह की खराबियां पैदा होती हैं एक तो जो सरकार द्वारा पैसा दिया जायगा वह चेयरमैन जो होगा या तो उसको दिया जाता है या सरपंच को दिया जाता है। अगर ये दोनों आदमी ईमानदार होंगे तो वह पैसा पूरी तरह से सदस्यों में बंट सकेगा, लेकिन ऐसी भी नजीरें हैं जैसे असनावर की एक लार्ज स्केल सोसाइटी बनाई गई है।

इसके हिसाब का समय पर ऑडिट नहीं हुआ। इसके कारण पांच छः हजार का घोटाला हुआ। रुपया लेकर जिनके जिम्मे काम था वे बहक गये। इन्सपेक्टर वगैरह ने मिल कर खा लिया। जब सारा मामला सामने आया व एक एक मेम्बर को बुलाकर पूछा गया तो मालूम हुआ कि इतना घोटाला इस तरह से हुआ है। तो जिस तेजी के साथ आप इस सहकारिता को प्रान्त में बढ़ाना चाहते हैं उस तेजी से इसके ऑडिट वगैरह की व्यवस्था नहीं की तो इसमें आगे चलकर बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। सरकार का काफी रुपया इसमें लगता है और वह इस तरह चला जावेगा इसलिए मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक तहसील में एक एक ऑडिटर की व्यवस्था अवश्य की जाय।

४. म० प०

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि जिला और तहसील स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की काफी कमी है उसे बढ़ाया जाय। इस के लिये मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

यह सही है कि इसमें सरकार का दखल कम होना चाहिये। पर अभी जहां हम सहकारिता का विस्तार करना चाहते हैं वहां देहातों में जनता अभी अशिक्षित अधिक है, यह जरूर है कि राज्य सरकार तेजी से शिक्षा का भी प्रसार कर रही है लेकिन अभी किसान वर्ग जल्दी से शिक्षित नहीं किया जा सकेगा तो ऐसी स्थिति में अगर वहां काफी संख्या में आपके इन्सपेक्टर्स सब इन्सपेक्टर्स और ग्रूप सेक्रेटरी वगैरह नहीं अधिक हुए तो वहां इसकी प्रगति तेज नहीं हो सकेगी। इससे न आन्दोलन तेजी से बढ़ सकेगा और न हिसाब ही ठीक तरह से रखा जा सकेगा। देहातों में हिसाब किताब के जानने वाले लोग नहीं मिलते। वहां चेयरमैन और ऑफिस बियरर सोसाइटियों के अधिकतर सरपंच और पंच वगैरह होते हैं जो पढ़े-लिखे नहीं होते। तो इस लिये मैंने निवेदन किया है कि इस तरह के अधिकारियों की और कर्मचारियों की व्यवस्था जिला और तहसील में होनी चाहिये।

पहले पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस महीनों तक सोसाइटियां रजिस्टर्ड नहीं होती थीं, पर अब झालावाड़ जिले में असिस्टेन्ट सहकारी रजिस्ट्रार का दफ्तर खुल गया है। इसलिये इसमें तो उन्नति हुई है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्रूप सेक्रेटरी अभी तक सरकारी मुलाजिम नहीं माना गया है। इसके कारण बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। असल में देखा जावे तो सारा पैरा उसके हाथ से वितरित होता है, तो वे गड़बड़ी कर सकते हैं अगर उनको ठीक वेतन नहीं मिला, और उनको ठीक तरह से सरकारी कर्मचारियों में नहीं गिना गया। ऐसी

(श्री सम्पतराज जैन)

गड़बड़ियां हमारे सामने आई भी हैं। हां जब जनता स्वयं शिक्षित हो जावे तब आप इन को न भी रखें तो काम चल सकेगा। पर अभी तो सरकारी कर्मचारियों को रखना नितान्त आवश्यक है।

यह सही है कि किन्हीं तहसीलों में इसकी प्रगति तेज़ है, किन्हीं में धीमी है और इसका कारण इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर आदि की कमी और बाहुल्यता ही रही है। जहां कम है वहां भी आवश्यक कर्मचारी पहुंच जावेंगे तो प्रगति वहां भी तेज़ हो जावेगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में भी कर्मचारियों की कमी के कारण ठीक तरह से तरक्की नहीं हो रही है। दो दो ढ़ाई ढ़ाई रुपया सैंकड़े का ब्याज लोग दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सहकारी विभाग के कर्मचारी वहां तक पहुंच जावेंगे तो निश्चित तौर पर वहां इसका अच्छा प्रसार हो सकेगा।

इसके अलावा मैं और निवेदन करना चाहता हूँ कि तहसील वाइज़ कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं भी खुलनी चाहिये। आज दूर से लोगों को ज़िला हैड क्वाटर्स पर जाना पड़ता है और उसमें उनको बड़ी दिक्कत पड़ती है। दिक्कत यहां तक होती है कि रुपया पैसा इकट्ठा हो जाता है तब भी पड़ा रह जाता है और ब्याज का नुकसान होता है। कलेक्टर ने इस बात को मन्जूर भी कर लिया था पर मैनेजर कहते हैं कि हमें वहां शाखाएं खोलने में नुकसान होता है। मैं निवेदन करूंगा कि सहकारी आन्दोलन में इस तरह के घाटे को नहीं देखना चाहिये। मैं यह भी नहीं कहता कि ऐसा घाटा भी उठाना चाहिये जिस से सारी पूंजी ही खत्म हो जावे। पर प्रबन्ध में सौ पचास रुपया मासिक अगर अधिक भी खर्च पड़ता हो तो उसके लिये पीछे नहीं हटना चाहिये, वह नुकसान तो आगे जाकर ठीक हो जावेगा। तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट बैंक की शाखाएं सब तहसीलों में कायम की जावें।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी कटौती के प्रस्ताव सदन मन्जूर करेगा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : इस मांग संख्या २० पर मेरे ३ कटौती प्रस्ताव हैं मैं उन तीनों को एक साथ मूव करता हूं।

सहकारिता को महत्वपूर्ण अंग सरकार ने माना है और वह हर क्षेत्र में सहकारिता को पनपाना चाहता है और इसके लिये काफी प्रयत्न सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन जितना विकास हम करना चाह रहे हैं उसका ठीक तरह से नियन्त्रण नहीं कर पा रहे हैं। हर ज़िले में और हर हिस्से में इसकी शिकायत रही है। हर सदस्य ने अपने यहां की इसी तरह की शिकायतें रक्खी हैं, कहीं रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं करते, उसमें रोड़े अटकाते हैं, देरी करते हैं, पैसा समय पर नहीं मिलता, तो अपने अपने अनुभवों के आधार पर सभी सदस्यों ने इस तरह से अपने अपने ज़िले की दिक्कतें रक्खी हैं। तो इनमें बहुत सच्चाई है। आज कोऑपरेटिव की सरकार की मशीन ठीक ढंग से, लगन से और मशीनरी स्पिरिट से काम नहीं कर रही है। झुंझुनूं-सीकर में एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार रक्खा है। इसके लिये वहां का सारा काम संभालना, दो दो ज़िलों का काम संभालना मुश्किल है। बारह महीनों से कई सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन

(श्री शिवनाथसिंह)

मन्जूर होने के लिये पड़ा है, किन्हीं का हो गया है तो रुपया नहीं मिला है और वह सिर्फ इस वज़ह से कि ठीक ढंग से कागज़ों की तामील नहीं होती। आश्चर्य होता है तब जब कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफी स्टाफ होने के बावजूद कागज़ों को चार चार और पांच पांच बार करेक्शन के लिये और छोटी मोटी बातों के लिये चक्कर देते हैं। और इनके ऐतराज जिस तरह के होते हैं उनको अगर किसी भी साधारण आदमी के सामने रक्खे जावें तो हंसी आये बिना नहीं कर सकती। एक सोसायटी है पहले उसमें सदस्य संख्या ४३ थी और वह बढ़ा दी गई और मेम्बर बढ़े तो संख्या ७८ हो गई। तो नीचे से असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर ने कागज़ भेजे तो उसमें ७८ की जगह ७६ सदस्य लिखे गए। तो जब यह केस असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आया तो वहां का क्लर्क ऑब्जेक्शन करता है कि इसमें ७८ सदस्य हैं और इस में ७६ रखे गये हैं, इसको तो इन्स्पेक्टर ही सही करेगा तो उसके आने में तीन महीने लग गये। फिर यह सुधार असिस्टेन्ट राजिस्ट्रार के कार्यालय में हो सकता था, पर वह नहीं हुआ। यह सब चीजें ऐसी हैं कि प्रोपर सुपरवीज़न नहीं होने का कारण हैं। वहां के जो अधिकारी हैं उनको इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्यों कि वह इतना बड़ा एरिया है और वहां सोसाइटीज़ के इतने नम्बर हैं कि उसको देखते हुए सुपरवीज़न हो सकेगा, यह मुश्किल है। इसलिए मेरा अर्ज करना यह है कि झुंझनू में एक अलग सहायक रजिस्ट्रार का ऑफिस खोल दिया जाये, ताकि सोसाइटीज़ का प्रबन्ध भी ठीक तरह से चलता रहे और सोसाइटीज़ को लोन वगैरह मिलने में दिक्कत न हो। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी लोन एप्लीकेशन्स छः छः महीने से तय नहीं हुई हैं। उसका एक कारण यह भी है कि लोन का जो अमॉउन्ट है वह कम है, इसलिए राज्य सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि हम सोसाइटीज़ के बारे में यह चाहते हैं कि वह अच्छी तरह से काम करें तो उनके लोन के लिए सुव्यवस्था करनी होगी तभी वह ठीक तरह से कार्य कर सकेंगी, वरना नहीं।

दूसरा कटमोशन है व सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए है। मैं तीनों ही कटमोशन्स को एक साथ ले रहा हूँ। हमारे ज़िले के कलेक्टर ने कई दफा रजिस्ट्रार को और अन्य भी उच्च अधिकारियों को लिखा है कि यदि इस प्रकार का आपके डिपार्टमेंट का सहयोग रहा तो मैं अपने ज़िले में कोऑपरेटिव आन्दोलन जो आप चलाना चाहते हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। उसके बाद भी यहां से कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस विभाग के माननीय उपमंत्री जी वहां पर पधारे उनके सामने भी इस प्रकार की शिकायतें कीं कि इस महकमे का कोऑपरेशन जितना होना चाहिए वह उतना नहीं है। झुंझनू में ४ ब्लॉक्स हैं उनकी हर महीने मीटिंग होती है तो मैं माननीय सभापति महोदय, दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी मीटिंग में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नहीं पधारे। हो सकता है कि उनके पास काम अधिक हो, लेकिन, हमारा वाला ब्लॉक ऐसा है कि जिसमें असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार साहब कभी नहीं पधारे और मेरा ऐसा ख्याल है कि और भी तीन ब्लॉक्स का यही हाल हो सकता है।

(श्री शिवनाथसिंह)

वहां पर इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया कि कोई न कोई तो डिपार्टमेंट का आदमी आये ताकि हम अपनी दिक्कतों को उनके सामने रख सकें। लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला।

इसी तरह से मेरा तीसरा प्रस्ताव है सहायता के बारे में। हम आज तीन तरह की सोसाइटीज़ बना रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी जिनमें सरकार की तरफ से एक मैनेजर दिया जाता है, दूसरी बीच की जहां कि सरकार सब्सिडी देती हैं और तीसरी समितियां बहुत छोटी हैं जहां कि मैनेजमेन्ट के हिसाब से कोई भी हैल्प नहीं देती है। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि जो छोटी सोसाइटीज़ हैं उनका ठीक ढंग से इंतज़ाम हो उनका प्रोपर तरीके से अकॉउन्ट रखा जाये, इसके लिए भी सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका इंतजाम ठीक तरह से हो और अकॉउन्ट प्रोपर मैन्टेन किया जा सके। फुल पेपर नहीं तो कुछ ट्रेन्ड पर्सोनल दें ताकि वह ठीक ढंग से अपना अकॉउन्ट रखें। इसलिए मैंने तीनों प्रस्ताव, सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रखे हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। यदि कम्पलीट चेंज वह नहीं करना चाहें तो इस डिपार्टमेन्ट का ओवर-हालिंग तो जरूर कर लें जिससे जनता की भावना की कद्र करते हुए यह जो सहकारी आन्दोलन है वह आगे बढ़ सके।

श्री सभापति : श्री भैवरलाल 'कालाबादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा मु.) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ४२ पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है और इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि सहकारी विभाग द्वारा सहकारी समितियों का ठीक प्रबन्ध नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, वैसे देखा जाये तो सहकारिता बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे देश में यह प्रथा आज से ही नहीं बल्कि पहले से ही है। सहकारिता की भावना हमारे देश में विद्यमान है लेकिन बीच के दिनों में सहकारिता में इतनी कमज़ोरी आ गई कि आज जो भी हमारी सरकार नई नई योजनायें प्रचलित करना चाहती है उन योजनाओं के बारे में गांवों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि विभागों की ओर से सही तरीके से उन योजनाओं को चलाने की ओर कम ध्यान है। पहली बात तो यह है कि इन योजनाओं के बनाने वालों में सहकारिता की भावना है तो यह गांवों में भी अच्छे ढंग से पनप सकती है। सहकारिता का मतलब तो मैं यह समझता हूं कि सहयोग दिया जाये, मदद की जाये और उनकी मदद की जाये जो मदद के योग्य हैं। आज मदद और सहयोग उनको मिलता है जिनको सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आज गरीबों के नाम पर जितनी भी सहकारी समितियां बनाई जाती हैं उनमें गरीब नहीं होते हैं, उनमें दूसरे साधन सम्पन्न लोग होते हैं और वह दूसरों के नाम पर सहकारी समितियां बनाकर लाभ उठा रहे हैं। आज की सरकार में कई जगह सोसाइटीज़ हैं और इस विभाग वाले गांवों में जाना इसलिए पसन्द नहीं करते हैं कि गांवों में यदि वह जाते हैं तो उनको गांवों तक पहुंचने में पैदल चलना पड़ेगा, वहां पर सवारी का कोई

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

साधन नहीं है। इसलिए जितने भी विभाग के अधिकारी हैं या तो वह बैठे टाले अपने मित्रों से बातचीत किया करते हैं और उनको कहते हैं कि सहकारी सोसाइटीज़ बनाकर आज की प्रजातंत्र सरकार से लाभ उठाओ। तो सोसाइटीज़ की जो योजनायें हैं हमारी सहकारिता की जो भावना है वह सही तरीके से जिन लोगों के पास उनका फायदा पहुंचना चाहिए उन लोगों के पास नहीं पहुंचकर या तो अधिकारियों के मित्रों के पास पहुंचती है या फिर उनके सगे सम्बन्धियों के पास पहुंचती है और वह बराबर लाभ उठा रहे हैं। इस तरह से जितनी भी ऋण देने की व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि उनसे गरीबों को ऋण नहीं मिल पाया है। ऋण मिलता है बड़े बड़े आदमियों को जिनके पास कई धंधे हैं। आज कई तरह की स्कीमें हैं, इन योजनाओं को देखकर लोग जो गरीब हैं उनको परेशानी है। उन लोगों की भावना योजनाओं के प्रति गलत बनती जा रही है और जब उनकी भावना गलत बन जायेगी तो उनमें असन्तोष बढ़ जायेगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार के द्वारा चलाई हुई योजनायें इस प्रकार की नीति से सफल नहीं हो सकेंगी। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को बताऊं कि बूंदी में एक सोसाइटी बनाई गई और यह वहां के आदिवासियों के नाम पर एक संगठन बनाया गया, मगर उस संगठन को चलाने वाले या तो ब्राह्मण हैं या फिर महाजन हैं याने दूसरे ही दूसरे लोग हैं। आदिवासी लोग उस सोसाइटी में हैं हीं नहीं। आज जो फायदा उठा रहे हैं वह दूसरों के नाम पर आदिवासी बन जाते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सी सोसाइटी है ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : एक आदिवासी मण्डल बूंदी में है जिसको जंगल का ठेका दिया गया। उस सोसाइटी में आदिवासी कौम का कोई भी सदस्य नहीं होगा और अगर होगा तो भी एक दो ले लिया होगा दिखावटी तौर पर।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जानकारी और कर लीजिए उसमें सब आदिवासी हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : माननीय सभापति महोदय, अगर यह सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं तो सरकार को चाहिए कि सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन मिले। इसके लिए जगह जगह ट्रेनिंग स्कूल्स चलाये जायें। मगर मुझे यह भी डर है कि अगर सरकार ट्रेनिंग स्कूल्स चलायेंगी तो उन लोगों को भी भर्ती करेंगी जिनके कि संस्कारों में भी सहयोग की भावनायें नहीं हैं या वह सहयोग करना नहीं जानते, मदद करना नहीं जानते। मैं समझता हूं कि जो अपने स्वयं की मदद नहीं कर सकते और अपने कपड़े तक दूसरों से धुलाना चाहते हैं वह सहयोग दूसरों को नहीं दे सकेंगे। आज देखा जाता है कि लोग हर एक मेम्बरों के दरवाजे पर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि सहयोग का मतलब है मदद करना, साधनहीनों की मदद करना। मैं तो सहयोग का मतलब यह समझ पाया हूं। देखा जाता है कि लोग प्रतिनिधियों के दरवाजों पर घूमते हैं और यह कहते हैं कि हमारा सहयोग दो, फलां मिनिस्टर से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हमें नौकरी मिल जाये। इस प्रकार का सहयोग हम मांगते हैं। अगर मिनिस्टरों को उनका सहयोग कर दिया

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

जाये तो यह सहकारिता की योजनायें चलेंगी और गांवों में यह पनपेंगी। योजनायें बहुत सुन्दर हैं, परन्तु सहयोग नहीं है। आज हमारे देश में सहयोग की भावना नहीं है। इसलिए, हर एक योजना में घोटाला होता है, हर एक योजना में गबन होता है। इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि सहकारिता की भावना को देश में प्रोत्साहन दिया जाये और पक्षपात की नीति से सहकारिता नहीं चलाई जाये। आज हमें यह भी सुनने को मिलता है कि कई जगह सहकारी समिति बनाने का प्रयत्न करते हैं, मैंने खुद ने एक सोसाइटी बनाने का प्रयत्न किया था, मगर उन अधिकारियों के पास इस प्रकार के संकेत हैं कि काला बादल विरोध करने वालों में शामिल है। इसलिए इसके द्वारा बनाई हुई सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिये। यह भावना गांव में अधिकारियों के दिमाग में होगी कि हमारे मिलने जुलने वालों की सहकारी समितियों को जल्दी लोन मिले, जल्दी कर्ज़ा मिले, तब तो सहकारी समितियां पनप नहीं सकेंगी। इसीलिये तो माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा, इस कट मोशन के द्वारा यह बताना चाहूंगा कि सहकारिता की भावना गांवों में फैलाना चाहिये और सही तरीके से फैलाना चाहिये। पक्षपात की नीति कहीं होती हो उसको खत्म कर देना चाहिये। और अधिकारियों को सख्त ऑर्डर देना चाहिये कि गांवों में पहुंच कर गरीबों की सोसाइटी बनायें और नाजायज़ लाभ उठाने वालों को सोसाइटी में शामिल नहीं किया जाय। इस तरह से यदि सहकारिता चलेगी तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की बड़ी उन्नति होगी।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे देश का भावी आर्थिक और सामाजिक ढांचा सहकारिता के आधार पर आश्रित होगा, इसे हमारे देश की बहुसंख्यक जनता ने मान लिया है। हां, यह सत्य है कि जब से नागपुर अधिवेशन ने यह प्रस्ताव पेश किया है, तब से कुछ विशेष स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों ने इसके बारे में जरूर टीका टिप्पणी की है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा उन महानुभावों से कि यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें, अपनी प्राचीन परम्पराओं को देखें, सारी चीज़ को देखें तो मालूम होगा कि यह हमारे लिये कोई नई चीज़ नहीं है। सहकारिता की भावना हमारे यहां पुराने ज़माने से विद्यमान थी। माननीय सभापति, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे यहां, ग्रामों के अन्दर कई जगह कुएं बने हुए हैं, कई जगह तालाब बने हुए हैं, कई जगह हमारे इधर के क्षेत्र में कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका क्रियाकर्म किया जाता है तो आसपास के लोग घी, नाज वगैरह लाकर उसके कार्य को चलाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता की भावना हमारे यहां पुराने ज़माने से मौजूद है। हम कोई नई चीज़ करने वाले नहीं हैं। यह बात ज़रूर है कि कृषि सहकारी संस्था काफी वाद विवाद पकड़ चुकी है। कभी कम्युनिज्म की बात की जाती है तो कभी कलेक्टीवाइज़ेशन की, कभी गड़बड़ी भारत में हो जाय उसके बारे में बातें कही जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसके बारे में यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे में बहुत बड़े बड़े धनवान बैठे हुए हैं, काफी ज़मीन वाले हैं और दूसरी तरफ गरीब

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हैं। हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं। एक तरफ खाद्य की कमी है तो दूसरी तरफ भूमि की कमी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि सहकारिता के जो सिद्धांत हैं जो कि प्राचीन और अर्वाचीन काल से हमारे देश के अन्दर चले आ रहे थे उन्हें नई भावना के साथ पुनर्जीवित करें। माननीय सभापति महोदय, यह ठीक है कि इससे कुछ स्वार्थों को ज़रूर धक्का लगने वाला है। लेकिन इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ज़ोर ज़बरदस्ती होने वाली नहीं है। जो कुछ होगा वह आपस के मेलजोल से होने वाला है। हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने यह भी निश्चय कर लिया है, निर्णय कर लिया है जैसा कि मैंने बताया है कि केवल अभी तो वे सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ के रूप में काम करने वाले हैं। आज कलेक्टिवाइजेशन कम्युनिज्म और सारी चीज़ों को बताया जाता है कि वह निरर्थक हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश किसी वाद या इज्म के अन्दर पड़ने वाला नहीं है। कोई चीज़ दूसरी जगह अच्छी है तो, मेरे ख्याल से उसको अपनाने में शंका नहीं होनी चाहिये। उसको पूरे जोर से देश के वातावरण और भूमि की स्थिति को देखते हुए अपनायें तो मेरे ख्याल से ठीक होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कट मोशन के बारे में, यह तो ठीक है कि हमारे देश में सहकारिता की भावना, आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्त को लेकर अपनाया है, लेकिन इसके साथ ही हमने उसके लिए पुरज़ोर, ग्राउन्ड पैदा नहीं किया तो मैं निश्चित तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भावना को लेकर, उन्माद को लेकर देश आगे बढ़ना चाहता है, तो वह निश्चित तौर से फैल होने वाला है। कई माननीय सदस्यों ने जो विचारधाराएं व्यक्त की हैं उनसे मेरी सहानुभूति है। एक तरफ देश में बेपढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है। जब तक पढ़ाई की तरफ तवज्जह नहीं दी जाय, वह भावना जागृत नहीं की जाय, जब तक वे सुविधाएं पैदा नहीं की जायं तब तक सहकारिता आन्दोलन सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि हम ग्रामों में देखते हैं जहां कि सहकारी समिति खोली गई है तो उनमें ज्यादातर मेम्बर निरक्षर होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं दो चार जो कि आगे आते हैं, जिन्हें हम चतुर आदमी कह सकते हैं और आगे आकर सहकारी समिति बनाते हैं। भोलेभाले काश्तकारों को उसके लिए आगे लाते हैं और समिति का निर्माण करते हैं। लेकिन आगे जाकर दिक्कत क्या आती है जो बुकलेट हमें दी गई है उसमें हमने देखा है कि ५१ के बाद में सहकारी समितियों में चौगुनी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से हमारे सारे प्रदेश की २० प्रतिशत जनता इस सहकारी आन्दोलन के अन्दर आगई है। इस प्रकार २॥ करोड़ रुपया कर्ज़ के रूप में दिया गया है। यह सब ठीक है। मैं, सभापति महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। संख्या कितनी ही हो। क्वालिटी जो होनी चाहिए वह काफी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जैसा कि मेरा पहला निवेदन है कि कुछ ऐसे लोग जो चतुर हैं, वे आगे आते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि सरकार से लोन

Page No.98

(श्री सोहनलाल भटनागर)

ले लिया और कर्ज़ा लेने के बाद में जो बुकलेट हमें दी गई, उसमें हमें यह नहीं बताया गया कि इतनी सहकारी समितियों का निर्माण हुआ है और उसमें से इतनी डिफन्ट हो जाती हैं। मगर ५० पर्सेन्ट से ज्यादा सहकारी समितियां डिफन्ट हो जाती हैं, और इसके साथ में मेरे ख्याल से इसमें यह नहीं दिखाया गया है। लेकिन ६० प्रतिशत समितियों में गबन और घोटाले मौजूद हैं। इसका कारण यह नहीं है कि सरकार इनकी ओर कोई खास कदम नहीं उठा रही है। मैं इसके बारे में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सदस्य हिसाब किताब को जानते है, जो चतुर व्यक्ति है, जिन्होंने आगे आकर सहकारी समिति का निर्माण किया है, वे ही गड़बड़ घोटाला करते हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं अपने कट मोशन के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उसके बारे में सरकार सक्रिय कदम उठाये। एक तरफ तो यह धारणा है और देश में व्यक्त भी की जा रही है कि ऐसी समितियों और पंचायतों को खुली छूट दी जाय, गलती करें तो भी गलती करने दी जाय, अगर गिरें भी तो गिरने दिया जाय, ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं भी यह ठीक समझता हूं कि उनके रोज़मर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्हें खुली छूट दी जाय कार्य करने की, लेकिन इसके साथ ही खुली छूट देने का मतलब यह नहीं है कि बहुसंख्यक सदस्यों के हितों पर कुठाराघात किया जाय और जिस पर्पज़ को लेकर सहकारी समितियों का निर्माण किया गया है, उस पर्पज़ को समाप्त किया जाय और जल्दी ही समिति को डिफन्ट कर दिया जाय। कई ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां सहकारी समितियों का निर्माण किया गया। लेकिन सुपरीवजन ठीक नहीं होने से गड़गड़ घोटाला हुआ और इस कारण से सहकारिता आन्दोलन, जो देश व्यापी आन्दोलन होने वाला है उसको प्रोत्साहन नहीं मिला है। मेरे क्षेत्र में आज से १०,१२ वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ी समिति का निर्माण हुआ लेकिन उसमें घोटाला होने से वहां पर निराशा फैली। मुझे भी दुःख है कि आज इतनी गड़बड़ हो रही है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों के दिलों में प्रतिक्रिया है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से खास करके इस बात के लिये कि जो सहकारी समितियों पर सुपर-वीजन या कंट्रोल है उसको स्ट्रिक्ट किया जाय ताकि बेपढ़े लोगों के साथ अन्याय न हो।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : सभापति महोदय...

श्री सभापति : अब समय हो चुका है साढ़े चार बज चुके हैं, अब मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : इनका नाम कॉल किया गया था, तब ये मौजूद नहीं थे काफी कट मोशन्स हैं मुझे भी सब का जवाब देना है मैं आधे घंटे में मुश्किल से जवाब दे पाऊंगा।

श्री सभापति : एक सदस्य रह गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे सदन में मौजूद नहीं थे। इतने कम समय में मैं सब का उत्तर आसानी से नहीं दे पाऊंगा।

Page No.99

श्री सभापति : यदि आप ५ मिनिट दे सकें, तो इनका ही कट मोशन रह गया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जब कि चेयर मैन की इज़ाजत हो चुकी है, तो इनको बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : मैंने कोई इज़ाजत नहीं दी। मेरे आने से पहले दी। पहले दी हो तो पता नहीं।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : सभापति महोदय, मेरा एक कट मोशन यह है कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता; सहकारी समितियों में होने वाली गड़बड़ियों पर वादविवाद हेतु १००) रू० की कटौती की जाय। सभापति महोदय, हम जिस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस वक्त हममें एक भावना उत्पन्न हुई और वह एक आर्थिक प्रगति की भावना पैदा हुई, उसको लेकर हमने स्वतंत्रता प्राप्ति संग्राम लड़ा और उसमें सफल हुए। उसके पश्चात आर्थिक प्रगति के लिये हमने कई प्रकार की योजनाएं बनाई, उनमें एक सहकारिता भी आती है। सभापति महोदय, इसके उपरान्त अब तक हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं उनके बारे में हमें देखना होगा कि क्या हमारी योजनाएं सफल हुई हैं हमने समाज कल्याण की योजनाएं बनाई, विकास योजनाएं बनाई और अन्य कई प्रकार की योजनाएं बनाई। लेकिन सभापति महोदय, जिस उद्देश्य को लेकर हमने योजनाएं बनाई थीं, जिन गरीबों की आर्थिक प्रगति को लेकर योजनाएं प्रसारित की थीं, वास्तव में हम उस उद्देश्य तक सफल नहीं हुए। अब हमारे सामने कई तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के समय जब हम मंत्री महोदय से प्रश्न पूछते हैं तो उनका सही रूप से उत्तर नहीं दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग में कई प्रकार का घोटाला है जब कि हमने केवल इस उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग खोला था कि गरीबों तक पैसा जावे और वे अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें। लेकिन सभापति महोदय, मैं देखता हूँ कि वास्तव में जैसा कि मेरे पूर्व साथी ने कहा था कि कुछ स्वार्थी व्यक्ति, बिचोलिये इस तरह से बीच में आये जिन्होंने बीच में आकर जिस लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार आर्थिक प्रगति आरम्भ करना चाहती थी, वह नहीं हो पाई। जिस तरह हम पिछली योजना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकें और आगे इस तरह तेजी से दौड़ लगावें जिससे पहले की योजनाएं चाहे सफल न हों और आगे बढ़ते जावें तो लाभ नहीं मिल सकता। इसलिये सभापति महोदय, यह सोचना पड़ेगा कि हम जिस योजना को प्रसारित करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिली है तो हमें दौड़ कम करनी चाहिये। एक जगह माननीय नेहरूजी का उपदेश सुनने में आया था उन्होंने एक जगह कहा है कि हम किसी काम को इतनी जल्दी और इस ढंग से न करें जिससे खतरा हो जाय। सभापति महोदय, उन्होंने यह कहा है कि ज्यादा तेजी से काम करने में आर्थिक ढांचा बिगड़ सकता है इसलिये कार्यक्रम धीमी चाल से रखना चाहिये। सभापति महोदय, इस पर विचार करें तो वास्तव में सच्चा सुझाव है उसको मानना चाहिये। अब मैं कट मोशन पर विचार प्रकट करूंगा। हमारे यहां मेरे क्षेत्र में जो सहकारिता....

श्री सभापति : अब आपके लिये १ मिनिट का समय और है।

Page No.100

श्री शिवचरणदास : मुझे थोड़ा समय और दिया जाय।

श्री सभापति : मंत्री महोदय को जवाब देना है।

श्री शिवचरणदास : (जारी) जो अवस्था बताई गई है वही हालत हमारे विकास कार्यों की है और वही हालत आज हमारे यहां सहकारिता की है। आज जितने सदस्य सहकारिता में हैं, वे सब सरकार और निर्धन नागरिकों के बीच में ऐसे बिचोलिये बन जाते हैं, जिसके कारण जिस लक्ष्य से हम सहकारिता को चलाना चाहते हैं वे असली रूप में काम में नहीं आ सकती। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक नैतिक स्तर ऊंचा नहीं करलें तब तक इस तरह की सहकारिता खाली भाषण और उद्देश्य को लेकर कागज़ी घोड़ा दौड़ाना है तो हम इसमें असफल रहेंगे। मुझे कुछ अपने क्षेत्र की बातें, सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन के सामने रखनी हैं। आसिन्द का जिक्र एक भाषण में आया था। आसिन्द के माननीय सदस्य ने एक गोलमाल जवाब दिया था। वहां पर एक शंकरदेव भारथी कर्मठ कांग्रेसी है। उन्होंने वहां पर बिना किसी स्वीकृति के और बिना किसी आदेश के सहकारिता के नाम पर ऐसी जमीन दबा ली जिसके लिये न तो मंजूरी हुई है और उस पर नाजायज़ कब्जा करके ४००,५०० बीघा जमीन अपने कब्जे में करली। उनको सरकार से लोन मिल गया और ट्रेक्टर ले लिया। जब यह प्रश्न आया तो सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। इस तरह की ज्यादतियां हो जाती हैं तो उस तरह की सहकारिता से कोई लाभ नहीं होने वाला है

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

यही नहीं, उन्हीं महाशय की एक और बात माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने सहकारिता के नाम पर गरीबों पर क्या क्या अत्याचार किये हैं? आसीन्द के रेगरों से चमड़े के कारखाने के नाम से १० हज़ार रुपये इकट्ठे किये और जब मामला मंत्री महोदय के सामने लाते हैं तो वे उसे टाल देते हैं, जांच नहीं कराना चाहते और दौड़ तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले काम को सुधार कर आगे बढ़ाना चाहिये....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं २ मिनिट और निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : आपने एक मिनिट और अधिक ले लिया है।

श्री शिवचरणदास : मैं निवेदन करूंगा कि मुझे ५ मिनिट और दिये जांय।

श्री सभापति : आपका वक्त खत्म हो गया है, आप बंद करिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री, सहकारिता विभाग) : माननीय चेयरमैन महोदय, सहकारिता के बारे में जो मांग मैंने इस सदन के समक्ष रखी, उस पर इस सदन के करीब १५, २० माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव द्वारा बहस में हिस्सा लिया। माननीय चेयरमैन महोदय, इस बात की बड़ी खुशी है कि आज देश का सब से बड़ा विषय जो बना हुआ है- वह हमारी सहकारिता की निति है। इस बारे में सदन के सामने यह मांग इस साल जो प्रस्तुत की गई और सदन के माननीय सदस्यों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ने इसमें बड़ी दिलचस्पी लेकर जो कटौती प्रस्ताव सामने लाकर जो बहस की उसको मैंने बड़े गौर से सुना। सभापति महोदय, जो सदन के समक्ष कटोटी प्रस्ताव आये और जिन जिन माननीय सदस्योंने इन प्रस्तावों को लाकर इस विभाग और इस सहकारिता के बारे में चर्चाएं की, उनका अलग अलग उत्तर नहीं दे सकूंगा क्योंकि समय मेरे लिये थोड़ा छोड़ा गया है। कुछ खास तौर की नीतियां हैं, जिन नीतियों की चर्चा कुछ माननीय सदस्यों ने की हैं, उनके बारे में कुछ पहले कहना चाहूंगा।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि हमारी रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट तैयार हुई थी और उस रिपोर्ट में, सहकारी समितियां किस प्रकार हमारे देश में बनें, उसके बारे में कुछ ज़िक्र था और वह यह था कि हमारे देश में लार्ज साइज़ सोसाइटी बननी चाहिए। उस बारे में जो कुछ रद्दो बदल हम इस देश में नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल के रिज़ोल्युशन के आधार पर करना चाहते हैं, उस पर भी टिप्पणी की और यह कहा गया कि लार्ज साइज़ सोसाइटी बनाने की बात थी, वह ज्यादा ठीक बात थी और लार्ज साइज़ सोसाइटी की जगह अब हम स्माल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, लोगों को अच्छा फायदा लार्ज साइज़ सोसाइटीज़ के जरिये जो मिल सकता था वह इन सोसाइटीज़ के जरिये नहीं मिल सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा कि सहकारिता को हमने देश में समाजवाद की आधारभूत शिला माना है। हम हमारे प्रान्त में सहकारिता के जरिये केवल आर्थिक परिवर्तन ही नहीं करना चाहते हैं, जिसे कि देश के दूसरे लोगों ने अपनाया है, बल्कि इसके पीछे एक भावना है, वह भावना बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको इस देश में हमेशा से हमने माना है, उसे स्वीकार किया है, अब हम उसको पनपाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। आर्थिक फायदे और आर्थिक तरक्की देश की हो यह दूसरा बड़ा दृष्टिकोण और उस तरक्की को करने के लिए हमने योजनाओं का निर्माण किया है और उन योजनाओं को सहकारिता के जरिये ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं। परन्तु हमारे सामने एक दूसरा दृष्टिकोण हैं, जो कि मिल-जुल कर काम करने का है और देश के अन्दर जो बड़ी बुनियाद है, जो परम्परायें रहीं हैं, उसको हम मिटाना नहीं चाहते, उनको बनाये रखना चाहते हैं। देश में लोग मिल–जुल कर काम करें, तो मिल–जुल कर आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता की भावना एक ज़रूरी चीज़ है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, लार्ज साइज़ सोसाइटीज, जो कुछ इलाकों में बनी हैं, उनका क्षेत्र करीब ३०. ३२ मील जाकर पड़ता है, उनके मेम्बर्स की संख्या करीब १५००, २००० के बीच में जाकर पड़ती है। ऐसी सहकारी समितियों के निर्माण होने से, यह बात रही है कि शेअर केपीटल ज्यादा होती है, लोन्स भी ज्यादा मिल सकते हैं, उसके ज़रिये काम को आगे बढ़ाने की भी बात है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और दूसरे धन्धों के लिए भी पैसा दिया जाता है, ऐसी सहकारी समितियों को सरकार भी शेअर केपीटल देती है और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वे समितियां छोटी मोटी बैंकिंग इन्स्टिट्यूशन्स जरूर बन जाती है, उसके जरिये मेम्बर्स को फायदा भी ज्यादा मिलता है परन्तु हमारी असल भावना यह कि सहकारिता के जरिये मेम्बर्स एक दूसरे के नज़दीक आयें, एक दूसरे के ज्यादा सम्पर्क में आयें, उनके मस्तिष्क और दिल व दिमाग में एक नज़दीकीपन हो, वह लार्ज साइज़ सोसाइटीज़ से खत्म हो जाता है । यह चीज बनाये रखना ज़रूरी है। जो एक सहकारी समिति के मेम्बर्स हों, वे एक दूसरे के इतने सम्पर्क में आयें, एक दूसरे को बहुत आसानी से जानते हों, थोड़ा नज़दीक समझते हों, जिस प्रकार भाई भाई घर में रखते हैं और काम करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण भावना है । इस वज़ह से लार्ज साइज़ सोसाइटीज़ को इस लेवल पर रखना पसन्द हम करेंगे कि सहकारी सोसाइटीज़ का आकार इतना बड़ा हो सकता है कि जिसमें दो गांव हों, तीन गांव हों, जिसका रेडियस १५, २० मील का न होकर चार पांच मील का हो, वहां लोग मिल कर एक सहकारी समिति का निर्माण करें, जिसका आकार छोटा हो। जो असली चीज है, आर्थिक और इकोनॉमिक वेलफेअर, उसके साथ नजदीकी प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए लार्ज साइज़ सोसाइटीज़ के आइडिया में तरमीम करना पसन्द किया और अब हम छोटी सहकारी समितियों का निर्माण करना चाहते हैं । इसलिए उस नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है । इसकी वज़ह यह भी है कि बड़ी सहकारी समितियां बनी, उनकी मीटिंग हुई, साल में एक दफा मीटिंग बुलाई गई, जनरल मीटिंग बुलाई गई, लेकिन जो मेम्बर्स की हाज़िरी हुई, वह ५० प्रतिशत तक भी नहीं पहुँची, केवल ३० प्रतिशत ही हुई। ऐसी सहकारी समिति, जिसकी मेम्बरशिप इतनी बड़ी हो, की जनरल मीटिंग साल में एक बार करने बावजूद भी बहुत कम प्रतिशत सदस्य हाज़िर रहते हो, तो वह सही मायने में सहकारी समिति नहीं कहलाई जायगी। इसलिए सोसाइटी के आकार को सीमित करने के लिए इस रास्ते को अपने सामने रखा है।

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सहकारिता का विकास पहली पंचवर्षीय योजना में, राजस्थान के निर्माण के बाद हुआ और वह प्रगति के साथ हुआ है । इसकी प्रगति का ज़िक्र एक पुस्तिका के अन्दर किया है जिसको आज ही माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया है। हो सकता है, बहुत से माननीय सदस्यों ने उस पुस्तिका को पढ़ा नहीं हो और उसका चित्र उनके सामने न आया हो, इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके ज़रिये उन सब माननीय सदस्यों....

श्री शिवचरणदास (मांडल) : आपने दी भी तो बड़ी चतुराई से है, जिस समय माननीय सदस्य यहां आये, उस वक्त दी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तैयार देर से हुई है, इसलिए देर से दी है। तो, सभापति महोदय, आपके ज़रिये कुछ खास जानकारी माननीय सदस्यों के सामने रखना पसन्द करूंगा। जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय ६२७ कोऑपरेटिव सोसाइटियां थीं, ६६१६ कोऑपरेटिव सोसाइटियां बन चुकी हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अंत तक और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन साल तक ११२६२ सोसाइटीज़ हमारे राजस्थान में हैं। मेम्बरशिप की संख्या के बारे में अर्ज करूं कि जिस समय राजस्थान बना उस समय मेम्बर्स की संख्या ६०,००० थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २, ३०, ६८१ मेम्बर्स की संख्या पहुंची और ११.३.५८ तक कुल ५, १६, ४४७ मेम्बर बने। इसी प्रकार शेअर केपीटल पहले ८१, ४६, ६६१ रुपये थी और ३१.१२.५८ को शेअर केपीटल २, २४, ४०, ८८६ रुपये तक पहुंची वर्किंग केपीटल प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक ५, ३१, ३६, ०६३ रुपये थी, वह इस दिसम्बर के अन्त तक, १६५८ के अन्त तक १२, ८७, १५, २५३ रुपये है। लोन्स प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २, ६८, ३६, ६१५ रुपये के दिये जब तक अब ७, २२, ५७, ४४१ रुपये के दिये हैं। इसके साथ ही एक सोसाइटी की औसत मेम्बरशिप २७ थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तीन साल के अंत तक समिति की औसत मेम्बरशिप ४५ के करीब हुई है। इसके साथ ही एवरेज़ लोन पर मेम्बर पंचवर्षीय योजना के अंत तक देते थे, वह ४३ रुपये औसत के आते थे, आज औसत लोन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत के तीन साल के अंततक ७७ रुपये पर मेम्बर है। इसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक्स थीं, इनकी तादाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक १३ थी, अवेक्स बैंक भी शामिल हैं, वह अब करीब २४ के हैं, इसमें लैंड मोर्टगेज बैंक्स भी शामिल हैं। इन आंकड़ों के आधार पर बहुत से माननीय सदस्य मानते हैं और बहुतों ने स्वीकार किया है कि सहकारिता का बराबर लगातार विकास हमारे राजस्थान में धीरे धीरे हो रहा है। इस सहकारिता को सही मायने में सही दिशा दिखाने के लिए जो सुझाव कुछ माननीय सदस्यों ने दिये है, जो कुछ बातें कही है, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने इलाके को लेकर अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। झालावाड़ से आने वाले माननीय, सदस्य ने, झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सहकारी समितियां जो जिलों में काम करती हैं, उन सहकारी समितियों में अभी कई प्रकार की कमियां हैं। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने यह बताया कि कुछ इलाकों में सहकारी समितियां बनी, उनमें इन्सपेक्टर, डिप्टी, रजिस्ट्रार या जो स्टाफ चाहिए, उसकी कमी है। इस वज़ह से जो काम वहां पर विकास का होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है।

मैं आपके ज़रिये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सहकारिता का यह विभाग राजस्थान में निरन्तर बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ाने के लिये जिस तेजी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस विभाग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हमारे सामने कठिनाइयां भी आती हैं। सबसे छोटे से छोटा कर्मचारी जो फील्ड में काम करता है, सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर फील्ड में काम करते हैं, ऑडिटर काम करता है जो इनके हिसाब किताब की जांच करता है निरीक्षण करता है, इन सबको एम्प्लॉयमेंट देने के बाद एक साल के लिये ट्रेनिंग में भेजना पड़ता है, एक साल ट्रेनिंग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लेने के बाद ही ये लोग फील्ड में काम कर सकते हैं । तो इस तरह सब इन्स्पेक्टर्स, इन्स्पेक्टर्स की, ऑडिटर्स की कमी रही है, इस लिये कई इलाकों में देर लगी है, कहीं ८ महीने भी लगे तो कहीं १२ महीने भी लगे हैं । उन्होंने जो बातें कही हैं वे गलत नहीं हैं, उनमें तथ्य हैं । पर इस काम को पूरा करने के लिये विभाग की ओर से काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं । कोटा में ट्रेनिंग दी जाती है, वहां सब-इन्स्पेक्टर्स, इन्स्पेक्टर्स, ऑडिटर्स को ट्रेनिंग देते हैं और पिछले साल में जितनी सोसायटीज़ का ऑडिट होना चाहिये, कम स्टाफ होते हुए भी ६२ समितियों का ऑडिट करवाया, जिसमें कई प्रकार की इरेंगुलेरिटीज़ पाई गई है, जैसे बाई लॉज़ का पूरा पालन होना चाहिये उनका पूरी तरह पालन नहीं हुआ है, ऐसी चीजें कई जगह पाई गई हैं । उन सोसायटीज़ के सैक्रेटरीज़ और प्रेसिडेन्ट्स को इन इरेंगुलेरिटीज़ को दुरुस्त करने के लिये हिदायत की गई है, इस तरह की कमियों को दूर करने के लिये विभाग की ओर से प्रयत्न जारी हैं ।

बहुत से सदस्यों द्वारा इस सदन में यह भी कहा गया कि जो सहकारी समितियां गांवों में बनी हैं, जिनके द्वारा कार्य लोगों को दिया जाता है, उनमें कई दफा ऐसे लोगों को शामिल कर लिया जाता है, जिनको कि शामिल नहीं किया जाना चाहिये और इस तरह इनका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जिन लोगों को कि सही माने में लाभ मिलना चाहिये । सभापति महोदय, यह ठीक है आज हमारे यहां शिक्षा की कमी है । सहकारिता के काम को आगे चलाने के लिये, सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिये पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, जो इसके उद्देश्यों को समझ सकें, पढ़ सकें, और इस काम के लिये जो एक नीति निर्धारित है उसके आधार पर चल सकें । इस चीज़ की गांवों में कमी है और इस चीज़ को सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती । अब गांवों में शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो रहा है, आने वाली पीढ़ी इन चीजों को ज्यादा समझदारी और होशियारी से समझेगी । विभाग की ओर से जितना प्रयत्न किया जा सकता है उतना किया जा रहा है मैंने एक दफा पहले भी सदन में निवेदन किया था कि हमारे यहां लैंड पॉलिसी का पालन नहीं होता है, हम सही सुझाव देते हैं पर उनके डे-टू-डे एड्मिनिस्ट्रेशन में इस विभाग ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया है और कहीं किया गया है तो वहां कहा कि है ऐसा नहीं करना चाहिये । पर पूरे तरीके से यह काम इन अधिकारियों के ज़रिये नहीं किया जा सकता । इसके लिये जनता में से पढ़े लिखे आदमियों की सहायता और सहयोग की आवश्यकता है । राज्य लेवल पर कोऑपरेटिव संघ का निर्माण किया गया है जो ज़िला लेवल पर भी इस तरह की संघ की ब्रान्चेज़ बनाये, बाहर क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का संघ बनाया है, जो कोऑपरेटिव के बारे में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने में और ज़िला लेवल पर ब्रांचेज़ कायम कर के इस काम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो यह सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है, संघ का निर्माण किया है, स्टेट लेवल पर और ज़िला लेवल पर निर्माण किया है उनको सरकार ने मदद दी है ! ऐसी यूनियन्स ने अपना काम भी प्रचार प्रसार के रूप में शुरू कर दिया है । इस बारे में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ज्यादा शिक्षण देने के लिये कई ज़िलों में इस प्रकार की यूनियन्स ने काम अपने हाथ में लिया है पर यह कार्य पिछले साल से ही शुरू हुआ है । सदन के माननीय सदस्य जो सहकारिता में विश्वास करते हैं कि सहकारिता के द्वारा हमारे ग्रामों में खेती का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, मैं उनका आह्वान करता हूँ कि वे इस प्रकार की यूनियन्स को ज़िला लेवल पर मजबूत बनायें और ज्यादा सुचारु रूप से इनको आगे बढ़ायें ।

दूसरे, जो खास चर्चा का विषय इस सदन में रही, वह हमारी मौजूदा सहकारिता खेती के बारे में है । इस बारे में काफी चर्चा हुई और श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, एक डेलिगेशन जो चायना गया था, उसकी रिपोर्ट पढ़ी है सदन में साथ लाये हैं, मैंने भी उस रिपोर्ट को पढ़ा है । माननीय सभापति महोदय, चायना ने जो कुछ किया और चायना में लोगों ने जो कुछ भी देखा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । उनका एक तरीका है, उन्होंने अपने वहां क्रान्ति की और जिस तरह अपने देश के लोगों का आर्थिक और समाजिक जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये थे अपने देश का विकास करना चाहते हैं, उसी तरीके के बारे में मुझे कोई कुछ ज्यादा कहने का अधिकार नहीं है । वहां वे उस तरीके को ठीक समझते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं । पर जिस तरीके की तस्वीर खींच कर माननीय सदस्य ने इस सदन में इस बात के साथ ज़ाहिर की कि हमने जो यह नीति अपने प्रान्त में अपनाई है, तो इस नीति के माने, सहकारिता के आधार पर खेती करने के माने यह होंगे कि हम अपने संविधान को ऊंचा टांग देंगे, इस नीति से हम प्राइवेट एन्टरप्राइज़ को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं, पूंजीवाद को बिलकुल उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं । सभापति महोदय, उन्होंने इस तस्वीर में जो था उससे ज्यादा पढ़ लिया है ।

सहकारिता को खेती में पनपाया जाना चाहिये इस चीज़ को तो उन्होंने स्वीकार किया है, सर्विस कोऑपरेटिव खेती के बारे में काम देंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सर्विस सोसाइटीज़ से गावों में बहुत फायदा होगा । तो उत्पादन में इसके महत्व को उन्होंने स्वीकार किया है । नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमने इतनी बात कही है कि सीलिंग से जो जमीन उपलब्ध होगी और जो जमीन जिन जिन इलाकों में पड़ी हुई है, उन जमीनों को हम इन्डिविज्युअल के तौर पर नहीं देंगे । वह जमीनें हम उन लोगों को देंगे जो सहकारी संस्थाएं बना कर आगे आयेंगे । सहकारी समितियां बना कर जो लोग आगे आवेंगे उनको ही ये जमीनें अलॉट करेंगे और फिर उन लोगों से सहकारी खेती कराना पसंद करेंगे । हमने इतनी बात यहां कही है ।

अब माननीय सभापति महोदय यहां इसमें कहां तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफत आती है ?...

श्री शिवचरणदास : माननीय सभापति महोदय, टाइम हो चुका है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था । जिन्होंने ज्यादा समय लिया उन्हीं की तरफ से समय की बात कही जा रही है ।

श्री शिवचरणदास : अब समय हो चुका है, अब बेकार है....

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) तो हमने इस नीति में कहा है कि जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है, उसको हम सहकारी खेती के आधार पर अलॉट करके, उसमें सहकारी ढंग से खेती करवाना चाहते हैं । न यह विधान के खिलाफ है और न इसमें किसी का कुछ छीनना है । हम एक नये तरीके का परीक्षण करेंगे कि यदि वे लोग इस तरह की जमीनों में मिल कर अच्छा डिमोन्स्ट्रेशन पेश करते हैं और उस डिमोन्स्ट्रेशन का उन लोगों के दिमाग पर, जिनके पास बहुत कम होल्डिंग्ज़ हैं, असर पड़ता है कि उनकी सामूहिक खेती ने हमसे ज़्यादा रिज़ल्ट्स दिये हैं और प्रेक्टिकल असर यदि उनके दिमाग पर उसका होता है और नेक्स्ट स्टेज़ पर वह वालेन्टरी एग्री करता है, बिना किसी दबाव के वह उसको एग्री करता है कि हम मिलजुल कर खेती करेंगे जैसा कि २० फैमिलीज़ ने मिल कर काम किया और उसका परिणाम अच्छा आया है, तो यह अच्छा होगा ।

५ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जो कुछ डिमोन्स्ट्रेशन आज तक दिये हैं उनका क्या परिणाम रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप देखिये, पुरानी चीज़ों से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है । देश आगे बढ़ रहा है, कुछ न कुछ नयी बातें

(हंसी)

देश सीख रहा है ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : नई बातें वे ही हैं जिनका कि आपने पहले विरोध किया था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : I am in possession of the House. I will seek your protection, Sir.

(घंटी)

श्री सभापति : आप जारी रखिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस गांव का दिग्दर्शन श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे और उन्होंने कहा कि....

श्री मदनसिंह : पंडितजी ने काफी कह दिया है, आप रहने दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) उन झगड़ों को हम मिटाना चाहते हैं, उन में प्रेरणा पैदा करके कहना चाहते हैं, बिना किसी दबाव से कहना चाहते हैं, समझा कर और परस्युऐशन से करना चाहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा कहां । जहां है तो आप भी उस वातावरण को सुधारने में मदद दीजिये । महात्मा गांधी ने हृदय परिवर्तन से इतना बड़ा काम कर दिया देश का कि उनकी बदौलत ही आज आज़ादी हमको मिल गई.... ...

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification, Sir, गवर्नमेंट इन्डिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में बिलीव करती है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर करती हैं । नहीं करती तो एक दिन में ही खत्म

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं कर देती। आज हम कोई खातेदारी के राइट्स छीनने नहीं जा रहे हैं बड़े बड़े नेता कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा है आज ही कि आयन्दा इन्डिविजुअल खेती के लिये ज़मीन नहीं देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हमारी सरकार की नीति है। सरकार की नीति ज्यादा सामूहिक रूप से लोगों को खेती देने के फेवर में है। यह विधान के खिलाफ नहीं है। यह भविष्य में आगे आने वाली चीज़ है। माननीय सभापति महोदय, इस सहकारी खेती को लेकर जिस प्रकार की कल्पनायें और डर इस सदन के माननीय सदस्य और अन्य लोग करके बैठे हैं उसके लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसमें सीरियसली शंका करने की बात नहीं है, न ही कोई डर की बात इसमें है, न ही इसके द्वारा कम्युनिज़्म और कम्युनेलिज़्म की ओर जाना चाहते हैं। हम हमारे देश में एक नया प्रयोग करना चाहते हैं, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। यह देश में एक नया प्रयोग है। ६० वर्ष में शांति से देश ने आज़ादी ले ली। यह हमारा नया प्रयोग रहा है इसी तरह से हमारे लिये यह सहकारी खेती का नया प्रयोग है, यह हमारा नया रास्ता है, नया सोचने का तरीका है, यह किसी दूसरे देश की नीति नहीं है न ही हम किसी दूसरे देश की कापी करना चाहते हैं, सरकार की जो नीति है वह हमारी अपनी नीति है न हम इसको चायना से कापी करना चाहते हैं और ना ही रूस से, किसी से भी नहीं कापी करना चाहते, यह हमारे देश के अनुकूल वातावरण के ज़रिये से है। हम तो सही रास्ते का सही निर्माण करना चाहते हैं और वह भी शान्ति से चाहते हैं। शांति के साथ लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह क्लीयर पिक्चर देश में बन जाय और शांति पूर्वक चीज़ आगे बढ़े तो कोई कन्ट्रोवर्सी आने की बात नहीं है। लोग इसको स्वयम् पसन्द करें और खुद ही लेकर आगे बढ़ें तो यह चीज़ कम्युनिज़्म की ओर ले जायगी। यह जो डर लग रहा है यह फिज़ूल है और इसको इस तरह से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही मुझे इस नीति पर कहना है।

अब मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा, सिर्फ पांच सात मिनिट में ही जो विशेष बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनके लिए निवेदन करूंगा। जो माननीय सदस्य खासतौर से इन सहकारी कमेटियों की अनियमितताओं के बारे में निवेदन कर रहे थे, सूची बताई वह तो उपलब्ध नहीं है लेकिन खासतौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बज़री उत्पादक सहकारी समिति को लोन देने के बारे में और अनियमिततायें होने के बारे में जिक्र किया, इस सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय, सदन में मैं काफी बातें बता चुका हूं फिर भी कुछ बातों को, पुनः सदन में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने सहकारी समिति के बारे में जो बातें कही उसके लिए मेरा यही निवेदन है कि उस सहकारी समिति के बारे में मुझे पूरी जानकारी उपलब्ध है और मैं कह सकता हूं कि न किसी प्रकार का गबन है, न मिसएप्रोप्रियेशन है। उस सहकारी समिति का ऑडिट विशेष तौर पर कराया भी गया, उस सोसाइटी में इर्रेग्युलेरिटी हुई है और उसको

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करेक्ट कराने के लिए जो हिदायतें विभाग से जारी की जान चाहिये थीं, वे की जा चुकी हैं और उनको रेग्युलेराइज़ कराने के लिए कदम उठाया जावेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमुक आदमियों की है उनमें मज़दूरों को नहीं मिलता, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को कई बार निवेदन कर चुका हूं इस सम्बन्ध में कि सहकारी समिति बनाने में हमारा राजनैतिक दृष्टिकोण और राजनैतिक पर्सनेलिटीज़ को इस मामले में ज़्यादा नहीं घसीटना चाहिये। सहकारी समिति सबको बनाने का अधिकार है। जो भी प्रान्त में कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे किसी पार्टी को बिलांग करते हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे पी. एस. पी. के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, जो कोई सहकारी संस्था बनाता है तो उन लोगों को सहयोग देना चाहिये, उन माननीय सदस्यों को और लोगों को सहकारी समिति में सहयोग देना चाहिये, उसमें दिलचस्पी उनको और उनके मित्रों को लेना चाहिये। सहकारी कमेटियों के सही निर्माण में सही रास्ता बनाने में, दिखाने में जितना योगदान वे दे सकें उन्हें देना चाहिये तब ही हम आगे बढ़ पायेंगे और सहकारिता हमारे देश में पनप पायेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, इन्डिविजुअल बातें रह गई हैं। उसके बाद जयपुर से आने वाली माननीया सदस्या ने, विशेषतौर से डीडवाना सहकारी समिति का सवाल पूछा था, मैंने जवाब तो दिया था कि डीडवाना में सहकारी समिति नहीं है। वह यहां अभी नहीं हैं लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि वह कोलिया की सहकारी समिति थी जिसके लिए बता रही थी कि ४० हज़ार का लोन दिया था लेकिन वास्तव में लोन तो उसको ८ हज़ार का ही दिया था चालीस हज़ार का नहीं। उसमें से ११००, १२०० रुपये का लोन मेम्बर्स के पास पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंचा। प्रेसिडेन्ड ने इसको ड्रा किया था, वह लोन बराबर पहुंचना था लेकिन पहुँचा नहीं इसके खिलाफ पहले से ही कार्यवाही की जा चुकी हैं केस इन्स्टिट्युटेड हैं। केस चल रहा है।

फिर सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने खासतौर से नागोर की ललाश्री समिति और खनखाना की सहकारी समिति के लिए बताया। मुझे जरा दुःख होता है। मैं स्वयम् उस इलाके का रहने वाला हूँ, वे तो उससे बहुत ही दूर के इलाके के रहने वाले हैं। जिस तरह से अगर कोई ग्रामोफोन को चाबी लगा दे और वह स्वयम् उसी तरह से बोलने लगता है, उसी तरह माननीय सदस्य ने यहां आकर बता दिया। वहां की स्वयम् की मैं जानकारी रखता हूं और मैं कह सकता हूँ कि उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, सभापति महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्य जो सांचोर से आये हैं उनके लिये कहा कि उन्होंने इस तरह से बातें कह दी जैसे किसी ने ग्रामोफोन में चाबी भर दी हो। मैं समझता हूं कि यह ग्रामोफोन की चाबी भरना शब्द अनपार्लियामेंटरी शब्द है, इसलिये इन शब्दों को हाउस की प्रोसीडिंग से एक्सपन्ज करवाने का आप आदेश देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्रामोफोन को चाबी लगाने से मेरा मतलब केवल यही था कि माननीय सदस्य ने खुद ने तो जानकारी की नहीं और दूसरों ने जैसा भी आकर उनको कह दिया, वह आकर हाउस में बोल गये।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इसका मतलब हम यह समझें कि जो ग्रामोफोन चाबी भरने से बोलता है तो क्या उसी प्रकार जो यहां बोलते हैं वे क्या दूसरे के चाबी भरने पर ही बोलते हैं।

श्री सभापति : आपका यानि माननीय मन्त्री महोदय का मतलब यह कहने का, केवल इतना ही था कि पर्सनल नोलेज़ से उन्होंने यह बात नहीं कही।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, नोलेज़ का सवाल नहीं, मैं समझता हूं ग्रामोफोन का कहने का मतलब उनका यह था कि उन्होंने अपनी अक्ल या बुद्धि उसमें नहीं लगाई और किसी के इन्स्टीगेशन पर उन्होंने यह बात कह दी। मेरा यह निवेदन है कि कोई भी मेम्बर जो सदन में कोई बात कहता है अपनी ज़िम्मेदारी पर कहता है और वह यह जानता है कि जो कुछ भी वह कह रहा है, उसका उत्तरदायित्व उसके स्वयं के ऊपर है वैसी हालत में किसी भी सदस्य के लिये यह कहना कि, यह तो ग्रामोफोन जिस प्रकार बोलता है, उसी प्रकार यह कह दिया यह मैं समझता हूं मेम्बर के लिये डेलीगेटरी है और इस हाउस के लिये भी। मैं....

श्री सभापति : मेरा जहां तक ख्याल है और जो फेक्ट्स हैं उनसे मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा जो रिमार्क दिया मैं समझता हूं, वह ऐसा नहीं है कि उसे प्रोसीडिंग्ज़ में से हटा दिया जाय उसके अलावा जिन माननीय सदस्य के लिये कहा गया है उन्होंने तो इस बारे में कोई एतराज़ नहीं किया उससे ऐसा मालूम होता है कि वे इसे स्वीकार करते हैं। अब आप चाबी न भरें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : जो हाउस में मैंने जानकारी दी है वह मैंने विगतवार बता दी है आप केवल यही बता दीजिये कि उसमें अनियमितता हुई या नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि जिस खुनखुना की सोसाइटी का उन्होंने जिक्र किया उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई आपको किसी ने कह दिया होगा और आपने आकर हाउस में रख दिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जिस प्रकार इनको किसी ने आकर कहा और इन्होंने हाउस में रख दिया, उसी प्रकार आपको भी किसी ने कह दिया और आप भी उसी के आधार पर कह रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस क्षेत्र का माननीय सदस्य ने जिक्र किया उस क्षेत्र की जानकारी उनकी अपेक्षा मुझे ज्यादा है वे २५० मील के फासले पर रहते हैं। इसीलिये तो मैंने कहा था कि उनको किसी ने आकर चाबी भर दी और उन्होंने सदन में उस बात को कह दिया। मैं तो यहां तक कह सकता हूं जो स्थिति उन्होंने अपने इलाके सांचोर की सहकारी समिति का हाल बताया मैं समझता हूं उसकी भी सही जानकारी उनको नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : On a point of order, Sir. सभापति महोदय, अभी जो चाभी भरने का प्रश्न आया है उसके लिये....

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, जिन शब्दों के लिये माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं उनको मैं वापिस लेता हूँ इसमें मैंने कोई बुरी चीज़ तो कही नहीं फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं तो मुझे वे शब्द वापिस लेने में एतराज नहीं है।

श्री सभापति (श्री लक्ष्मीचन्द से) : जब कि माननीय मंत्री महोदय ने वे शब्द वापिस ले लिये तो अब आपको एतराज़ नहीं होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) सभापति महोदय, मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि अब तो आपको कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिये। माननीय सदस्य जो भी चीज़ बतायें उसको प्रेक्टिकल करके बतायें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार की तसवीर आपने रखी उसके बारे में मैंने स्वयं निवेदन किया था कि इसके लिये स्टाफ की बहुत कमी है और भी दूसरी कमियां हैं उसकी वजह से सहकारी समितियों में कुछ कमियां रही है उसको दूर करने के लिये विभाग सतर्क है और हम गैर सरकारी एजेन्सीज़ द्वारा भी प्रयत्नशील हैं। हमने जो योजनाओं के अन्दर लक्ष्य रखा है उन लक्ष्यों को हम बराबर पूरा करेंगे और इस काम को आगे बढ़ायेंगे। अगर माननीय सदस्यों का पूरी तरह से सहयोग रहा तो हम कृषि सहकारी समितियों का जो निर्माण करने जा रहे हैं उसमें हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। अब मैं कुछ शब्द इन्डस्ट्रीज़ सोसाइटीज़ के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : दो मिनिट में ही खत्म कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं दो ही मिनिट में समाप्त कर दूँगा। खेती बाड़ी की सहकारी समिति के अलावा इन्डस्ट्रीज़ की सहकारी समितियों का निर्माण करने में भी राज्य ने काफी प्रगति की है। १८०० सहकारी समितियों का निर्माण कर चुके हैं जिसमें चमड़े की सहकारी समितियां और बुनकर सहकारी समितियां को भी शामिल किया गया है। इन सहकारी समितियों के निर्माण के साथ साथ इनको धन देने की अलग से व्यवस्था की है। हैन्डलूम बोर्ड जो है वह वीवर्स सोसाइटी को लोन देती है अब तो रिज़र्व बैंक से भी ऐसा निश्चय प्राप्त हुआ है और उन्होंने बीस लाख की गारन्टी मांगी है अगली साल वे वीवर्स सोसाइटीज़ को २५ लाख रुपया देंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा भी सहकारी संस्थाओं को ऋण देने की व्यवस्था है। उनको भी इसके अन्दर शरीक करेंगे। इन सहकारी समितियों द्वारा उद्योगों को अलग अलग गांवों में पनपाने के लिये सहकारी विभाग और उद्योग विभाग की तरफ से टैक्निकल ग्रान्ट भी दी जाती है। इसके अलावा सरकार हर क्षेत्र में काफी विकास करने की जहां गुन्जाइश है निरन्तर सरकार उनको ध्यान में रखती है और आयन्दा भी रखेगी। इसके लिये मेरा माननीय सदस्यों से भी निवेदन है कि जैसी दिलचस्पी उनकी सहकारी आन्दोलन में रही है उसी प्रकार की दिलचस्पी हमेशा रहेगी। और इसमें ज्यादा दिलचस्पी वे लेते रहे तो हमारा राज्य निरन्तर सहकारिता आन्दोलन में प्रगति करता रहेगा इससे हमारे देश और प्रान्त की प्रगति होगी यह मेरी निश्चित मान्यता है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही को जल्दी समाप्त करने के लिये यह निश्चय किया गया है जो माननीय सदस्य अपना कटमोशन वापिस लेना चाहें तो वे खड़े होकर वापिस लेने के लिये इज़ाज़त मांग सकते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सभापति महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से इज़ाजत चाहता हूं।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इज़ाजत चाहता हूं।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इज़ाजत चाहता हूं।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा सु.) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इज़ाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री जनार्दनराय नागर ने लिख कर दिया है कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं।

क्या सदन की अनुमति है कि उपरोक्त सदस्यों को अपने अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इज़ाज़त दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, श्री रामचन्द्र, श्री सम्पतराज, श्री लक्ष्मण हीरात, श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :

हम अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेते हैं।

श्री सभापति : अब जो अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस नहीं लेना चाहते हैं उनके लिये वोट लिये जाते हैं।

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा : 'हां'

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर : It was put in a different way.

श्री भैरोंसिंह : डिफ्रेन्ट वे में पुट किया गया, यह चेयर के लिये रिमार्क अच्छा नहीं है।

श्री सभापति : जो पक्ष में हों 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

'ना' पक्ष जीता। 'ना' पक्ष जीता।

(अस्वीकृत)

श्री पी० के० चौधरी, डॉ० चन्द्रकला, श्री बहादुरसिंह,(१४)श्री भैरोंसिंह, श्री जगदीशप्रसाद, श्री लक्ष्मीचन्द, श्री रामकरणसिंह, श्री मुरलीधर व्यास, श्री शिवचरणदास के प्रस्ताव गिर गये।

Page No.112

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि "मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४२– सहकारिता के सम्बन्ध में ३१-३-६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५६,७३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे। प्रश्न यह है कि इस मांग को स्वीकार किया जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय ५ बज कर २० मिनिट पर दिनांक १० मार्च, १९५६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ६ मार्च, ५६)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	२८३२	बाली तहसील के खालसा जोड़ ग्राम सेवकों के लिए शुतर सवारों की व्यवस्था	
भूतपूर्व ठिकाना उनियारा के कर्मचारियों के पेंशन के मामले		स्कूलों के भवन	
तहसील भादरा में बागायत के लिये रिजर्व भूमि		तहसील चाकसू के अग्नि पीड़ित ग्रामों को सरकारी सहायता	
बीकानेर ज़िले में विकास कार्य		सरकारी पड़त भूमि का अलॉटमेंट	
राजस्थान के अकॉउन्टेन्टों की मेरिट व सीनियोरटी लिस्ट		राज्य सेल्स टैक्स विभाग में इन्टेलीजेन्स विभाग	
सीमेन्ट फैक्ट्री, किवरली		जमीन की पैमाइश की जरीबें	
गांवों में चौधरियों को नहीं रखने सम्बन्धी नियम		बांदीकुई ब्लॉक में उद्योग अधिकारी तथा इन्स्पेक्टर	
भाकरी क्वेरी के स्टाफ से बीमा की कटौती		बरसात के कारण लूणकरणसर में मकानों को क्षति	
सरकारी कर्मचारियों के वेतन की दरें		कांच–चूड़ी पर बिक्री कर	
तहसील चाकसू को टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिलाने के सम्बन्ध में		कस्टम विभाग के नाकेदारों को पटवारियों के पद पर नियुक्ति	
भांकरी क्वेरी के स्टाफ की पे स्केल्स		गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ के कर्मचारियों का बकाया वेतन	
बसेरी (त० धौलपुर) में हायर सेकिन्डरी स्कूल		ढ़ीपरी घाट के घटवाल का वेतन	
ग्राम जकसायपुरा में अग्नि पीड़ितों को सहायता		ज़िला अजमेर में भूमि वितरण कमेटी द्वारा भूमि हीन किसानों को भूमि वितरण	
स्थानीय विकास कार्यों के लिए धन राशि			

स्कम्भ

स्थगित प्रश्नोत्तर २८७३

१ ग्राम देवली, तहसील खारची में गोचर भूमि

२ जयपुर शहर के निकट कृषि के हेतु भूमि का अलॉटमेन्ट

३ फलौदी गोलरिया में नमक के प्लाटों का वितरण

सदन की मेज पर रखा गया पत्र २८७७

गंगानगर शूगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर, के ३० जून, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित डाइरेक्टरों की रिपोर्ट एवं तत्सम्बन्धी लेखे का विवरण सदन की मेज पर रखा गया।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक २८८०

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १६५६, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किया गया।

आयव्ययक १६५६-६०

द्वितीय अवस्था २८८१

स्कम्भ

अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग सं० ४० मुख्य शीर्षक ४२-सहकारिता

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा मंत्री सहकारी विभाग, द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर ३३ कटौती प्रस्ताव निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये :-

(१) श्री पी. के. चौधरी

(२) श्री रामेश्वरदयाल

(३) डॉ० चन्द्रकला

(४) डॉ० बहादुरसिंह

(५) श्री भैरोंसिंह (१४)

(६) श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(७) श्री लक्ष्मीचन्द

(८) श्री जनार्दनराय नागर

(६) श्री रामकरणसिंह

(१०) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(११) श्री लक्ष्मण हीरात

(१२) श्री मुरलीधर व्यास

(१३) श्री नाथूराम

(१४) श्री रामचन्द्र

(१५) श्री सम्पतराज जैन

स्कम्भ

(१६) श्री शिवनाथसिंह

(१७) श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

(१८) श्री सोहनलाल भटनागर

(१९) श्री शिवचरणदास

सहकारी मंत्री के उत्तर के पश्चात् १५ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुये। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

स्कम्भ

मंगलवार दिनांक १० मार्च, १९५९

कार्य सूची :

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण आदि।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०१ का उत्तर देखिये)

विकास खण्ड, जिनमें शुतर सवार स्वीकृत किये गए हैं

क्र० सं०	जिला	विकास खण्ड
१	बीकानेर	नोखा
२	चुरू	१) सरदार शहर २) राजगढ़
३	जैसलमेर	सांकड़ा
४	बाड़मेर	शिव
५	जोधपुर	ओसियां
६	उदयपुर	कोटड़ा

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिये)

अग्नि कांड सन् ५६-५७, ५७-५८ व ५८-५९ तहसील चाकसू

क्र० सं०	तारीख अग्नि कांड	नाम ग्राम	सहायता जो मंजूर हुई
१	२—११—५६	रामनिवास	—
२	१५—१२—५६	हरीला	—
३	२—४—५७	चाकसू	—
४	४—४—५७		२५०
५	११—४—५७	सेयापुरा	२८७०
६	११—४—५७	जयपुरा	१०००
७	११—५—५७	जगदीशपुरा	—
८	१७—६—५७	चन्दलाई	—
९	१९—६—५७	बापू गांव	—
१०	७—७—५७	गडी तलकरीपुरा	—
११	५—१०—५७	बांस रुगनाथपुरा	—
१२	१४—१०—५७	गरड़वासी	—
१३	२१—१०—५७	चाकसू	—
१४	२४—१२—५७	रामनिवास	—
१५	३—२—५८	चिमापुरा	—
१६	१८—२—५८	चन्दलाई	—
१७	२०—३—५८	नाथरिया का वास	—
१८	२०—३—५८	नरखेड़ा	—
१९	२०—३—५८	नागलपुरा	—

१	२	३	४
२०	२४—३—५८	रामनिवास	—
२१	१२—४—५८	कोटखावदा	—
२२	१६—४—५८	फिरोजपुरा	—
२३	३—५—५८	दलपतपुरा	—
२४	२६—५—५८	चाकसू	—
२५	३१—५—५८	फागेड़ा	—
२६	६—६—५८	तारपुरा	—
२७	६—६—५८	चन्दलाई	—
२८	८—६—५८	चन्दलाई	—
२६	१०—६—५८	गुढ़ारामपुरा	—
३०	२५—१०—५८	टीकरिया मीणान	—
३१	५—११—५८	हकन	—
३२	१०—११—५८	चाकसू	—
३३	११—११—५८	टीकरिया गणराय	—
३४	६—१२—५८	टीकरिया मीणान	—

———

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण सोमवार, दिनांक ६ मार्च, १९५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२८३४	अन्तिम से ४	of	or
२८४३	१५	(रायपुर)	(मांडला)
२८५७	अन्तिम से ६	नाकदारों	नाकेदारों
२८६०	८	निम्नांकि	निम्नांकित
२८६३	अन्तिम से ४	agains	against
,,	,,	decent ralisation	decentralisation
,,	अन्तिम	ossued	issued
२८७६	१०	furnitnre	furniture
२९०४	अन्तिम से ४	सम्बध	सम्बन्ध
२९२२	२४	घौलपुर	धौलपुर
२९३२	६	चाना के	चाइना के
२९५१	१४	Landdiordlsm	Landlordism
२९७३	२५	चलें ही	चले ही
२९७६	२	उठनी पड़ी	उठानी पड़ी
२९७६	२६	तरक से	तरफ से
२९९९	२६	गटौती	कटौती
२९९९	अन्तिम से ४	जवदस्त	ज़बरदस्त
३००६	शीर्षक	अदानों की	अनुदानों की
३०३७	३	पुपरीवजन	सुपरवीज़न
३०३२	५	कटौटी प्रस्ताव	कटौती प्रस्ताव
३०६३	शीर्षक	परिशिष्ट ३	परिशिष्ट २